लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 26 मई, 1971/5 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 3, **Wednesday, May** 26, 1971/**Jyaistha** 5, 1893 **(Saka)**

	सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण	Member Sworn	1
	मंत्रियों के पदनामों तथा मंत्रालयों के नामों के बारे में	Re : Designations of Ministers and Ministries	1-3
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या	**विषय**	**Subject**	**पृष्ठ/Pages**
S. Q. Nos.			
61	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Yojana Ayog	3-6
62	निजी थैलियों की समाप्ति	Abolition of Privy Purses	6-8
65	तमिलनाडु सरकार द्वारा एक योजना आयोग का स्थापित किया जाना	Setting up of Yojana Ayog by Tamil Nadu Government	8-10
66	समाचार पत्रों पर बड़े व्यापार गृहों का एकाधिकार	Monopoly Hold of Big Business Houses on Newspapers	10-15
68	भारतीय समाचार पत्रों में अन्य देशों द्वारा विज्ञापन	Advertisements by Foreign Countries in Indian Newspapers	15-16
69	दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Khosla Commission Report Re. Delhi Police	16-17
71	अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन	Formation of Inter-State Council	17-18
72	वर्ष 1967 के आन्दोलन के दौरान मुअत्तिल बर्खास्त किये गये दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Delhi Policemen suspended/dismissed during 1967 Agitation.	18-19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
63	आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किये गये नक्सलवादी	Naxalites arrested in Andhra Pradesh	19-20
64	श्रीनगर घाटी में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite activities in Srinagar Valley	20

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
67	योजना आयोग के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignations by members of Yojana Ayog	20
70	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन की मन्जूरी	Grant of Pension to Freedom Fighters in Kerala	20-21
73	उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद	Hill Development Council in Uttar Pradesh	21-22
74	पाकिस्तान रेडियो पर भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda over Pakistan Radio	22
75	आसाम नागालैण्ड सीमा विवाद का निपटारा	Settlement of Assam Nagaland Boundary Dispute	22-23
76	नारियल जटा से बनी घटिया किस्म की वस्तुओं का रूस को निर्यात	Sub-standard quality of Coir goods Exported to USSR	23-24
77	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products	24
78	भूतपूर्व नरेशों के विदेशी बैंकों में खाते	Accounts of Former Rulers in Foreign Banks	24
79	राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा मांग	Demand by Chief Minister of Tamil Nadu for more Autonomy for States	24-25
80	चाय निगम की स्थापना	Setting up of Tea Corpration	25
83	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार में निर्यातकर्ताओं को कम ऋण सुविधायें	Lack of Credit facilities for Exporter for trade with UAR	25-26
84	इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना	Abolition of special privileges enjoyed by ICS Officers	26
86	राष्ट्रगान में परिवर्तन	Changes in National Anthem	26
87	जनगणना आयुक्त द्वारा किया गया सामाजिक आर्थिक अध्ययन	Socio economic Study conducted by Census Commissioner	26
88	दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की मांग	Demand for Legal Ban on Defections	27
89	पाकिस्तान सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा सुरक्षा बल को आत्म समर्पण	Surrender by Pakistan Army men to Indian Border Security Force	27
90	कासरगोड़ (उत्तर केरल) में नक्सलवादियों का गुप्त प्रशिक्षण शिविर	Clandestine Naxalite Training Camp in Kasargod (North Kerala)	27

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
292	असम का आर्थिक विकास	Economic Development of Assam	27-29
293	ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात से अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned from Export of Cotton Textiles to U. K.	29
294	रक्षा सम्बन्धी प्रचार	Defence publicity	29
295	संसत्सदस्यों को टेलीविजन सेटों की सप्लाई	Supply of T. V. Sets to M. Ps.	29-30
296	मंत्रियों के दौरों पर व्यय	Expenditure on Ministers' Tours	30
297	पाकिस्तान द्वारा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों का अपहरण	Kidnapping of Border Security Men by Pakistan	30-31
298	इण्डियन रेयर अर्थस मिनरल्स, चावारा (केरल) में स्वचालित यंत्र लगाना	Automation in Indian Rare Earths Minerals Chavara (Kerala)	31
299	कोयले के निर्यात में गिरावट	Fall in Export of Coal	31-32
300	1971 की जनगणना की उपलब्धियां	Findings of 1971 Census	32
301	आयात नीति के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट	Survey Report on Import Policy	33
302	अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग में कोयले की कमी	Shortage of Coal faced by Ahmedabad Textile Industry	33
303	कपास के आयात के बारे में सूती कपड़ा विकास परिषद के निष्कर्ष	Findings of Cotton Textile Development Council re : import of Raw Cotton	33-34
305	केरल में औद्योगिक अनुसन्धान के लिये क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Regional research Laboratory for industrial Research in Kerala	34-35
306	कच्चे माल के आयात हेतु लाइसेन्स देने में ढील	Relaxation in Import Licensing of Raw Materials	35-36
307	महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में दस्तकारी की वस्तुओं की दुकानें	Handicraft shops at important Tourist Centres	36
308	फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव	Suggestions made by FICCI regarding State Trading	36
309	गोआ, दमन और दीव को राज्य का दर्जा	Statehood for Goa, Daman and Diu	36-37

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S.Q. Nos.			
310	उड़ीसा में जूट मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mill in Orissa	37
311	अफ्रीकी देशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम	Jute Industrial ventures in African Countries	37-38
314	ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स के कास्टिक क्लोरिन परियोजना के लिये परिष्कारक (रेक्टीफायर) हेतु आयात लाइसेन्स	Import Licence for Rectifier for caustic Cholrine Project of Travancore Cochin Chemicals	38-39
315	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में वृद्धि	Promotion of Trade with East European Countries	39
316	बंगला देश में संकट के कारण जूट की कमी	Shortage of Jute due to Bangla Desh Crisis	39
317	सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	39-40
318	ग्रामीण विकास के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों का सम्मेलन	Conference of Chief Secretaries of States and Union Territories on Rural Development	40-41
319	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान में वैज्ञानिकों के पदों के पुनर्वर्गीकरण पर विरोध	Protests against Reclassification posts of Scientists in CSIR	41-42
320	पाकिस्तान द्वारा भारत में साम्प्रदायिक दंगे कराने के कथित प्रयास	Pakistan's alleged efforts to create communal disturbances in India	41-42
322	अण्डमान द्वीपसमूह में संचार साधनों में सुधार	Improvement of Communications in the Andaman Islands	42-43
323	नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने की मांग	Demand for upward Revision of prices of Controlled Cloth	43-44
324	अजुध्या टेक्सटाइल्स मिल्स दिल्ली का बन्द होना	Closure of Ajudhia Textile Mills Delhi	44
325	राजस्थान में पकड़े गये पाकिस्तानी जासूस	Pak Spies arrested in Rajasthan	44
326	आगरा के निकट टेलीग्राफ तारों का पकड़ा जाना	Telegraph Wire seized near Agra	44-45
327	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के	Suspension of Police Personnel in police	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की मुअत्तली	Department of Andaman and Nicobar Islands	45
328 संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की पदावधि	Term of Office of Commissioners of Union Territories	45-46
329 घटिया कपड़े का उत्पादन	Output of Coarse Cloth	46
330 अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Aligarh	47
331 निर्यात में वृद्धि की दर	Growth Rate of Exports	47
332 केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में राजामन्नार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Rajamannar Commission on Centre State Relations	47-48
333 भारत तथा सोवियत संघ के अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श	Discussions among Economic Experts of India and Soviet Union	48
334 वार्षिक योजना के आकार का पुनरीक्षण	Revision in the size of annual	48
335 सम्पूर्ण आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of entire Import trade	48
337 धर्मतेजा के साथ विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार	V. I. P. treatment given to Dr. Dharma Teja	49
338 1967 की हड़ताल के दौरान निलम्बित बर्खास्त दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बहाली	Reinistatement of Delhi Policemen suspended/dismissed during 1967 strike	49-50
340 बीड़ियों का निर्यात	Export of Beedis	50
341 नमक का निर्यात	Export of Salt	50-51
342 पश्चिम बंगाल में पुलिस की गोलियों के परिणामस्वरूप हुई मौतें	Deaths by Police Firing in West Bengal	51
343 सोवियत संघ द्वारा दूसरे सर्वोच्च शक्ति वाले (सुपर पावर) ट्रांसमीटर की सप्लाई	Supply of second super power transmitter by USSR	51
344 सोवियत संघ के साथ औद्योगिक संधि	Industrial pact with USSR	51-52
345 समाजवादी देशों के साथ व्यापार	Trade with Socialist countries	52
346 पटना में रेल डाक सेवा के नये भवन का सुविधाजनक न होना	New R. M. S. Building at Patna not Commodious	52-53
347 जमनाखाल डाकघर (गढ़वाल) में लिफाफों/पोस्टकार्डों आदि की कमी	Shortage of Envelopes/Post Cards etc. at Jamnakhal Post Office (Garhwal)	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
348 पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के देलचौरी डाकघर में टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone facility at Delchouri Post Office in Pauri Garhwal (U. P.)	53
349 नक्सलवादियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti National Activities of Naxalites	53-34
350 आकाशवाणी के कलाकारों की मांगें	A. I.R. Artistes' Demands	54
351 पशुचर्म का निर्यात	Export of Hides	54
352 हिन्दी दैनिक अवन्तिका को दिया गया अखबारी कागज	Newsprint allotted to Avantika a Hindi daily	55
353 मध्य प्रदेश में डाकुओं के आतंक पर नियंत्रण का प्रस्ताव	Proposal to check Menace of dacoits in Madhya Pradesh	55-56
354 आयात तथा निर्यात की गयी वस्तुओं का मूल्य	Value of Goods Imported and Exported	56
355 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन हाई पोलीमार अनुसन्धान प्रयोगशाला का नया कारखाना	New Unit of High Polymar Research Laboratory under CSIR	56-57
356 भारतीय निर्यात के सम्बन्ध में विश्व बैंक की भविष्यवाणी	Forecast by World Bank re : Indian Exports	57
357 निर्यात में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps to increase exports	57-58
358 पटसन के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाये जाने की मांग	Demand for upward revision of floor price of Jute	58
359 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छोटी सादड़ी स्वर्णकाण्ड की जांच	CBI Inquiry into Chhoti Sadri Gold Scandal	58-59
360 हथियार, गोलाबारूद तथा गुरिल्ला युद्ध सम्बन्धी साहित्य की तस्करी	Smuggling of Arms, Ammunition and Guerilla Warfare Literature	59
361 कवि पवनधन भारती दासन की स्मृति में डाक टिकट का जारी किया जाना	Issue of Commemorative Stamp in Memory of Poet Pavandhan Bharathi Dasan	59
362 नीलगिरि (तमिलनाडु) में काफी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते का वापिस लिया जाना	Refund of T. A. claimed by Employees of Coffee Board in Nilgiri (Tamil Nadu)	59-60

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
364	पानीपत में हथकरघा उद्योग का किया गया अध्ययन	Study undertaken of Handloom Industry of Panipat	60
365	नक्सलवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल में एक लम्बी पद यात्रा अभियान के लिये प्रस्ताव	Naxalites proposal for a long march in West Bengal	60-61
366	विदेशों में भारतीय गुलाबों की मांग	Demand for Indian Roses in Foreign Countries	61
367	सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of age limit for entering Government service	61-62
368	योजना आयोग पर हो रहे व्यय में वृद्धि	Increase in Expenditure on Yojana Ayog	62-63
369	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गुलाबों का निर्यात	Export of Roses through STC	63
370	स्वतन्त्रता सेनानियों को वृद्धावस्था पेन्शन देने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को ज्ञापन	Memorandum presented to Prime Minister Re : Old Age Pension to Freedom Fighters	63
371	रुई के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of cotton	63
372	भारत फ्रांस व्यापार करार	Indo French Trade Agreement	64
373	बीकानेर डिवीजन में डाकघरों का किराये के मकानों में होना	Post Office in Bikaner Division in Rented Buildings	64-65
374	राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के डाक तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Post and Telegraph Quarters for Staff of Bikaner Division in Rajasthan	65
375	रूस के साथ रुई व्यापार समझौता	Cotton Trade Agreement with USSR	65
376	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	66
377	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Managanese Ore	66-67
378	राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात	Exports made by State Trading Corporation	67-68
379	पश्चिम बंगाल में हुई हत्याएं	Murders commited in West Bengal	68
380	डाक के वितरण में देरी	Delays in Delivery of Mails	68-69
381	विदेश व्यापार नीति	Foreign Trade Policy	69
382	शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों को विशेष भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव	Grant of Special Allowance to Sheikh Abdullah and his Associates	69

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
383	केरल के काफी उत्पादकों से अभ्यावेदन	Representation from Coffee Growers of Kerala	69-70
384	काजू के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalistation of Export Trade of Cashewnuts	70
385	काजू उद्योग का औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना	Bringing Cashew Industry under Industrial Relations Act	70-71
386	कानपुर के सूती कपड़ा मिलों में संकट	Crisis in Textile Mills, Kanpur	71
387	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वज का प्रयोग	Flag of the President of India	71
388	भारत को दिये गये टैरिफ अधिमानों का बन्द किया जाना	Discontinuance of Tariff Preferences Extended to India	71
389	विदेशों से आने वाले व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा	Visit by Foreign Trade Delegation to India	72
390	संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills	72-73
391	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Administrative Reforms Commission	73
392	लुधियाना में ऊनी होजरी उद्योग में मन्दी	Slump in Woolen Hosiery Industry in Ludhiana	74
393	रेडियो पर चीन द्वारा कथित भारत विरोधी प्रचार	Alleged Chinese Anti India Propaganda over Radio	74
394	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तार घरों का न होना	Absence of Telegraph offices in Hilly Areas of U. P.	74-75
395	पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में नए डाक घर	New Post Offices in Pithoragarh U. P.	75
396	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों तथा वार्ताकारों की दी जाने वाली फीस की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Rates of Fees to AIR Staff Artistes and Talkers	75
397	लिपजिग मेले में भाग लेना	Participation in Leipzing Fair	75-76
398	मंत्रालयों में कार्य करने वाले हिन्दी अधिकारी	Hindi Officers working in Mantralayas	76
399	संयुक्त अरब गणराज्य को नायलोन के टायरों के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Nylon Tyres to UAR	76-77

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
400	संकटग्रस्त पटसन मिलों का फिर से चालू किया जाना	Revival of Sick Jute units	77-78
401	भारतीय हथकरघे के सामान का निर्यात	Export of Indian Handloom	78
402	भूतपूर्व नरेशों के आश्रित	Dependents of Former Rulers	78
403	भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध मुकदमें दायर करने की अनुमति	Permission to file private cases against Former Rulers	78-79
404	सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	I. C. S. and I. A. S. Officers working in Public Undertakings	79
405	भूतपूर्व नरेशों के कृषि फार्म	Farms of Former Rulers	79
406	केरल के रबड़ उत्पादकों की शिकायतें	Grievances of Rubber Growers of Kerala	80
407	केरल से निर्यात योग्य उत्पादों की जांच	Survey of exportable products from Kerala	80
408	पाकिस्तान में हाल ही में हुए गृह-युद्ध के पश्चात गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak spies apprehended after recent Civil Way in Pakistan	80-81
409	तार तथा टेलीफोन इन्जीनियरिंग अधिकारियों का आई० टी० आई० बंगलौर और इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति हेतु चयन	Selection of Telegraph and Telephones Engineering Officers for deputation to ITI Bangalore and Allahabad	81-82
410	चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in export of Leather goods	82-83
411	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	83
412	त्रिपुरा में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of essential commodities in Tripura	83-84
413	प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Press Council Act	84-86
414	बंगला देश के साथ गैर सरकारी स्तर पर व्यापार	Unofficial Trade with Bangla Desh	86
416	फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के विद्यार्थियों द्वारा लम्बी हड़ताल	Prolonged strike by students of Film and Television Institute, Poona	86
417	भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of age limit for recruitment to Indian Administration Service	86-87
418	तेलंगाना समस्या का समाधान	Solution of Telengana Problem	87

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
419	पांडीचेरी को राज्य का दर्जा	Statehood for Pondichery	87
420	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute	87
421	औद्योगिक (विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कपड़ा मिलों की जांच	Investigation against Textile Mills under Industries (Development and Regulation) Act, 1951	87-88
422	पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Tea Estates in West Bengal	88-89
423	बंगाल देश से सम्बन्धित आकाशवाणी से प्रसारित समाचार	AIR News broadcast re. Bangla Desh	89
424	भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Maithili Language in Eighth Schedule of Indian Constitution	89
425	पटसन के उत्पादनों के मूल्य बढ़ाने या उस पर से शुल्क घटाने की मांग	Demand for increase of price of Jute products or reduction of duty thereon	89-90
426	मध्यावधि चुनाव के पश्चात राजनीतिक दलों द्वारा हरिजनों पर कथित अत्याचार	Alleged harasment of Harijans by Political Parties after Mid Term Elections	90
427	आकाशवाणी दिल्ली में अपने कार्यक्रम देने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक	Delhi University Teachers for programme over AIR Delhi	90-91
428	राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्यायें	Political murders in West Bengal during President's Rule	91
429	कलकत्ता में चुनाव पूर्व गिरफ्तारियां	Pre-election Combing operations in Calcutta	91
430	पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills in West Bengal	91-92
431	कलकत्ता के दैनिक पत्रों द्वारा अखबारी कागज के नियन्त्रण आदेश का कथित उल्लंघन	Alleged violation of Newsprint Control order by Calcutta Dailies	90
432	भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण	Reservation for S. C. and S. T. employees in Ministries/Departments	93-94
433	डाक तथा तार विभाग, आसाम के अधीन नियुक्त आसाम मूलक व्यक्ति	People of Assamese origin on pay-role of P and T Department, Assam	94-95

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
434	भारत के निर्यात में सुधार	Improvement in India's Exports	95
435	प्रतापगढ़ चाय बागान अगरतला (त्रिपुरा) के कार्यों की जांच	Investigation into affairs of Partapgarh Tea Estate Agartala (Tripura)	95
436	त्रिपुरा का विकास	Development of Tripura	95-97
437	त्रिपुरा में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government employees on deputation to Tripura	97
438	त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scale of Tripura employees	97-98
439	त्रिपुरा प्रशासन में बंगला भाषा का प्रयोग	Use of Bengali language in Tripura Administration	98
440	अहमदाबाद स्थित वकील जहांगीर मिल का बन्द होना	Closure of Vakil Jahangir Mills of Ahmedabad	98-99
442	झुंझुनु के लिये सीधे टेलीफोन लाइन का प्रसार	Extension of direct telephone line to Jhunjhunu	99
443	कम लागत पर टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of T. V. Set at reduced price	99-100
444	समुद्री संक्षारण अनुसन्धान केन्द्र, डिगा	Marine Corrosion Research station, Digha	100
445	विभिन्न राज्यों में पटसन मिलों की स्थापना	Setting up of jute Mills in various states	101
446	नायलोन टायरों का निर्यात	Export of Nylon tyres	101-102
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of urgent public Importance	102-105
	नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया से साठ लाख रुपये से भी अधिक की रकम गबन किये जाने का समाचार	Reported misappropriation of over sixty lakhs of rupees from the State Bank of India New Delhi	
	श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	102
	श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	102
	सभा-पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में	Re. Papers Laid on the Table	105-107
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	107-112
	समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committee	112-114
	(एक) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(दो) लोक लेखा समिति ; और	(ii) Public Accounts Committee ; and	
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	(iii) Committee on Public Undertakings	
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	114
पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आने के बारे में चर्चा	Discussion re. Influx of refugees from East Bengal	114-125
श्री रामदेव सिंह	Shri Ram Deo Singh	114-115
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	115-116
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	116-118
प्रो० एम० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	118-119
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	119-120
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	120-122
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	122-125
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Annual Report of University Grants Commission for 1968-69	125-132
श्री दण्डपाणि	Shri Dhandapani	125-126
श्री राजाराम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri	126-127
श्री एम० सी० डागा	Shri M. C. Daga	127
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	127-129
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallanna	129-130
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey	130
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	130-132
रेलवे बजट, 1971-72-सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1971-72 General Discussion	133-134
श्री दिनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	133
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	134

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 मई, 1971 / 5 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Wednesday, May 26, 1971 / Jyaistha 5, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री एस० एस० महापात्र (बालासोर)

मन्त्रियों के पदनामों तथा मन्त्रालयों के नामों के बारे में
RE : DESIGNATIONS OF MINISTERS AND MINISTRIES

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 61

श्री कल्याण सुन्दरम् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्रियों के पदनामों और मन्त्रालयों के नामों के हिन्दीकरण के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना पर सदन में हुए उत्तेजनात्मक वाद-विवाद से आप अवगत हैं। "द्रमुक' के सदस्यों ने इसी बात पर प्रश्न-काल की कार्यवाही में भाग न लेने का निर्णय किया है। यद्यपि हमने इस मामले में उनका साथ नहीं दिया, फिर भी हमें उनसे कम रोष नहीं है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूँ कि लोक-सभा ने यह अधिसूचना स्वत: क्रियान्वित क्यों की जब कि यह अधिसूचना केवल सरकार द्वारा जारी की गई है। प्रश्न-सूचियों के मुद्रण के लिए उत्तरदायी कौन है ? मेरे विचार से इसका उत्तरदायित्व लोक-सभा के अध्यक्ष पर है। अत: अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व वह दलों के नेताओं से विचार विमर्श कर लें। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय इस समस्या को हल करने के लिए दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे ? सरकार को अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। अत: मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि इसका सम्बन्ध सदन की कार्यवाही से है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मैं भी माननीय सदस्य श्री कल्याण सुन्दरम् के कथन से सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर कुछ किया जाना चाहिए। हम इस मामले को बीच में ही नहीं छोड़ सकते।

श्री बालतन्डायुतम : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले भी यह मामला सदन में उठाया गया था । माननीय प्रधान-मन्त्री ने बैठक बुलाना स्वीकार कर लिया था और सदन भी इस बात पर सहमत था । पहले सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी उसके बाद दूसरी अधिसूचना जारी की गई । हमने पहले ही शुद्धि-पत्र जारी कर दिया है । सरकार ने अपने निर्णय में परिवर्तन किया है । अब पहले अंग्रेजी में नाम दिया जाएगा और बाद में हिन्दी में दिया जायगा । मेरे विचार में यह एक अच्छा समाधान है ।

श्री कल्याणसुन्दरम : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति का आदेश जारी होने पर उसे क्रियान्वित करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं ।

श्री कल्याणसुन्दरम : राष्ट्रपति के आदेश का सम्बन्ध सरकार के कार्य चालन से है न कि सदन के कार्य-चालन से । सदन स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य करता है ।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में जब ऐसे आदेश जारी किए जाने हों तो मैं राष्ट्रपति से प्रस्ताव करूंगा कि यदि आदेश सदन की कार्यवाही या सदन से सम्बन्धित अन्य मामलों में बाधक हों, तो उस समय हमारे विचार भी जान लिए जावें ।

श्री कल्याणसुन्दरम : क्या इस मामले में विचार-विमर्श किया गया था ? मेरे विचार से कोई-विचार विमर्श नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह प्रस्ताव करूँगा तो स्वाभाविक है कि मुझसे परामर्श लिया जाएगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 'लोक-सभा' नाम स्वीकृत किया गया था तो स्वयं श्री मावलंकर ने अध्यक्ष-पीठ से सदन में इस बात की घोषणा की थी और उसके बाद ही हमने नाम में परिवर्तन किया था । अतः जो परम्परा चली आ रही है उसी को बनाए रखना चाहिए ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मेरे विचार में अध्यक्ष को राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहिए कि वह जारी की गई अधिसूचना को वापिस ले लें क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष महोदय से परामर्श नहीं लिया ।

श्री कल्याणसुन्दरम : मेरा अनुरोध है कि सदन में अधिसूचना के बारे में चर्चा करने की अनुमति दी जाए अन्यथा मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाऊँगा । मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना पहले ही दे दी है, क्योंकि यह सदन के कार्य से सम्बन्धित है ।

Shri R. C. Vikal : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order. My first question is that you have often ruled that no point of order should be raised during the Question-Hour. But we have been seeing for the last 3 days that the points of order are being repeatedly raised during the Question Hour.

Mr. Speaker : That is why the hon. Member himself is doing so ?

Shri R. C Vikal : I am raising it because inspite of your repeated ruling, the hon. Members are being allowed to raise points of order.

Mr. Speaker : There is no point of order involved. Only there is a controversy about it on which submissions are being made.

Shri R. C. Vikal : I would like to suggest that when there is such a bitter controversy on the question of national language, it should be allowed to be debated in the House. When tempers are running high, it would be better to place the matter before the House.

Mr. Speaker : In fact, it is a question of appreciation of other's sentiments.

Shri Bhagwat Jha Azad : Every-one has sentiments. Sentiments are not localised. When the matter has reached it's climax how long can it be suppressed ? What is it, give a threat and get anything done ?

Shri Ram Deo Singh : The Constitution is explicit on the question, accordingly there can be no compromise as regard Hindi.

Mr. Speaker : You have become very smart since the time you left the Ministry.

Shri Bhagwat Jha Azad : I was smart earlier too. But you were not the Speaker then. You should please avoid such remarks. I never said anything to invite such a remark which you should not have made. If you make such remarks, I shall be constrained to retaliate.

Mr. Speaker : The hon. Member was saying yesterday also what he is saying today.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

योजना आयोग का पुनर्गठन

+

*61. **श्री निहार लास्कर :** **श्री पी० गंगादेव :**

श्री मायावन :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने समाजवादी कार्यक्रम के लिए लोगों की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से योजना आयोग का पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) क्या वर्तमान चौथी पंचवर्षीय योजना में कतिपय भारी परिवर्तन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परिवर्तन कौन से हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग का पुनर्गठन हो रहा है और इसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(घ) योजना आयोग के पुनर्गठन के बाद चौथी योजना का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा।

श्री निहार लास्कर : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से कुछ स्पष्ट नहीं होता। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना के क्रियान्वयन पर जोर देना आवश्यक है और योजना आयोग इस दिशा में सफल नहीं हुआ है। प्रायः देखने में आया है कि योजना-लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्य के बीच अन्तर रहता है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि योजना आयोग के पुनर्ग-

ठन द्वारा माननीय प्रधानमन्त्री किस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति करेंगी। क्या आयोग का पुनर्गठन परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है ?

श्री मोहन धारिया : पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार किया जाएगा और साथ ही इस बारे में भी स्वभावतः विचार किया जाएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री निहार लास्कर : मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना आयोग के पुनर्गठन पर विचार करते समय क्या यह भी देखा जाएगा कि योजना आयोग प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में भावी मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करे। इस मामले में योजना आयोग अभी तक असफल रहा है।

श्री मोहन धारिया : पुनर्मूल्यांकन के बाद स्वाभाविक है कि प्राथमिकताएं नियत की जायेंगी और जनता की मांगों तथा उनसे किए गए वायदों को पूरा करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पूंजी विनियोग ढांचे में किस व्यवस्था द्वारा और कहां तक कृषि विकास के हित में परिवर्तन किया जाएगा ?

श्री मोहन धारिया : चौथी पंचवर्षीय योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। अनौपचारिक रूप से एक तालिका बना ली गई है और योजना आयोग के पुनर्गठन के बाद इन पहलुओं पर विचार किया जाएगा ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : योजना आयोग के पुनर्गठन से सरकार का सही अभिप्राय क्या है ? क्या इसका अर्थ केवल कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति से है अथवा इसके ढ़ांचे में परिवर्तन करने से है ? क्या यह सच है कि योजना आयोग के सदस्यों से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था और इस सम्बन्ध में सूचना भारत-सरकार के सचिव द्वारा उनको भेजी गई थी ?

योजना मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस विषय पर बाद में अलग प्रश्न पूछा गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग के पुनर्गठन का अर्थ केवल नए अधिकारियों की नियुक्ति करना है अथवा इसके ढांचे में परिवर्तन करना भी है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य को केवल एक प्रश्न पूछना चाहिये। यदि वह दो प्रश्न पूछते हैं तब यह मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं दोनों में से किस एक प्रश्न का उत्तर दूं। इसीलिये मैंने द्वितीय भाग का उत्तर दिया है। यदि वह प्रश्न के पहले भाग का उत्तर पूछना चाहते हैं·········(**व्यवधान**)

बहुत से माननीय सदस्य उठ खड़े हुये—

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपका कार्य प्रश्नोत्तर काल को विनियमित करना नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अपनी इच्छानुसार उत्तर नहीं दे सकते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : देखिये ! मन्त्री महोदय कितने निर्भीक हैं। इसे कोई सहन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय प्रश्न के दोनों भागों को एक प्रश्न ही समझें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। जहां तक योजना आयोग के ढाँचे में परिवर्तन का प्रश्न है, यह मामला भी विचाराधीन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है ; क्या किसी सचिव के द्वारा योजना आयोग के सदस्यों को यह सूचना भेजी गई थी कि वे अपना त्यागपत्र दे दें। इस बात की बहुत

अधिक चर्चा हुई है, और वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यह अभियोग लगाया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो० गाडगिल से त्याग पत्र देने को कहा गया–उनकी सेवायें लगभग समाप्त कर दी गयी। और इसी कारण उनकी मृत्यु शीघ्र हो गई। प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष श्री गोरे ने यह अभियोग लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात विषय संगत नहीं है। आपने ढांचे में परिवर्तन के विषय में प्रश्न किया है। मन्त्री महोदय ने परिवर्तन के लिये, हाँ, कहकर उत्तर दिया है। जब तक दूसरे मामलों को सम्बन्ध है आप उनके सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्य उठ खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। गत सत्र में हम थोड़े समय के लिये ही मिल पाये थे। सभी नये सदस्यों से परिचित हो जाना बड़ा कठिन है। मेरे विचार से इस सत्र के दौरान जो काफी बड़ा है हम सभी से परिचित हो जायेंगे। जब कभी मुझसे किसी सदस्य के नाम का सही उच्चारण नहीं हो पाता है, तो कृपया सदस्य मेरे से सहयोग करें। उदाहरणार्थ, श्री विकल को मैं विकाल कहकर पुकारता रहा था। उन्होंने बताया कि यह शब्द 'विकल' है और इस प्रकार उन्होंने गलती का सुधार कर दिया।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : जब तक क्रियान्वयन पर योजना आयोग का कोई नियंत्रण नहीं होगा तब तक योजना आयोग के पुनर्गठन से लोगों की समाजवादी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है; क्या कुछ कार्यकर्ताओं की अदल-बदल से इस उद्देश्य की पूर्ति हो जायगी ?

श्री मोहन धारिया : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। सभी पहलू विचाराधीन हैं। सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आज योजना आयोग तथा सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित है क्योंकि योजना कार्य योजना मन्त्री के अधिकार में हैं और वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं।

श्री के० लकप्पा : इच्छा पूर्ति के लिये देश में नये परिवर्तन लाने का जो आश्वासन जनता को दिया गया है, तो क्या देश के दुर्बल वर्गों की आर्थिक स्थिति के विकास की गति को तेज करने के लिये नये परिवर्तनों हेतु योजना आयोग को समाजवादी विचारधारा की ओर मोड़ने के लिये सरकार ने कोई नये प्रस्ताव रखे हैं ? इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने जो कार्यक्रम बनाया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री मोहन धारिया : हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमने जनता को जो आश्वासन दिये हैं उन्हें पूरा किया जा सके और योजना के महत्वपूर्ण माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जा सके। जहां तक दूसरे पहलुओं का सम्बन्ध है उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० लकप्पा : कार्यक्रम की मुख्य बातों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

श्री मोहन धारिया : ये सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी : जब से प्रेस में योजना आयोग के स्तर के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के नये आदेश की घोषणा की गई है तब से यह विषय कुछ विवादास्पद रहा है। पहले योजना आयोग मन्त्रि मन्डल की आर्थिक समिति के रूप में था। अब सभी योजना सम्बन्धी कार्यों तथा उनके

क्रियान्वयन के लिये योजना मन्त्री को उत्तरदाई बना दिया गया है। योजना आयोग की वास्तविक स्थिति के विषय में सरकार का क्या विचार है; क्या अब भी यह मन्त्रि मंडल की आर्थिक समिति के रूप में कार्य करेगा अथवा योजना मन्त्रालय की सलाहकार समिति के रूप में ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह एक राष्ट्रीय आयोग है। यह मन्त्रिमंडल की आर्थिक समिति नहीं है बल्कि सभी राज्य सरकारों सहित समस्त देश के लिये एक आयोग है। इसी स्तर को बनाये रखा जायगा। जहाँ तक योजना आयोग के स्तर का सम्बन्ध है उसे नीचा नहीं होने दिया जायगा।

निजी थैलियों की समाप्ति

+

* 62. **श्री एस० सी० सामन्त :** **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी थैलियों की समाप्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या मुआवजा देने के लिये कोई सूत्र तैयार किया गया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क), (ख) तथा (ग) : भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों के प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों को उपयुक्त संवैधानिक उपायों द्वारा समाप्त करने के सरकार के इरादे की घोषणा 23 मार्च, 1971 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है। इस बारे में सरकार ने आवश्यक कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही के समाचारपत्रों में एक इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में भूतपूर्व नरेश स्वयं ही एक सर्वमान्य सिद्धान्त पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमने कुछ भूतपूर्व नरेशों द्वारा दिये गये वक्तव्यों से सम्बन्धित प्रेस समाचार देखे हैं जिसमें सरकार से बात-चीत करने की उनकी सामान्य इच्छा व्यक्त की गई है। किसी ठोस सर्वमान्य सिद्धान्त के विषय में हमने कुछ नहीं सुना है।

प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वक्तव्यों की प्रतियां हमें प्राप्त हुई हैं।

Shri K. M. Madhukar : It was propagated by Congress party during elections and was also declared by the Government that privy purses of the Princes would go. But from the Statement of the Minister and the Press reports it appears that the Government, after having a compromise with them, is trying to take them in the ruling party. Will it be in accordance with the ideals of Socialism ? I would like to know, whether the Government is considering to move such a Bill under which privy purses could go without any compensation. I would like to have a categorical answer regarding the time by which the Bill is to be brought before the House.

Shri K. C. Pant : Whichever proposals Government have to bring forth, they would be moved in this House. They are being prepared. Nothing can be said about those proposals at this stage.

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि विधेयक कब लाया जाय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात माननीय प्रधान मंत्री ने सदन में तथा सदन के बाहर यह कहा है कि उनकी इच्छा संविधान में संशोधन करने की है जिससे जब ये प्रिवीपर्स समाप्त किये जायें तो भूतपूर्व नरेश सर्वोच्च न्यायालय में न जा सकें और सर्वोच्च न्यायालय संसदीय कार्यों पर निर्णय न दे सके। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदन में विधेयक कब तक लाया जायगा तथा संविधान में संशोधन करने के लिये तथा यह आश्वासन देने के लिये कि ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय रद्द नहीं करेगा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय मित्र ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त उत्पन्न कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है। वास्तव में कानून बनाने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव की रूप-रेखा तैयार करने से पहले इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से विचार किया जायगा। हम इस मामले से सम्बन्धित विधेयक शीघ्र से शीघ्र लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि संभव हुआ तो इसी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या संविधान में संशोधन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और संविधान में कब तक संशोधन कर दिये जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी यही कुछ कहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि इस मामले में संविधान बाधा बनकर उपस्थित होता है इसलिये यह आश्वासन दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय तथा संविधान को बाधक नहीं बनने दिया जायगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब हम किसी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो इससे अधिक कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। यदि संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा तो निश्चय ही सरकार संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक लायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : जनता ने क्षतिपूर्ति देने के विरोध में अपना मत व्यक्त किया है। यदि मैंने मंत्री महोदय के उत्तर को ठीक प्रकार समझा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का विचार किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देने का नहीं है, और इस सम्बन्ध में बहुत शीघ्र एक विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में, मुआवजे का प्रश्न पहले भी नहीं उठा था, क्योंकि हमारा विचार अस्थाई रूप से कुछ राशि देने का था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सारा मामला विचाराधीन है और इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Satpal Kapur : The hon. Minister has just now stated that the matter is under consideration I would like to know whether the Government have decided their policy regarding compensation. The formula to work out the Compensation would be evolved later on. We want only this assurance from the Government that no Compensation would be paid, because the mandate of the people has been against Compensation.

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, Sir, This is a complicated question. Compensation is to be paid when some property is taken over. We had prepared a Bill in which privy purses were not taken as a property. Therefore, we have provided for **exgratia** payment. This is a complicated legal question and the Government is actively considering over it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में श्री फतेह सिंह राव गयकवाड़ का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था जिसमें सुझाव दिया गया है कि कानूनी तथा सांविधानिक कार्यवाही करने की अपेक्षा सरकार के लिये उचित यह है कि वह भूतपूर्व नरेशों के साथ पुन: बातचीत आरम्भ करे, कि परस्पर बातचीत द्वारा इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि वे कानूनी तथा सांविधानिक उपाय को, बातचीत के नाम पर पहले की तरह रोके नहीं रखेगी और मामले में उचित सांविधानिक कार्यवाही को भूतपूर्व नरेशों के साथ बातचीत के बहाने अनिश्चित काल के लिये पुनः स्थगित नहीं रखा जायगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कई ओर से दबाव के होते हुए भी, हमारा प्रयत्न पथ-भ्रष्ट होने का नहीं है।

Shri R. S. Pandey : The rulers do not want compensation but desire that they should continue to get full Privy purses. In this context, the people have given their verdict in the last election. As a result there of, there has been change of heart of the Rulers and they have become socialists. If they do not want money why does the Government want to pay them ? After all, people like Shri Gaekwad do not need any money. They have stated that they don't need money. Why do they insist on offering them money as compensation ?

Shri K. C. Pant : There is no insistence from our side.

तमिलनाडु सरकार द्वारा एक योजना आयोग का स्थापित किया जाना

+

*65. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** **श्री एस० राधाकृष्णन :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के लिये अलग से योजना आयोग गठित कर लिया है;

(ख) क्या इस राज्य आयोग के कार्य किसी भी रूप में, विशेषतया औद्योगिक बिकास के क्षेत्र में केन्द्रीय योजना आयोग के कार्यों को अतिव्याप्त करेंगे;

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों योजना निकायों के बीच कैसे समन्वय रखा जायेगा; और

(घ) क्या कोई अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसा समझा जाता है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने राज्य के लिए हाल ही में एक योजना आयोग की स्थापना की है। राज्य सरकार से पूर्ण जानकारी मांगी गई है तथा प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य राज्यों में सरकारों के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : तमिलनाडु के योजना आयोग के निर्देश-पदों में एक यह भी है कि देश के संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित किये जायें कि सामान्य जनता को लाभ पहुंचे तथा सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों के कुछ व्यक्तियों में केन्द्रीयकरण को रोका जा सके। 'संसाधनों का स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण,' इन शब्दों से कुछ संदेह उत्पन्न होता है। यदि इस का अभिप्राय औद्योगिक क्षेत्र से है, तो इसका केन्द्रीय योजना आयोग के कार्यों से टकराव अवश्य होगा क्योंकि औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनका इस वाक्य से क्या अभिप्राय है।

श्री मोहन धारिया : तमिलनाडु सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की है जबकि अन्य राज्यों में योजना समितियां तथा योजना बोर्ड हैं। जहां तक राज्य योजना बोर्डों अथवा समितियों का सम्बन्ध है प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्य योजना आयोग को उन्हीं सिफारिशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग तथा राज्य योजना आयोग के मध्य कोई संघर्ष होगा। अन्ततः राष्ट्रीय विकास परिषद देश के पूरे योजना कार्यो का समन्वय करती है।

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : जबकि राज्य सरकारें पहले से ही केन्द्र से अधिक वित्तीय शक्तियां लेना चाहती हैं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा योजना बोर्ड के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना से वे केन्द्र तथा राज्य योजना आयोगों के माध्यम से वित्तीय शक्तियों के बटवारे को नया रूप देना चाहते हैं ?

श्री मोहन धारिया : राज्य स्तर पर योजना बोर्डों तथा योजना समितियों के गठन से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।

श्री एस० राधाकृष्णन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने 16 मार्च के प्रेस सम्मेलन में कहा था कि द्रु० म० क० केन्द्र से आग्रह करेगा कि तमिलनाडु के उचित आर्थिक तथा औद्योगिक विकास एवं केन्द्र के पास संग्रहीन लाइसेंसिंग शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिये राज्य योजना बोर्ड की स्थापना की जाये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य में ऐसे योजना बोर्ड की स्थापना से केन्द्र की संघीय तथा वित्तीय संबन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा क्या इस बारे में कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नियत किये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रशासनिक सुधार आयोग की योजना सम्बन्धी रिपोर्ट में पहले ही दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि योजना बोर्डों/समितियों की स्थापना से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में कोई संघर्ष उत्पन्न होगा, अपितु यह सम्बन्ध तो संविधान के उपबन्धों के अनुसार नियमित होते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दिल्ली में केन्द्रीय योजना आयोग है। यदि तमिलनाडु में एक और योजना आयोग स्थापित किया जाता है तो इससे कुछ भ्रम उत्पन्न होना सम्भव है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे तमिलनाडु सरकार को मंत्रणा देगी कि वे इसे योजना बोर्ड अथवा योजना समिति का नाम दें। वे तो मंत्रियों के पदनामों के हिन्दी रूपों का भी विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार उन्हें परामर्श नहीं दे सकती कि वे अपने योजना सम्बन्धी निकाय को योजना आयोग न कह कर योजना बोर्ड अथवा योजना समिति कहें ?

श्री मोहन धारिया : तमिलनाडु सरकार इसे राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना आयोग

अथवा राज्य योजना समिति कुछ भी कहने में सर्वथा सक्षम है। मैं समझता हूं कि हमें इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : तब दो योजना आयोग हो जाएंगे।

श्री मोहन धारिया : वह राज्य योजना आयोग होगा। हमारा राष्ट्रीय योजना आयोग है।

श्री के० सूर्यनारायणन : जैसा कि मेरे मित्र श्री एस० राधा कृष्णन ने कहा है, तमिलनाडु की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि उन्हें अपना योजना आयोग नियुक्त करने की अनुमति दी जाये। यदि यही बात है, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोहन धारिया : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि राज्य सरकार से पूरा विवरण मांगा गया है तथा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

समाचारपत्रों पर बड़े व्यापार गृहों का एकाधिकार

*66. **श्री बालतन्डायुतम** :क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के समाचार पत्रों पर बड़े व्यापार-गृहों का कितनी सीमा तक एकाधिकार है ; और

(ख) इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार ने यदि कोई उपाय किये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) 1970 में प्रकाशित समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट **'प्रेस इन इण्डिया'** के अनुसार 1969 के अन्त में समान स्वामित्व वाली 65 यूनिटें थीं जो 222 समाचार प्रधान समाचारपत्रों (170 दैनिक पत्रों को मिला कर) की मालिक थी। इसके विपरीत, 1969 के अन्त में 3,739 समाचार **प्रधान समाचार-पत्र** (702 दैनिक पत्रों को मिलाकर) विद्यमान थे। वर्ष 1969 के दौरान सभी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की कुल **परिचालन** संख्या लगभग 270 लाख प्रतियां थीं, जिनमें से 62 लाख 72 हजार प्रतियां या 23.3 प्रतिशत प्रतियां **समान स्वामित्व** वाली यूनिटों के समाचार प्रधान समाचार-पत्रों की थीं।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें भारतीय समाचारपत्रों में एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा अब तक उठाये गए कदम दिए गए हैं।

विवरण

सरकार समाचार-पत्र उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रण, जिससे विचारों का एकमार्गीकरण हो सकता है, के खतरे से पूरी तरह सजग है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को यथासम्भव रोकने के लिए उत्सुक है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. प्रेस रजिस्ट्रार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व का हर साल **पुनर्विलोकन** करता है तथा समान **स्वामित्व वाली यूनिटों के विकास** का अध्ययन करता है और 'प्रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक में प्रकाशित करता है, ताकि समाचारपत्रों के स्वामित्व से संबंधित तथ्यों से जनता परिचित हो सके।
2. प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत बनाई गई समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के अधीन समाचारपत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर वर्ष फरवरी मास के अन्तिम दिन के बाद के अपने पहले अंक में, अन्य

बातों के साथ-साथ, समाचारपत्र के मालिकों और कुल **शेयर पूंजी** के एक प्रतिशत से अधिक के शेयर रखने वाले शेयर होल्डरों या **पार्टनरों** से संबंधित जानकारी प्रकाशित करें। इसका उल्लंघन करना **"प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम,** 1867" के अन्तर्गत एक अपराध है जिसके लिए दण्ड स्वरूप 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

3. अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति के अन्तर्गत, समाचारपत्र समूह को नया पत्र निकालने के लिए अतिरिक्त अखबारी कागज नहीं दिया जाता।

4. दिवाकर समिति की सिफारिश पर, **मुद्रण एवं कम्पोजिंग यन्त्रों** के लिए हर वर्ष उपलब्ध की जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में से, 50 प्रतिशत राशि छोटे समाचारपत्रों (15,000 तक परिचालन संख्या वाले), 35 प्रतिशत मझोले समाचारपत्रों (15,000 से 50,000 तक परिचालन संख्या वाले) और केवल 15 प्रतिशत राशि बड़े समाचारपत्रों (50,000 से अधिक परिचालन संख्या वाले) को अलाट की जाती है।

5. सरकारी विज्ञापनों को देने की नीति यह है कि विज्ञापन समाचारपत्रों को बारी-बारी से दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये जा सकें और ज्यादा परिचालन संख्या वाले समाचारपत्रों को ही सरकारी विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा न मिले। सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

6. बड़े समाचारपत्रों द्वारा छोटे समाचारपत्रों को दबाने, निर्बल करने और समाप्त करने के लिये, जिसके संबंध में प्राय: शिकायत रहती है, अपनाई गई अनुचित **प्रतियोगिता और/या निर्बन्धात्मक तरीकों,** यदि कोई हों, के बारे में प्रथम तथा सविस्तार तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेस परिषद द्वारा स्थापित एक उप समिति ने सभी भाषाओं के उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को, जिनकी परिचालन संख्या 5,000 प्रतियां या इससे अधिक थी, एक पत्र भेज कर उनसे विशिष्ट **सूचना और उदाहरण** मांगें। उत्तर में केवल दस दैनिकों तथा चार साप्ताहिकों ने ऐसे विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया जो उनके विचार में बड़े समाचारपत्रों द्वारा अपनाए गए **निर्बन्धात्मक** तरीके थे। इस समय परिषद निर्बन्धात्मक तरीकों के उदाहरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्रित करके जांच कर रही है।

7. **छोटे** तथा **मझोले** दर्जे के समाचारपत्रों के स्वस्थ विकास के लिए सरकार इन्हें, न कि बड़े समाचारपत्रों को, आर्थिक सहायता देने के लिए समाचार पत्र **वित्त निगम** की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

8. (अ) सरकार का यह विचार है कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाये हैं, यदि वे उठाये नहीं गए होते, तो **शृङ्खला** वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि कहीं अधिक होती। तथापि यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितने **प्रभावकारी** हुए हैं। सरकार का यह विश्वास है कि शृङ्खला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए जो अच्छे आधार पर चलाये जाते हैं और जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ सम्पादकीय नीति अपनाते हैं। सरकार को विश्वास है

कि इस मामले में पहले ही उठाए गए तथा आगे उठाये जाने वाले कदम छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में अत्यन्त सहायक होंगे और इस प्रकार शृङ्खला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोका जा सकेगा।

(ब) लघु समाचार पत्र सम्बन्धी दिवाकर समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने आकाशवाणी से धीमी गति वाले एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण आरम्भ किया है जिसमें महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, विशेषकर उन छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचार पत्रों के लिये जो आर्थिक कारणों से **समाचार एजेन्सियों** की सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

समाचारपत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का विभागीय अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

श्री बालतन्डायुतम : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रेस आयोग ने 1954 में अपनी रिपोर्ट दी थी और 1956 में पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी आदेश दिया गया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया और दो अन्य सिफारिशें भी की गई थीं यथा स्वामित्व का विसरण करना और पी० टी० आई० और यू० एन० आई० का सार्वजनिक निगम बनाना ? यदि सरकार यह सब जानती है तो क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि इस सिफारिश को किस आधार पर इतनी जल्दी अस्वीकार कर दिया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के एकाधिकार से निपटने हेतु किये गये उपाय, जो विवरण में बताये गये हैं, पर्याप्त हैं ? क्या सरकार उसी सांप को फिर दूध पिलायेगी जिसने कि उसे अभी-अभी काटा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं यह स्वीकार करती हूं कि समाचार-पत्रों के एकाधिकार पर नियंत्रण रखने के लिए किये गये उपाय पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी, हमारा यह विश्वास है कि हमें छोटे समाचार पत्रों की सहायता करनी चाहिए जो बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के एकाधिकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली ढंग है। इसके अतिरिक्त कम्पनी कार्य विभाग ने समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व सम्बन्धी आधार का विभागीय अध्ययन शुरू कर दिया है।

श्री बालतन्डायुतम : क्या सरकार समाचार-पत्रों के स्वामित्व सम्बन्धी एकाधिकार में मूलभूत परिवर्तन करने का विचार कर रही है ? जब सरकार के विचार से अभी पर्याप्त उपाय नहीं किये गये तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने के बारे में विचार कर रही है ? मुझे इसके बारे में आश्वासन मिलना चाहिये।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : कम्पनी कार्य विभाग इसका अध्ययन कर रहा है और हम इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात ही हम इसके बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि समाचार पत्रों की शृङ्खला के एकाधिकार पर नियंत्रण हेतु लगाये गये प्रतिबन्धों को इन समाचारपत्रों को छोटे पत्रों की कीमत पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले बहुत से विज्ञापन देकर समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार की प्रतियोगिता से छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं मिल पाते। यदि ऐसा हो तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों की

आवश्यक सहायता हेतु और यह देखने हेतु कि बड़े समाचारपत्रों के लाभ के लिए अनुचित रूप से विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे, क्या सरकार का विचार समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने का है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सरकार इस सत्र में समाचारपत्र वित्त निगम सम्बन्धी विधेयक लाने पर विचार कर रही है। सरकार की विज्ञापनों सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जी भी देश के समाचारपत्रों के एकाधिकार से चिंतित थे और इसे प्रजातन्त्र के लिए घातक तथा हानिकारक समझते थे। क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि किस प्रकार यह समाचारपत्र झूठे समाचार देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं ? यदि हां, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार समाचार पत्रों पर कुछ नियंत्रण करने या उनका समाजीकरण करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : समाचार-पत्रों द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है, सरकार उससे भलीभांति परिचित है और जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं हम साझा स्वामित्व पद्धति को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, while curbing the monopoly of Press, will Government also do something to curb the monopoly of All India Radio ......(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए अलग प्रश्न पूछ लें।

श्री पी० आर० दास मुन्शी : पश्चिम बंगाल का एक दैनिक समाचार-पत्र 'बासुमती' का प्रकाशन पूर्णतया बन्द कर दिया है और उसके कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। क्या सरकार को इसके सम्बन्ध में 'बसुमती' के कर्मचारियों द्वारा भेजा गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप इस प्रश्न के लिए अलग नोटिस दीजिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया फैडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। इससे पूर्व एक प्रश्न का उत्तर देते समय, इस मन्त्रालय के मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने कहा था कि अपेक्षित अध्ययन करने के बाद और प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को एक सार्वजनिक निगम में बदलने के लिये प्रेस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में क्या स्थिति है और ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न समाचार-पत्रों के बारे में है और समाचार एजेंसियों के बारे में नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भी एकाधिकार प्रेस द्वारा नियंत्रित एक प्रकार की न्यूज एजेन्सी ही है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध समाचार पत्रों से है, न्यूज एजेंसियों से नहीं।

श्री पीलूमोडी : मैं समझता हूं कि प्रेस के एकाधिकार का प्रश्न यहां बार-बार उठाया जाता है और इसे उठाने का उद्देश्य बहुत खतरनाक होता है। जो लोग कभी-कभी ही समाचार-

पत्र पढ़ते हैं उन्हें भी यह मालूम है कि भारत के समाचार पत्रों पर केवल एक ही व्यक्ति का एकाधिकार है और वह हैं प्रधान मन्त्री। लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक समाचार पत्र दिन-रात प्रधान मन्त्री की सराहना का राग अलापते रहते हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप केवल मूल प्रश्न से सम्बद्ध बात ही कीजिये।

श्री पीलूमोडी : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार प्रेस को उन विभिन्न सरकारी संगठनों से अलग करके, उसकी स्वतन्त्रता को पुनःस्थापित करने के लिए क्या कदम उठायेगी क्योंकि आजकल की प्रैस पर विभिन्न सरकारी संगठनों और विशेषतया संवाददाताओं पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमारे देश की प्रैस पूर्णतया स्वतन्त्र है और उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। प्रैस को जब कभी भी सहायता की आवश्यकता होती है, सरकार उसकी सहायता करती है परन्तु यह कहना गलत है कि प्रैस पर सरकार का नियंत्रण रहता है या सरकार उस पर किसी प्रकार प्रभाव डालती है।

श्री अनन्तराव पाटिल : प्रैस के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार ने गत चार वर्षों में कोई कारगर उपाय नहीं किये। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचार पत्रों को सहायता देकर, हम एकाधिकार की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सफल होंगे। परन्तु अनुभव इसके पूर्णतया विपरीत है। केवल छोटे तथा मंझोले समाचार पत्रों को सहायता देकर हम बढ़ती हुई एकाधिकार की प्रवृत्तियों को कम नहीं कर सकते। क्या प्रैस में एकाधिकार की प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए सरकार कोई आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इसके उत्तर में मैं पहले ही यह कह चुकी हूं कि समवाय कार्य विभाग द्वारा इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इन उपायों के बावजूद भी, भारतीय समाचारपत्रों के ऊपर आज भी विनाशक, विषैला और दमनकारी एकाधिकार विद्यमान है। यदि हां, तो सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रबन्ध बनाने और भारतीय प्रैस के स्वामित्व को स्वीकार करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत कर, सरकार को भारतीय प्रैस के इस दमन को समाप्त करने से कौन रोकता है ?

श्री पीलूमोडी : प्रैस का भी राष्ट्रीयकरण कर दीजिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इसके लिए समवाय अधिनियम में पहले से ही व्यवस्था है। केवल समवाय अधिनियम में इसके लिए सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा और इस दिशा में इतनी मंद गति से कार्य क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह सम्पूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहती।

श्री मरुगवन्तम : सरकार 1954 के समाचार पत्र एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित क्यों नहीं करती ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : प्रैस के एकाधिकार के बारे में कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया था।

श्री आर० के सिन्हा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रमजीवी संवाददाताओं ने अपने अहमदाबाद सम्मेलन में भारत के लिए स्वतन्त्र प्रेस की रूपरेखा तैयार की है? भारतीय प्रेस एकाधिकार भी देश के अन्य बड़े उद्योगों की तरह एक उद्योग बन गया है। क्या सरकार वास्तव में प्रेस को एकाधिकार प्रेस के दमन से मुक्त करवायेगी? कांग्रेस के विभाजन, राष्ट्रपति के चुनाव और बैंक उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के समाचार-पत्रों ने जो विष उगला था उससे सरकार की कान हो जाने चाहियें और उसे भारतीय समाचार-पत्रों के लिए इस प्रकार के स्वायत्त-निकाय निगम की स्थापना करनी चाहिये जिस पर कि विनाशक एकाधिकारियों की अपेक्षा, भारतीय जनता का नियन्त्रण हो।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों की भूमिका का उल्लेख किया है परन्तु उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये कि जनता की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है।

भारतीय समाचार-पत्रों में अन्य देशों द्वारा विज्ञापन

*68. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों द्वारा भारतीय समाचार-पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ; और

(ख) वर्ष 1969 और 1970 में भारतीय समाचार-पत्रों में विज्ञापनों पर अन्य देशों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) भारत सरकार ने 'वीना कन्वेन्शन आन डिप्लोमैटिक रिलेशन्स, 1961' के अन्तर्गत नियम बनाए हैं जिनमें भारत स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा प्रचार सामग्री जारी किए जाने के बारे में सिद्धान्त दिए गए हैं। तथापि, ऐसा कोई कानून या विनियम नहीं है जिससे किसी विदेशी दूतावास या किसी विदेश द्वारा किसी भारतीय समाचारपत्र में विज्ञापन दिए जाने पर रोक हो।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार के पास विदेशी एजेंसियों अथवा विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की कोई जानकारी है अथवा क्या उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा भारतीय समाचारपत्रों को मिलने वाले विज्ञापनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं जिनके जरिए हम यह पता लगा सकें कि विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को क्या विज्ञापन दिए जाते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार यह नहीं सोचती कि श्रीलंका की भांति इससे देश की आन्तरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है तथा यह भी कि क्या यह देश के मामलों में एक प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि इन विज्ञापनों में कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : वस्तुतः वैदेशिक कार्य मंत्रालय इसकी जानकारी रखता है और

यदि कोई विज्ञापन देश हित के विरुद्ध प्रकाशित किया जाता है तो वह प्रकाशित कराने वाले दूतावास विशेष के लोगों के प्रति विरोध प्रकट किया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, this question was raised earlier also and it was suggested that embassies should send thier advertisements through the Information and Broadcasting Ministry. I wish to know whether this suggestion has been considered by the Govt.

Many a foreign embassy is not only influencing the newspapers by giving a large number of advertisements but also they are trying to mould public opinion in a particular direction. What difficulty Government has in asking all those embassies to send their advertisements through the Information and Broadcasting Ministry.

Smt. Nandini Satpathi : The matter is under consideration.

दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन का क्रियान्वित किया जाना

*69. **श्री दलीप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इसको क्रियान्वित करने की अन्तिम निर्धारित तिथि क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मुख्य सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 183/71.]**

(ख) सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Now in answer to this question the hon minister has said that there is no fixed date for its implementation. I wish to know through you what is the hitch which is preventing the Government from implementing it and what are the reasons therefor.

Shri K. C. Pant : There is no question of not implementing it. We have implemented most of the recommendations but there are some recommendations. For instance a recommendation of the Khosla Commission was regarding the appointment of Police Commissioner about which the Law Commission and the Lieutenant Governor have different opinions. Accordingly the opinions of Police Commission, Law Commission and Lieutenant Covernor are being considered collectively. Under these circumstances it is difficult to say when the decision will be arrived at.

Shri Ramavatar Shastri : The Khosla Commission had given some recommendations about working conditions of policemen too. The hon'ble minister has tried to mislead the House by referring to Police Commissioner. I wish to know whether or not you have implemented the recommendations of Khosla commission regarding the working conditions of police men. If not, the reasons therefor and what are your proposals for implementing it ?

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, Sir, I had given a statement and it includes several items in it viz. conditions of service, Pay allowance, medical facilites, housing facilities, educational facilities, recruitment and promotion and the action we have taken

with regard thereto is stated therein. If hon. members will go through the statement, they will come to know what steps Government has taken to implement the recommendations of Khosla Commission.

Shri R. C. Vikal : Will the hon. Home Minister be pleased to state as to when was the report of the Commission presented and if there are any recommendations which the Government is unable to implement ?

Shri K. C. Pant : I have just given an illustration that there is a controversy regarding the commissioner of police. The law commission and the police commission have different opinions. In these circumstances it is very difficult to fix the date. Likewise there are other matters as for example the rise in housing percentage. Plans had been made for housing right from the constable to the Inspector of Police and expenditure has also been incurred. Houses also have been built. In the meanwhile the recruitment to Police service was increased and consequently the housing percentage which were at a higher level was lowered. In such circumstances it is difficult to fix a deadline.

अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन

+

*71. **श्री कल्याणसुन्दरम् :**   **श्री भानसिंह भौरा :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर विचार करने हेतु अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग की संबंधित सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री कल्याणसुन्दरम् : यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा और इस मामले में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और समग्र राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

श्री राम निवास मिर्धा : केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जून, 1969 में प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन में बहुत महत्वपूर्ण और पेचीदा सिफारिशें दी गई हैं जिनकी पूरी तरह जांच किए जाने और कई मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें अधिक समय लग रहा है और आशा है कि बहुत शीघ्र ही सिफारिशों पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री कल्याणसुन्दरम् : क्या सरकार ने राज्य सरकारों के विचारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है ? किन राज्य सरकारों ने अपने उत्तर भेजे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : प्रतिवेदन में न केवल अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें, जिससे यह प्रश्न सम्बद्ध है, दी गई हैं बल्कि कई अन्य सिफारिशें भी दी गई हैं। ये सिफारिशें राज्यपालों की भूमिका, अन्तर्राज्यीय जल विवाद, कानून एवं व्यवस्था की समस्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य विषयों के बारे में हैं। यह स्पष्ट नहीं होता कि माननीय सदस्य किस सिफारिश की बात कर रहे हैं। जहां आवश्यक समझा जाएगा, राज्य सरकारों से निश्चित रूप से परामर्श लिया जाएगा।

श्री भान सिंह भौरा : यह सिफारिश संवैधानिक उपबन्धों पर आधारित है । इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति आवश्यक समझने पर अन्तर्राज्यीय परिषदों की स्थापना करता है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश दी है कि ऐसी परिषदें संविधान के उपबन्धों के अधीन गठित की जाएं । अतः यह बात सही है कि जो सिफारिश की गई है, वह संविधान के उपबन्धों के अनुरूप हैं । किस स्थिति में, किन परिस्थितियों में और किस संदर्भ में संविधान के इस उपबन्ध को लागू किया जाना है—इन मामलों पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाता है ।

Shri R. V. Bade : I would like to know whether Administrative Reforms Commission in States also have considered this issue as the Administrative Reforms Commission here has dealt with this. I would also like to know whether this issue will be brought before the Administrative Reforms Commission set up in Madhya Pradesh under the Chairmanship of Mr. Dixit. Will the Government think about it ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Sir, it is a fact that in a number of States Administrative Reforms Commission have constituted Committies. So far as the question of Madhya Pradesh is concerned, I can not say whether or not the Administrative Reforms Commission has been formed Inter State Council. I do not khow whether the Commission has given some suggestion regarding Inter-State Council. But, in case, suggestions are received by us, due consideration will be given to them.

श्री पी॰ वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना से प्रायः ऐसा भ्रम होता है कि राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की गई है । क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के हाल ही में दिये गए वक्तव्य, कि वह राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग की मांग करेंगे, का सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना से है अथवा यह प्रश्न केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में संविधान में दिए गए उपबन्धों को केवल औपचारिक रूप से क्रियान्वित करने का है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : अन्तर्राज्यीय परिषद, जैसा कि संविधान में विवेचित है, वस्तुतः एक समन्वय निकाय है । इसका कार्य विशिष्ट मामलों की छानबीन करना, विशिष्ट पहलुओं की जांच करना और तदुपरान्त सिफारिशें देना है । मैं नहीं समझता कि संविधान के अन्तर्गत कोई स्वायत्त शक्तियां अनिवार्य रूप से दी गई हों । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इन मामलों में क्या कहा गया है । अन्तर्राज्यीय परिषद के बारे में संविधान में स्पष्ट धारणा दी गई है और यह एक प्रकार से समन्वय और परामर्शदायित्री निकाय है ।

वर्ष 1967 के आन्दोलन के दौरान मुअत्तिल/बर्खास्त किये गये दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बहाली

*72. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के आन्दोलन में भाग लेने वाले तथा बर्खास्त अथवा मुअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारियों को जिन्हें अब बहाल कर दिया गया है उनकी बर्खास्तगी या मुअत्तिली की सारी अवधि के पूरे वेतन की अदायगी कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा लोक-सभा में की गई घोषणा को पूरी तरह

क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार उक्त घोषणा को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

बर्खास्त/मुअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में सरकार की घोषणा को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है :—

(i) 717 मुअत्तिल व्यक्ति दिल्ली पुलिस में बहाल किए जायेंगे।

(ii) 165 अस्थाई कर्मचारी की, जिनकी सेवायें समाप्त की गई थी, नये सिरे से दिल्ली पुलिस में भर्ती की जायगी, और

(ii) मुअत्तिली के दौरान कदाचार के लिए बर्खास्त 62 व्यक्ति अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों में नये सिरे से रखे जायेंगे; परन्तु इस प्रकार बर्खास्त की गई एक महिला कर्मचारी दिल्ली पुलिस में नियुक्त कर ली जायगी।

इस घोषणा के अनुसार 717 मुअत्तिल व्यक्ति बहाल कर दिए गए हैं।

दूसरी श्रेणी के 153 व्यक्ति दिल्ली पुलिस में ले लिए गये हैं और अन्य 9 व्यक्तियों की नियुक्ति के आदेश दिये जा रहे हैं। तीन व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आए हैं।

जहां तक तीसरी श्रेणी का सम्बन्ध है, एक महिला कर्मचारी समेत 9 व्यक्तियों को बहाल कर दिया गया है; जबकि 52 व्यक्तियों की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल में नियुक्ति के आदेश जारी किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों की जांच करते समय यह पाया गया कि इन 63 व्यक्तियों में से बर्खास्त किए गए दो व्यक्तियों को ऐसे कारणों से बर्खास्त किया गया जिनका संबंध आन्दोलन से नहीं था।

जहां तक मुअत्तिली की अवधि में भत्तों का संबंध है, मुअत्तिल किये गये व्यक्तियों को नियमों के अनुसार भुगतान किया गया अर्थात प्रथम वर्ष में वेतन का 50 प्रतिशत और शेष अवधि में 75 प्रतिशत।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that Delhi Police Personnel Organisation has made any correspondence or submitted any memorandum requesting therein that the services of the 717 suspended police officials, who have now been reinstated, be treated as continued; if so, what is the reaction of the Government thereto ?

Shri K. C. Pant : At present I am not in a position to state whether they have submitted any memorandum in this connection. However, they often submit memoranda. But I cannot say whether they have submitted any memorandum in this connection.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Naxalites arrested in Andhra Pradesh

* 63. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of Home Affairs (Grih-Mantri) be pleased to state :

(a) the number of Naxalites arrested in Andhra Pradesh during the last three years ;

(b) the number of those Naxalites who were prosecuted ; and

(c) the number of cases of violence committed by the Naxalites during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Grih Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri K. C. Pant) (a) to (c) : The State Government of Andhra Pradesh have reported that 1338 Naxalites and allied Extrimists were arrested during 1969 ; 708 during 1970 ; and 52 during 1971 so far. During this period 1750 Naxalites and allied Extremists were prosecuted. 290 offences were committed by Naxalites and allied Extremists during the said period.

श्रीनगर घाटी में नक्सलवादी गतिविधियां

*64. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर घाटी में हाल ही में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ी हैं ;

(ख) क्या उन्होंने थोड़े समय पूर्व ही तोड़ फोड़ की असंख्य कार्यवाहियां की हैं ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

*67. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सभी सदस्यों तथा भूतपूर्व उपाध्यक्ष ने हाल ही में अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) आम चुनावों के बाद नई सरकार की स्थापना के साथ ही भूतपूर्व उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था, ताकि सरकार मुक्त रूप से आयोग का पुनर्गठन कर सके।

केरल में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन की मन्जूरी

*70. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों को पेन्शन मंजूर करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केरल सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए एक योजना स्वीकृत की है। योजना की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केरल में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेन्शन की योजना

केरल सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए एक योजना स्वीकृत की है जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 तक देश की मुक्ति के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। यह योजना भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों पर और उन व्यक्तियों पर भी जिन्होंने गोवा मुक्ति आन्दोलन और फ्रेंच शासन से माहे की मुक्ति में भाग लिया था, लागू होगी।

इस प्रयोजन के लिए "स्वतन्त्रता सेनानी" की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जिसने (क) कम से कम 6 महीने की जेल की सजा काटी थी, अथवा (ख) जिसे कम से कम 6 महीने नजरबन्द (परीक्षण-कैंदी के रूप में नजरबन्द समेत) रखा गया था। अथवा (ग) जो कार्यवाही में मारा गया था, अथवा (घ) जिसे मृत्यु दण्ड दिया गया था अथवा (ङ) जो पुलिस या सेना की गोली या लाठी चार्ज के कारण मर गया था, अथवा (च) जो अपनी नौकरी या जीवन यापन के साधन या अपनी सारी सम्पत्ति अथवा उसका अधिकांश भाग खो बैठा/बैठी अथवा (छ) जो इस प्रकार भाग लेने के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया था अथवा जीवन में गम्भीर रोग से ग्रस्त हो गया।

पैंशन की राशि 50 रुपये प्रतिमाह है और या तो स्वतन्त्रता सेनानी को अथवा उसकी विधवा को अथवा अवयस्क बच्चों को, जिनकी वार्षिक आय निकट सम्बन्धियों से मिली सहायता समेत सभी साधनों से 300 रुपये मासिक से अधिक न हो, देय है। पैंशन स्वतन्त्रता सेनानी के जीवनकाल में देय है और उसकी विधवा के लिए उसके जीवन काल में अथवा जब तक वह दूसरी शादी भी करती है।

प्रत्येक जिले में ऐसे पुराने स्वतन्त्रता सेनानियों की एक सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा, जिनको उन लोगों में सम्मान प्राप्त है जिन्होंने 1930 अथवा 1942 के आन्दोलनों में और मलाबार ट्रावैन्कोर इत्यादि में 1938 के आन्दोलन में भाग लिया था।

Hill Development Council in Uttar Pradesh

***73 Shri Pratap Singh Negi :** Will the Minister of Planning (**Yojana Mantri** be pleased to state :

(a) whether a Hill Development Council is functioning with the purpose of development of hill areas in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the details of work done by the said Council for the development of these areas ; and

(c) full details of the work proposed to be undertaken by the said Council for the purpose during the current Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Yojana Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir,

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) The Board will continue to formulate the plan of the hill districts and watch its implementation during the Fourth Five Year Plan period.

Statement regarding the Hill Development Council in U. P.

The re-constituted Board has met twice so far--in October, 1969 and December, 1970. The work done by the Board so far is set out below :

(i) Considered Annual Plan for 1970-71 and recommended outlays for various sectors of development.

(ii) Decided to constitute an Expert Committee to study inter-district backwardness of the hill districts and to recommend the distribution of additional outlay of Rs. 1 crore among the various Hill Districts during 1970-71.

(iii) Recommended the setting up of a Development Corporation in order to attract institutional finance for the development of Hill areas. This Corporation has since been set up with headquarters at Nainital.

(iv) Constiuted a Planning Sub-Committee to consider and examine the development needs and present programmes to be undertaken by the State Government in the Hill districts and to indicate priorities as between them and also to prepare a perspective hill development plan. The Sub-Committee was accordingly constituted by the State Government on 29.3.1971 with all M. Ps., Presidents of Zila Parisads (at present District Magistrates who are acting as ex-officio presidents of the Zila Parisads) and Commissioners of Hill districts and one M. L. A. from each of the 8 hill districts.

(v) Considered the question of location of hill University.

(vi) Considered the Annual Plan-1971-72 of the Hill Districts.

पाकिस्तान रेडियो पर भारत विरोधी प्रचार

*74. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में हुए स्वतन्त्रता संघर्ष के फलस्वरूप पाकिस्तान रेडियो पर अपना भारत विरोधी प्रचार हाल ही में तेज कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी की गृह तथा वैदेशिक दोनों सेवाओं के अन्तर्गत समाचार बुलेटिनों तथा कमेन्ट्री-कार्यक्रमों में सही तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद का निपटारा

*75. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1971 को आसाम के वित्त मंत्री द्वारा आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद का निपटारा करने में केन्द्रीय सरकार के विफल होने के बारे में राज्य विधान सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार ने वक्तव्य देखा है। असम के वित्त मंत्री ने इस विवाद में राज्य सरकार की स्थिति को दोहराया था और यह आशा व्यक्त की थी कि केन्द्रीय सरकार उचित समय में ही इस विवाद को हल करने के लिये कदम उठायेगी।

(ग) सरकार विषय पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है।

नारियल जटा से बनी घटिया किस्म की वस्तुओं का रूस को निर्यात

*76. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने हाल ही में भारत द्वारा निर्यात की गई नारियल जटा से बनी वस्तुओं की घटिया किस्म के बारे में विरोध प्रकट किया है ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उनके द्वारा उठाई गई हानि के बदले में रूसी अधिकारियों ने यदि कोई मुआवजा मांगा है तो उसकी राशि कितनी है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ग) दावा लगभग रोकी हुई राशि के बराबर अर्थात 5 प्रतिशत है।

विवरण

जांच से यह पता चला है कि

1. निम्नलिखित निर्यातकों ने सोवियत संघ को कयर चटाइयों तथा कालीनों की खेपें भेजी :
   1. वैकथ ब्रदर्स, आलपी।
   2. गोपाल कयर फैक्टरी, आलपी।
   3. दि केरल स्टेट कयर कार्पोरेशन, आलपी।
   4. दि इण्डियन मैन्यूफैक्चरिंग कं०, आलपी।
   5. दि ट्रावन्कोर मैट्स एंड मैटिंग को० आप० सोसाइटी लि०, आलपी।
   6. आलपी कयर मैट्स एण्ड मैटिंग को-आप्रेटिव सोसाइटी लि०, आलपी।
   7. एसपिनवाल एण्ड कं०, आलपी।
   8. यूनाइटिड कयर वर्क्स, आलपी।
   9. नवभारत इन्टरप्राइसिस प्रा० लि०।
   10. भगत इंडस्ट्रियल कार्पोशन, दिल्ली।
2. खेपों का कुल मूल्य 75 लाख रु० था।
3. शिकायतों के निम्नलिखित दो कारण हैं :
   1. बनावट तथा नपाई की दृष्टि से माल की क्वालिटी असन्तोषजनक थी।
   2. अधिकांश मामलों में माल प्राप्त होने के समय उसमें नमी थी और उसकी दशा खराब थी और उसके बाहर लपेटा हुआ हैसियन मैला, दागी और कटाफटा

था । इसका कारण परिवहन के दौरान दोषपूर्ण ढंग से माल का लादना तथा उतारना है ।

4. संविदा की शर्तों के अनुसार माल के पोत-लदानों पर उसके मूल्य के 95 प्रतिशत का ही भुगतान किया गया था और शेष 5 प्रतिशत रोक लिया गया था ।

5. इन खेपों का निरीक्षण (1) आलपी चेम्बर आफ कामर्स, आलपी; और (2) दि इंडियन चेम्बर आफ कामर्स, कोचीन द्वारा किया गया था ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

*77. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की संभावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) गहरे सागर में मछली पकड़ना विदेशी सहयोग के लिए उपयुक्त उद्योगों में से एक मान लिया गया है । मछली तथा मछली उत्पादों के पंजीयित निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत, उत्पादन के लिए अपेक्षित पूंजीगत मदें, साधित करने की बेहतर प्रणालियां तथा संवेष्टन शामिल किये गये हैं । सार्डीन के निर्यात के लिए डिब्बों तथा संवेष्टन पदार्थ (जैतून तथा सोयाबीन का तेल) के आयात के लिए विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात के विकास तथा संगठन, नये बाजारों का पता लगाने और उत्पादों के विविधीकरण के लिए एक सांविधिक निकाय का गठन करने का विचार है ।

भूतपूर्व नरेशों के विदेशी बैंकों में खाते

*78. **श्री के० लकप्पा : श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशी बैंकों में भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों के खातों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) कोई जांच नहीं की गई है । फिर भी रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार विदेशों में 31-12-68 को 27 नरेशों के खातों में 61 लाख रुपये की राशि थी और उनमें से नौ नरेशों ने 113 लाख रुपये की पूंजी लगा रखी थी । 31-12-69 को विदेशों में चार अन्य नरेशों के खातों में 4.29 लाख रुपये की राशि थी और उनमें से दो नरेशों ने 73.31 लाख रुपये की पूंजी लगा रखी थी ।

राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री द्वारा मांग

*79. **श्री पुरुषोत्तम : श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री एस० पी० भट्टाचार्य :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री के उस भाषण की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय और आर्थिक मामलों में अधिक स्वायत्तता के लिये राज्य सरकारों की मांगों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने समाचारपत्रों में ऐसी खबरें देखी हैं ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया गया है । प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि "केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबन्ध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिये अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या के हल के लिए पर्याप्त है ।" केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

चाय निगम की स्थापना

*80. **श्री बी० नारायणन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक चाय निगम की स्थापना हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) यदि इस की स्थापना अभी नहीं हुई है तो प्रस्तावित निगम की रूपरेखा क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पैकेज बन्द चाय के विपणन के लिए एक चाय निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । निगम की स्थापना तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में व्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार में निर्यातकर्त्ताओं को कम ऋण सुविधायें

*83. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकर्ता सरकार से ऋण सुविधायें न मिलने के कारण संयुक्त अरब गणराज्य को बुक किये गये आर्डरों को क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) क्या इससे आयात व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या इस बात को सरकार के ध्यान में लाया गया है और यदि हां, तो सरकार का विचार इस असंतुलन को किस प्रकार दूर करने का है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, व्यापार व्यवस्थाओं के उपबंधित अधिकतम सीमा से काफी अधिक मात्रा में भारतीय वस्तुओं के लिए संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा की गई संविदाओं के परिणामस्वरूप हमारे निर्यातकों को कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां, दोनों सरकारें इस स्थिति पर निरन्तर ध्यान दे रही हैं । संयुक्त अरब गणराज्य के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर इसके समाधान के बारे में 12-5-71 से 20-5-71 तक अपने भारतीय प्रतिपक्षों से बातचीत की । जून/जुलाई, 1971 में

बातचीत पुनः शुरू होने की संभावना है ताकि ऐसा उपयुक्त तरीका निकाला जा सके जिससे ऐसी स्थिति फिर पैदा न हो।

इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना

***84. श्री चन्द्रप्पन :** **श्री सी० सी० चित्त बासु :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को मिले विशेषाधिकारों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

Changes in National Anthem

*86 **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of Home Affairs **(Grih Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make certain modifications in the National Anthem and, if so, by what time ; and

(b) whether certain suggestions have been received in this regard and, if so, when and the names of institutions from which these were received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya men Up Mantri) (Shri Mohsin) : (a) and (b) : From time to time communications have been received from individuals and others suggesting modifications in the text of the National Anthem. Government's view has been that there is no reason for departing from the original version of the song as composed by the late Dr. Rabindra Nath Tagore.

जनगणना आयुक्त द्वारा किया गया सामाजिक-आर्थिक अध्ययन

*87. **श्री जदेजा** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना आयुक्त ने छोटे ग्रामों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख) : 1961 की जनगणना के समय भौगोलिक, व्यावसायिक तथा जातीय भिन्नता प्रस्तुत करने वाले 489 गांवों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। 286 गांवों के बारे में निबन्ध प्रकाशित हो गये हैं तथा 59 प्रैस में है। शेष 144 गांवों के बारे में सूचना समन्वेषी होने अथवा एक निबन्ध कर रूप में समाकलित किये जाने के लिए पर्याप्त रूप में निर्णायक न होने के कारण प्रकाशित कराने का प्रस्ताव नहीं है।

इसके साथ 1971 की जनगणना से कुछ उन गांवों समेत, जिनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई हैं, 100 गांवों का पुनः सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। इस पुनः सर्वेक्षण में उन परिवर्तनों का पता चल सकेगा जो मूल सर्वेक्षण के बाद गांवों में हुए हैं।

दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की मांग

*88. **डा० कर्णी सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के बारे में कई क्षेत्रों से माँगें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) दल बदल सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिये विधायी प्रस्तावों पर प्रधान मंत्री का 10 दिसम्बर 1970 को राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ था। चूंकि बैठक में विचार-विमर्श पूरा नहीं हो सका, अतः प्रधान मन्त्री ने नेताओं को प्रस्तावों के बारे में उनके विशिष्ट विचार भेजने के लिये लिखा कुछ नेताओं से उत्तर अभी आने हैं।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा सुरक्षा बल को आत्मसमर्पण

*89. **श्री समर गुह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के बहुत से सैनिकों ने अपने आप को भारतीय सीमा सुरक्षा बल को समर्पित कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्होंने किन कारणों से आत्म-समर्पण किया ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा बलों के कुछ कर्मचारियों ने अपने आप को सीमा सुरक्षा बल की बाहरी सीमा चौकियों को समर्पित कर दिया है। इस स्थिति में और व्यौरा देना लोक हित में वांछनीय न होगा।

कासरगोड़ (उत्तर केरल) में नक्सलवादियों का गुप्त प्रशिक्षण शिविर

*90. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कासरगोड़ (उत्तर केरल) में नक्सलवादियों का एक गुप्त प्रशिक्षण शिविर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम का आर्थिक विकास

29?. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम के

आर्थिक विकास के बारे में 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसरण में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

प्रधान मंत्री के 5 दिसम्बर, 1969 के वक्तव्य में उल्लिखित स्कीमें	उनको कार्यान्वित करने के लिए अभी तक उठाये गये कदम
1—वर्तमान तैल शोधन क्षमता का विस्तार करके अथवा एक नए अतिरिक्त तेल शोधक कारखाने की स्थापना करके इनमें से जो भी आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो, उसके द्वारा असम में तेल शोधक क्षमता को बढ़ाकर दस लाख मीट्रिक टन से कुछ ऊपर किया जाना चाहिए।	भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष की देख-रेख में एक कार्यकारी दल की स्थापना दिसम्बर, 1969 में की गई थी, इस दल का कार्य था तकनीकी-आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत करना। इस दल ने सिफारिश की थी कि बोंगेगांव में मूलभूत (ग्रास रूट्स) दस लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाये और इसके साथ ही सम्बन्धित डी० एम० टी०/पोलियस्टर फाइबर पेट्रोकेमिकल कम्प्लैक्स भी स्थापित किया जाय। इसकी व्यावहारिकता रिपोर्ट भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार की जा रही है और आशा है कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। भारतीय तेल निगम ने एक समिति भी स्थापित की है जो कारखाने के लिए स्थान का चुनाव करेगी।
2—संयुक्त डी० एम० टी०/पोलियस्टर फाइबर पेट्रो केमिकल कम्प्लैक्स की स्थापना।	भारतीय पेट्रो केमिकल कारपोरेशन ने प्रारम्भिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की है और अंतिम व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
3—एक कागज/लुगदी कारखाना की स्थापना।	होजई में एक कागज/लुगदी मिल स्थापित करने का निर्णय किया गया है और इसकी ब्योरेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस बीच स्थान के चुनाव, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए आरम्भिक कार्यवाही की जा रही है।
4—बाढ़ नियन्त्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना। इस कार्य के लिए राज्य की	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियन्त्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग और

योजना में साधनों का पर्याप्त उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जायेगी।

तकनीकी परामर्शदाता बोर्ड के त्रि-स्तरीय संगठन की स्थापना जुलाई, 1970 में की गई थी। इसके लिए राज्य की चौथी योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना 1971-72 में 4·60 करोड़ रुपये की विशिष्ट व्यवस्था ब्रह्मपुत्र बाढ़ सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए की गई है।

ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात से अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा

293. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात से सरकार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वित्तीय वर्षवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

	(लाख रु०)
1968-69	2,597·7
1969-70	2,172.2
† 1970-71	1,734.9

रक्षा सम्बन्धी प्रचार

294. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री रक्षा सम्बन्धी प्रचार के बारे में 26 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रक्षा सेवा के प्रचार तथा पत्रकारिता सम्बन्धी पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा के साथ मिलाने के कार्य को इस बीच पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों की वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। रक्षा मंत्रालय के जन सम्पर्क निदेशालय के जो पद केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल किये जा रहे हैं, उन पर काम करने वाले व्यक्तियों की छानबीन की जा रही है तथा उनकी उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति शीघ्र ही मांगी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता, सामान्य रीति के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सेवा में उनकी नियुक्ति के समय निर्धारित की जाएगी।

संसद सदस्यों को टेलीविजन सेटों की सप्लाई

295. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

† अनंतिम

(क) चौथी लोक-सभा के उन संसद सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें टेलीविजन सेट दिये गये थे ;

(ख) उनको ये टेलीविजन सेट किस मूल्य पर दिये गये थे ;

(ग) संसद सदस्यों को टेलीविजन सेटों की सप्लाई हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास निर्णयाधीन पड़े हैं ;

(घ) उन आवेदकों को टेलीविजन सेट कब सप्लाई करने का विचार है; और

(ङ) ऐसे सेटों के लिये आये आवेदन-पत्रों को निबटाने में सामान्यतः कितना समय लग जाता है और उन्हें कौन से और किस माडल के टेलीविजन सेट दिये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार ने संसद सदस्यों को टेलीविजन सैट नहीं दिए हैं । एक स्थानीय विक्रेता, जिसने 1965 में कुछ सैट आयात किये थे, इस मंत्रालय के अनुरोध पर, संसद सदस्यों को कुछ सैट बेचने के लिए सहमत हो गया था । उसे सलाह दी गई थी कि वह सैट उन संसद सदस्यों को बेचे जिन्होंने मंत्रालय से आवेदन किया है । सैटों का आवंटन उसी क्रम में किया गया जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । इस प्रकार आवंटित किए गए टेलीविजन सेटों की कुल संख्या 54 है ।

इसके अतिरिक्त सी० ई० ई० आर० आई०, पिलानी भी संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सैट बेचने के लिए सहमत हो गया था । संसद सदस्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर 29 सैट आवंटित किए गए । तथापि, इनमें से केवल 12 सैट ही वास्तव में खरीदे गए । एक विवरण, जिसमें उन संसद सदस्यों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने इन दो स्त्रोतों से टेलीविजन सैट खरीदे, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 184/71]

(ख) इन सैटों का मूल्य (एन्टेना की कीमत सहित) इस प्रकार है :—

(1)	आई० ई० सी०	23"	2,563·00 रुपए
(2)	सैनियो	16"	1,815·00 रुपए
(3)	सी० ई० ई० आर० आई०	23"	1,760·00 रुपए

(ग), (घ) तथा (ङ) : ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार संसद सदस्यों को टेलीविजन सैट दे सके ।

मंत्रियों के दौरों पर व्यय

296. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के मध्यावधि चुनावों के पश्चात् प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के खर्चे की तुलना में यह राशि कितनी कम या अधिक है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख) 15 मार्च, 1971 से 15 मई, 1971 तक की अवधि में और गत वर्ष की इसी अवधि में किये गये दौरों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों का अपहरण

297. **श्री पी० गंगादेव** : **श्री आर० कडनापल्ली** :

डा० रानेन सेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा से हमारे सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को बलात ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस बारे में पाकिस्तान से कड़ा विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । 9 अप्रैल, 1971 की एक घटना में भारत-पाकिस्तान सीमा के बोनगांव क्षेत्र में सामान्य गश्त की ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के 3 कान्सटेबलों का पाकिस्तानी सैनिक अपहरण करके ले गये थे । 26 अप्रैल, 1971 की दूसरी घटना में पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ने कछार सीमा में गश्त की ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल पर आक्रमण किया और सुरक्षा बल के 2 व्यक्तियों का अपहरण कर ले गये।

(ख) और (ग) : दोनों मामलों में पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध किया गया है और मांग की गई है कि अपहृत कर्मचारियों को तुरन्त वापस किया जाय ।

पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

इण्डियन रेयर अर्थ्स मिनरल्स, चावारा (केरल) में स्वचालित यंत्र लगाना

298. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के क्विलोन जिले में चावरा में इण्डियन रेयर अर्थ्स मिनरल्स में स्वचालित यंत्र लगाने का कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) स्वचालित यंत्र लगाने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये ;

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार हो गये कर्मचारियों को वैकल्पिक काम दिलाने के लिए कोई उपाय किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले एक उपक्रम इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में चवारा में खनिज रेत को साफ करने वाला एक संयंत्र लगाया गया है । उत्पादन के तरीकों को सरल और कारगर बनाने एवं उत्पादों की क्वालिटी को ऊंचा बनाए रखने में मशीनों का उपयोग हाथ से किये जाने वाले काम में सहायक होता है । चावरा के संयंत्र में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयले के निर्यात में गिरावट

299. **श्री सामिनाथन्** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में 4·5 करोड़ रुपये के मूल्य के कोयले के निर्यात के वर्ष 1969-70 में घटकर 2·5 करोड़ रुपये के हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस विषय में कमियों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) वर्ष 1969-70 में कोयले के निर्यात में हुई गिरावट का कारण प्रमुख परम्परागत खरीदार बर्मा तथा श्रीलंका द्वारा कोयले की मांग में भारी कमी होना था। तो भी वर्ष 1970 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जब कि 3·84 करोड़ रु० मूल्य के कोयले का निर्यात किया गया था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने प० जर्मनी, नाइजीरिया, सिंगापुर तथा जापान जैसे नये बाजारों में प्रवेश करने का और कोक-कर कोयला, गैर कोक-कर कोयला, बीहाइव कोक तथा कोक ब्रीज का भारी मात्रा में निर्यात करने के लिये सौदे तय करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

1971 की जनगणना की उपलब्धियां

300. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : **श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 की जनगणना की अन्तरिम उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) जनगणना पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) जनगणना की पूरी रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) मुख्य अस्थाई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

(i) जनसंख्या कुल	546,955,945
पुरुष	283,055,987
महिलायें	263,899,958
(ii) जनसंख्या में दस वर्षों में वृद्धि (1961-71)	24.57 प्रतिशत
(iii) स्त्री, पुरुष अनुपात	1000 पुरुषों में 932 महिलाएं
(iv) साक्षरता दर (जनसंख्या में 0-4 आयु वर्ग समेत	कुल 29-35 प्रतिशत पुरुष 39-49 प्रतिशत महिलायें 29.35 प्रतिशत

(ख) सन् 1971 की जनगणना का अनुमानित कुल व्यय परिणामों के आंकड़ों की प्रक्रिया और प्रकाशन समेत 17.68 करोड़ रुपयों के होने की सम्भावना है।

(ग) सन् 1971 की जनगणना की रिपोर्ट तथा सारणियों का प्रकाशन 30 खण्डों में होगा। उनमें एक खण्ड अखिल भारतीय आंकड़ों का और एक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़ों का होगा। सन् 1971 का लेख 1 "जनसंख्या का अस्थाई योग" शीर्षक से प्रथम रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। शेष रिपोर्ट ज्योंही संबंधित आंकड़े तैयार हो जायेंगे, प्रकाशित की जायेंगी। मुख्य सामान्य रिपोर्ट के 1973 तक प्रकाशित होने की सम्भावना है।

आयात नीति के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट

301. **श्री निहार लास्कर :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकार की आयात नीति तथा आयात नियंत्रण सम्बन्धी पद्धति के बारे में आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान फाउंडेशन के अध्ययन-प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके सुझावों के साथ सरकार किस सीमा तक सहमत है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि वस्तु-सूचियों का विवेकीकरण करने के लिये और आयात नियंत्रण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिये अधिक जागरुकता की आवश्यकता है। सरकार की भी यही धारणा है। 1971-72 की आयात नीति, जिसमें मार्गीकृत आयातों पर बल दिया गया है, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये ही बनाई गई है।

अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग में कोयले की कमी

302. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग ने हाल ही में कारखाने चलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला न मिलने के कारण जनशक्ति की हानि के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) अहमदाबाद मिल मालिक संघ ने हाल में यह अभ्यावेदन दिया था कि अहमदाबाद मिलों के पास कोयले के स्टाक की स्थिति बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गई है और अब भी संकटापन्न स्थिति चल रही है परन्तु अभी तक कोई मिल केवल कोयले की कमी के ही कारण बन्द नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) इस संकट से बचने के लिये रेलवे प्राधिकारियों को अहमदाबाद की मिलों को कोयले की पर्याप्त मात्रा भेजने की व्यवस्था करने के लिये प्रार्थना की गई थी। ऐसा पता चला है कि अब अहमदाबाद में सामान्य रूप से कोयला आ रहा है।

Findings of Cotton Textile Development Council re : Import of Raw Cotton

303. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Foreign Trade **(Videsh Vyapar Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Cotton Textile Development Council has indicated on its recent report that it would be necessary to import raw cotton and cotton fibre worth Rs. 230 crores in order to meet the demand of the consumers and export requirements ; and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Manrralaya men Up Mantri (Shri A. C. George) : **(a) and (b)** : Government is not

aware of the existence of any such body, official or non-official. Nor has any such report been received.

केरल में औद्योगिक अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना

305. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में औद्योगिक अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) केरल के लिए इस प्रकार की प्रयोगशाला की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल के लिए औद्योगिक अनुसंधान सम्बन्धी एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं। इस समय चार क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं–जम्मू (जम्मू और काश्मीर), जोरहाट (आसाम), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

(ख) से (घ) केरल सहित अन्य राज्यों में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्तावों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया था। लेकिन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा ने परिषद की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिस समिति को नियुक्त किया था, उसने प्रारम्भ से ही यह सिफारिश की है कि चतुर्थ योजना काल में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कोई क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित नहीं करनी चाहिए क्योंकि उपलब्ध साधनों से पूरा करने के लिए पहले ही काफी काम हाथ में है। यदि कोई विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय महत्व का हो तो उन्हें वर्तमान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

फिर भी, राष्ट्रीय महासागर संस्थान, गोआ के अन्तर्गत एक भारतीय महासागर जैविक केन्द्र और जैविक समुद्र विज्ञान तथा भौतिक समुद्र विज्ञान विभाग पहले ही एर्नाकुलम में कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय भारतीय औषधि पौधा संगठन (सी० आई० एम० पी० ओ०) का भी एक फार्म केरल राज्य में औषधि और सुगंधित द्रव्यों के पौधों की उपज के लिए त्रिचूर जिले के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त केरल राज्य में एनुमन्नूर के उत्पादन तथा विस्तार केन्द्र को इस स्थान पर सी० एस० आई० आर० के अन्तर्गत लेने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान और विकास संगठन का केरल में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

इनके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०), रक्षा अनुसंधान

और विकास संगठन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी अपने-अपने अनुसंधान संगठन केरल राज्य में स्थापित किए हैं।

कच्चे माल के आयात हेतु लाइसेंस देने में ढील

306. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये उद्योगपतियों को स्वयं ही कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिये आयात लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील देने की सम्भाव्यता के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1971-72 की आयात नीति में इस उद्योग को उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार आयातित कच्चा माल देने का प्रयत्न किया गया है। सस्ते से सस्ते दामों पर बढ़िया से बढ़िया आयात करने के उद्देश्य से राज्य व्यापार अभिकरणों को अनेक प्रकार के कच्चे माल का विपुल परिमाण में आयात करना होगा, ताकि उद्योग की आवश्यकताओं को मार्गीकृत अभिकरणों द्वारा ऐसे माल की सप्लाई द्वारा तुरन्त पूरा किया जा सके। जहां तक 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिये "आवश्यकता आधारित" नीति को जारी रखने के अतिरिक्त 1971-72 की आयात नीति में अनेक प्रकार की छूट दी गई है, जो निम्नलिखित प्रकार है :

(1) लघु उद्योग क्षेत्र के और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए औद्योगिक एककों को अपनी अनुमानित क्षमता के अनुसार कच्चे माल तथा संघटकों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाएगा।

(2) अप्रैल 1970–मार्च, 1971 के लिये प्रदान किये गये आयात लाइसेंसों/बंटन आदेशों के आधार पर अलौह धातुओं के सम्बन्ध में लघु एककों की हकदारी को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

(3) वित्त पोषण पद्धति, जिसके आधार पर लघु एककों को कच्चे माल तथा संघटकों हेतु आयात लाइसेंस दिये जाएंगे, पहले से अधिक अनुकूल होगी।

(4) रसायन, रंग सामग्री तथा प्लास्टिक के सामान से सम्बन्धित उद्योगों में लगे लघु औद्योगिक एककों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा विपुल मात्रा में माल का आयात किया जाएगा।

(5) तकनीकी विकास महा-निदेशालय में पंजीकृत और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से इतर उद्योगों में लगे हुए औद्योगिक एककों को कच्चे माल तथा संघटकों के आयात लाइसेंस वार्षिक आधार पर प्रदान किये जाएंगे।

(6) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु एककों को कच्चे माल तथा संघटकों के आयात लाइसेंस देने में दूसरों की अपेक्षा तरजीह दी जाएगी।

(7) लघु उद्योग स्थापित करने वाले अर्हत प्राप्त इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों को कच्चे माल तथा संघटकों के आयात हेतु विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

(8) इंजीनियरी उद्योग में लगे एककों, विशेषतः जो पश्चिमी बंगाल में स्थित हैं और कच्चे

माल के अभाव में बन्द किये जा चुके हैं, को अपने उत्पादन कार्य को पुनः शुरू करने के लिये विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

(9) जिन मदों के आयात की सामान्य रूप से अनुमति नहीं होती, कुछ सीमा तक निर्यातकों को इन मदों को भी आयात करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे अपने निर्यात उत्पादन में सुधार कर सकें। इसी प्रयोजन के लिये, जिन मदों के सीमित आधार पर आयात की अनुमति है उन्हें भी आयात करने के लिये निर्यातकों को अपेक्षाकृत उदार रूप में अनुमति दी जाएगी।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में दस्तकारी की वस्तुओं की दुकानें

307. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने भारत में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में दस्तकारी की वस्तुओं को बेचने हेतु पर्यटन दुकानें चलाने के बारे में सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना मन्जूर कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार योजना पर विचार कर रही है और यदि वह अनुमोदित हो गई तो हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिये इसे राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।

फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव

308. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1971 को हुए फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के चौथे वार्षिक सम्मेलन ने सरकार से राज्य व्यापार की सामाजिक लागत तथा सामाजिक लाभ का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) देश के आयात-निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों के उत्तरोत्तर भाग बढ़ाने की नीति, राज्य व्यापार की सामाजिक लागतों तथा सामाजिक लाभों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही अपनाई गई थी और सरकार इस विषय पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती।

गोआ, दमन और दीव को राज्य का दर्जा

309. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव को राज्य का दर्जा दिये जाने की गोआ विधान सभा की मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने गोवा, दमन और दीव की विधान सभा में मार्च 1971 में पारित संकल्प को नोट किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिये आवश्यक कानून बनाने के लिये कहा गया है ।

उड़ीसा में जूट मिल की स्थापना

310. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक जूट मिल स्थापित करने के बारे में तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ग) उड़ीसा में जूट मिल स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ पटसन-उपजाऊ राज्यों में जिनमें उड़ीसा भी शामिल है नई जूट मिलें स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच करने के लिये एक समिति गठित की गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) समिति की रिपोर्ट की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है ।

अफ्रीकी देशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम

311. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफ्रीकी देशों में संयुक्त औद्योगिक कम्पनियां स्थापित करने के लिये प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 15 अप्रैल, 1971 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अफ्रीकी देशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित विशिष्ट प्रयत्न किये गये हैं ।

(1) एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें भारत सरकार, भारतीय निवेश केन्द्र के प्रतिनिधि और हमारे बहुत से उद्योगपति शामिल थे, 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1970 के बीच नैरोबी में हुए सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, अफ्रीकी विकास बैंक तथा अफ्रीकी हेतु आर्थिक आयोग द्वारा मिलकर प्रायोजित किया गया था जिसके अन्तर्गत विकासशील तथा विकसित दोनों प्रकार के देशों के उद्यमियों को इकट्ठे मिलकर अफ्रीकी देशों में पारस्परिक हितों वाले औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता के बारे में विचार-विमर्श करने का अवसर मिला । इस सम्मेलन के परिणाम का अभी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(2) अफ्रीका में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना करने के इच्छुक भारतीय उद्यमियों की एक सूची, अफ्रीका हेतु आर्थिक आयोग, अदीस अबाबा को भेज दी गई है।

(3) अफ्रीकी देशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देना भारत-अफ्रीका विकास संघ, जिसे भारत सरकार का सहयोग प्राप्त है, के लक्ष्यों में से एक है।

(4) अफ्रीका में स्थित हमारे मिशन औद्योगिक सहयोग के प्रयोजनार्थ भारतीय और अफ्रीकी कम्पनियों के बीच सम्पर्क स्थापित कराने में सक्रिय रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं। वे, अफ्रीकी देशों में निवेश अवसरों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा, सभी देशों में, जिनमें अफ्रीकी देश भी शामिल हैं, औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित सामान्य उपाय किये गये हैं :

(1) विदेशों में निवेश अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने और उसे भारतीय उद्यमियों को प्रदान करने के लिये सम्बन्धित मन्त्रालयों में आवश्यक अमल की व्यवस्था कर दी गई है।

(2) भारतीय उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निपटाने के प्रयोजनार्थ वर्ष 1969 के अन्त में संयुक्त उपक्रमों सम्बन्धी प्रस्थापनाओं का अनुमोदन करने हेतु एक अन्तः मंत्रालय समिति स्थापित की गयी है।

(3) भारतीय इक्विटी के बदले मशीनरी और उपस्करों के निर्यात के आधार पर, जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, नकद सहायता भी, यदि वह अन्यथा देय हो, दी जाती है।

(4) जैसा कि पंजीकृत निर्यातकों के लिये नीति के अन्तर्गत व्यवस्था है, ईक्विटी पूंजी के आधार पर किये गये निर्यातों पर उन्हें नियमित रूप से आयात प्रतिपूर्तियों की अनुमति दी जाती है।

(5) भारतीय उद्यमियों को एक नकद अल्पराशि भेजने की अनुमति है ताकि वे अपना प्रारम्भिक व्यय पूरा कर सकें।

(6) भारतीय उद्योगपति भारत में स्थित अपनी फैक्टरियों में विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

(ग) 15 अप्रैल, 1971 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। अफ्रीकी देशों में संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया जा चुका है।

ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स के कास्टिक क्लोरिन परियोजना के लिये परिस्कारक ('रेक्टीफायर) हेतु आयात लाइसेंस

314. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर-कोचिन केमिकल्स की कास्टिक क्लोरिन विस्तार परियोजना के लिये परिस्कारक (रेक्टिफायर) के आयात हेतु शीघ्र लाइसेंस देने के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हां, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा।

(ख) प्रार्थना विचाराधीन है।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में वृद्धि

315. **श्री सामिनाथन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व यूरोपीय देशों के साथ अपरम्परागत वस्तुओं के व्यापार की वृद्धि पर द्विपक्षीय व्यापार के प्रभाव का पता लगाने के लिये क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में और अधिक वृद्धि करने के लिये बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण करने तथा व्यापार सम्बन्धी पारस्परिक देशों की कुछ योजनायें बनायी हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां। प्रमुख अपरम्परागत मदों का निर्यात, जिस में लौह अयस्क, वस्त्र तथा चमड़ा भी शामिल हैं, भारत द्वारा पूर्व यूरोपीय देशों को किये गये कुल निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है।

(ख) भारत तथा पूर्व यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिये प्रति वर्ष पारस्परिक आधार पर व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजे जाते हैं। यदि और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो विपणन सम्बन्धी जानकारी भी एकत्र की जाती है।

बंगला देश में संकट के कारण जूट की कमी

316. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश में संकट के कारण विश्व में जूट से बनने वाली 1.5 लाख मैट्रिक टन वस्तुओं की कमी हो जायेगी ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिये कोई उपाय निकाले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पूर्व बंगाल में पटसन के माल के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है इस विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु उत्पादन में कुछ हानि होने की सम्भावना है। भारत में पटसन के माल के उत्पादन को बढ़ाकर, कमी को यथासम्भव पूरा करने के लिये किये जाने वाले उपायों के विषय में पटसन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है और उद्योग द्वारा उत्पादन योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

317. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सूती कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये योजना-प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किस-किस श्रेणी मिलें आयेंगी ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किया जायगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों का सम्मेलन

318. **श्री निहार लास्कर : श्री पी० गंगादेव :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों का एक सम्मेलन अप्रैल, 1971 में बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजनाओं को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उन पर जोर दिया था ;

(ग) इस सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(घ) क्या-क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों का एक सम्मेलन 12 और 13 अप्रैल, 1971 को आयोजित किया गया था।

उक्त सम्मेलन ग्रामीण विकास हेतु क्रैश स्कीम को कार्यान्वित करने में उठने वाली समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सुअवसर पैदा करने हेतु बनाए गए अन्य विकास कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाया गया था।

सम्मेलन में जिन-जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, उनका एक विवरण संलग्न है :

विवरण

12 और 13 अप्रैल, 1971 को आयोजित प्रमुख सचिवों के सम्मेलन में विचारणीय मदों की सूची।

1. ग्राम रोजगार की त्वरित योजना।
2. निरन्तर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिये ग्राम-निर्माण कार्यक्रम।
3. छोटे कृषकों की विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र-योजना।
4. बागनी खेती का विकास।
5. कृषि-सेवा केन्द्र।
6. बहुविध फसल-उत्पादन।
7. लघु उद्योग और अनुषंगी उद्योगों का विकास।
8. खेती के साधनों और उपभोक्ता माल का विपणन।
9. प्रशिक्षण योजनाएं।
10. व्यावसायिक मार्गदर्शन, जीविकी संबंधी सलाह और क्षेत्रीय कारीगरी सर्वेक्षण।

11. ग्रामीण सड़कों का विकास।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के पदों के पुनर्वर्गीकरण पर विरोध

319. **श्री निहार लास्कर : श्री पी० गंगादेवी :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों के पदों का पुनर्वर्गीकरण करने के बारे में वर्ष 1968 में नियुक्त सरकार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने पदों का इस प्रकार पुनर्वर्गीकरण किए जाने का घोर विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा उठाई गयी मुख्य आपत्तियां क्या हैं तथा मतभेदों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ; और

(घ) सरकार समिति की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है और क्रियान्वित किया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार समिति के प्रतिवेदन खण्ड (I) की तकनीकी तथा प्रशासनिक सम्बन्धी समस्त वर्तमान पदों के पुनर्वर्गीकरण सहित सभी सिफारिशों को अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने स्वीकार कर लिया है। सरकार समिति के सुझाव पर इस कार्य के लिए एक व्यापक समिति नियुक्त कर ली गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान पदों के प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण के विरोध में (I) सी० एस० आई० आर० की कई प्रयोगशाला/संस्थानों के कर्मचारियों (II) सी० एस० आई० आर० सचिवालय के कुछ कर्मचारी सदस्यों तथा (III) नई दिल्ली, धनबाद और मैसूर स्थित सी० एम० आई० आर० वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता संघों (एस० डब्ल्यू० ए०) से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

उक्त अभिवेदनों की कुछ मुख्य बातें विवरण में सूचीबद्ध कर दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 185/71]** उनके विचारों को उपरोक्त (क) व्यापक समिति के सन्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) प्रत्येक सिफारिश पर की गयी कार्यवाही की प्रगति को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 185/71]**

पाकिस्तान द्वारा भारत में साम्प्रदायिक दंगे कराने के कथित प्रयास

320. **श्री निहार लास्कर : श्री पी० गंगादेव :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन गुप्त समाचारों के बारे में मालूम है कि भारत में पाकिस्तान-समर्थक तत्व भारत में साम्प्रदायिक दंगे कराने के लिये फिर से सक्रिय हैं ताकि विश्व का ध्यान पूर्व बंगाल की स्थिति से हटाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस संबंध में निर्देश जारी कर चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथा किसी आपतकालीन स्थिति में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या पूर्वी बंगाल में संघर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई पाकिस्तानी जासूस बहुत सक्रिय पाये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं तथा उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत में पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा साम्प्रदायिक अशान्ति भड़काने की सम्भावनाओं के प्रति सरकार पूर्णरूपेण सतर्क है ।

(ख) और (ग) पूर्वी बंगाल में गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद ऐसी सम्भावनाओं के संबंध में राज्य सरकारों को सावधान किया गया था और उन्हें परामर्श दिया गया कि वे अपने संबंधित प्राधिकारियों को विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां साम्प्रदायिक अशान्ति होती रही थी या जो साम्प्रदायिक तनाव के लिये जाने जाते थे पूरी तरह सतर्क रहने के लिये कहें । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को शान्ति भंग होने पर उससे कारगर ढंग से निपटने के लिए तुरन्त सैनिक सहायता उपलब्ध करायेगी ।

(घ) पश्चिम बंगाल में कुछ पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ।

(ङ) राज्य सरकार से नवीनतम सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अंडमान द्वीप समूह में संचार साधनों में सुधार

322. **श्री एस० सी० सामन्त : श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान द्वीपसमूह की अभी हाल की अपनी यात्रा के दौरान संचार मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उस द्वीपसमूह में संचार साधनों के सुधार के लिए प्रस्तावित योजना का व्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) कब तक परिणाम उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पूर्ववर्ती संचार मंत्री प्रो० शेर सिंह ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान वहां डाक-तार सुविधाओं के विकास और सुधार के निम्नलिखित प्रस्तावों का उल्लेख किया था, जिनकी इस समय जांच की जा रही है ।

(i) द्वीपसमूह में डाक सेवाओं के प्रशासन के लिये अलग डाक डिवीजन का गठन । इससे ये द्वीपसमूह इस स्थिति में हो सकेंगे कि डाकघरों में क्लर्कों के ग्रेड में भर्ती के लिए उन्हें अलग यूनिट माना जा सके और मुख्य भूमि से कर्मचारी लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

(ii) यात्री और कार्गो दोनों तरह की सभी उपलब्ध स्टीमर सेवाओं का मुख्य भूमि और द्वीप्समूह के बीच डाक लाने ले जाने के लिये उपयोग किया जाना ।

(iii) विभिन्न द्वीपों के बीच अन्य कार्यों के लिए चलने वाले सभी सरकारी जलयानों की नवयात्राओं का विभिन्न डाकघरों के बीच डाक लाने ले जाने के लिए उपयोग।

(iv) दक्षिणी द्वीपसमूह को सेवा प्रदान करने वाले अन्तर द्वीपीय स्टीमर द्वारा प्रयोग के आधार पर समुद्र में चलता-फिरता डाकघर खोला जाना।

(v) मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच बेतार-टेलिग्राफ और रेडियो सम्बन्धों में सुधार करना।

(vi) पोर्टब्लेयर और पांच पार्श्ववर्ती स्थानों अर्थात मायाबन्दर, नानकोरी, रानगाट, दिग्लीपुर और केम्बल बे के बीच अन्तर-द्वीपीय संचार के लिए बेतार टेलीग्राफ/रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था करना।

(vii) द्वीपसमूह पर ग्रामीण डाकघर खोलने के लिये उनसे होने वाली न्यूनतम आय की शर्त में ढील देना।

(viii) वितरण के लिए प्राप्त डाक की तेजी से छंटाई करने के लिये अंशकालिक कर्मचारियों को काम पर लगाना।

(ix) पोर्ट ब्लेयर में मोटर साइकल डिस्पैच राइडरों के जरिये तारों का वितरण करना।

(x) पुलिस बेतार व्यवस्था के जरिये 100 रुपये तक के तार मनीआर्डर स्वीकार करके भेजना।

(ख) ये सभी विकास प्रस्ताव देश में खासकर कम विकसित क्षेत्रों में डाक-तार सुविधाओं के विस्तार की विभाग की वर्तमान नीति के अन्तर्गत है। इसलिए इन प्रस्तावों के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त धन व्यय नहीं होगा। कुछ प्रस्तावों, उदाहरण के तौर पर द्वीप समूह के लिये भर्ती के अलग यूनिट के गठन से तो काफी बचत होगी, क्योंकि इससे मुख्य भूमि से लाकर कर्मचारियों को विशेष भत्तों के भुगतान की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ग) डाक डिवीजन खोला जा चुका है और डाक सेवाओं पर इसका क्या असर होगा, यह आगामी दो से तीन महीने के भीतर स्पष्ट हो जाएगा। अन्तर द्वीपीय स्टीमर में चलता-फिरता डाकघर खोलने और अंशकालिक आधार पर कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आशा है कि मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच बेतार टेलीग्राफ/रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था 1972 के अन्त तक हो जाएगी।

आशा है कि पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों पर पांच पार्श्ववर्ती स्थानों पर बेतार टेलीग्राफ/रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था इस वर्ष के अन्त तक हो जाएगी।

अन्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने की मांग

323. **श्री सरजू पाण्डेय : श्री राज राज सिंह देव :**

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित किस्मों के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने की सूती कपड़ा उद्योग की मांग पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : नियंत्रित कपड़े की कीमतों में संशोधन करने का प्रश्न औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो को सौंपा गया है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अजुध्या टेक्सटाइल्स मिल्स दिल्ली का बन्द होना

324. **श्री मोहम्मद इस्माइल : श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में आजादपुर स्थित अजुध्या टेक्सटाइल्स मिल्स के अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से बन्द होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कर्मचारियों से प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या उस ज्ञापन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रबन्धकों ने, वित्तीय कठिनाइयों तथा श्रमिक अशान्ति की वजह से 6 मार्च, 1971 को मिल बन्द कर दी।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) : मिल के मामलों की जांच करने के लिये, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत मिल को अधिकार में लेने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

Pak Spies arrested in Rajasthan

325. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Home Affairs (**Grih Mantri**) be pleased to state:

(a) the number of Pakistani spies arrested in Rajasthan during 1970-71 ;

(b) the number of those spies who were prosecuted during the said period ;

(c) the details of the articles recovered from them ; and

(d) the action taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya men Up Mantri) (Shri Mohsin) : (a) to (d) Information is awaited from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Telegraph Wire seized near Agra

326. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Hukum Chand Kachwai :**

Will the Minister of Communications (**Sanchar Mantri**) be pleased to state :

(a) whether a large quantity of telegraph wire was seized from a truck in April, 1971 near Agra (U. P.) ; and

(b) the value in terms of Indian rupee of the said wire and the action taken in this regard ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna): (a) Some quantity of wire material had been seized from a truck by the Police on 22. 4 1971, near the Police outpost Sikandra (Agra). According to the police authorities, 500 Kg. of wire out of this quantity are the same as used in telegraph lines.

(b) The value of all the seized wire has been estimated by the police, as Rs. 1, 36, 900/-. A case under FIR No. 248 has been registered in police Station Hari Parvat, Agra, and further investigation is in progress.

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की मुअत्तिली

327. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग में कुल कितने पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया तथा प्रत्येक को किस-किस तारीख से मुअत्तिल किया गया ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने एक वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूरी कर ली है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को 12 मास की अवधि पूरी करने के बाद संशोधित दरों पर जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ;

(ग) इनमें से कितने मुअत्तिली के मामलों पर निर्णय हो गया है तथा कितने मामले अभी तक निर्णयाधीन हैं ;

(घ) यदि कोई मामला निर्णयाधीन रहता है तो उसे अन्तिम रूप से तय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि मुअत्तिली के कोई मामले अनिर्णीत हैं तो उन्हें निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या निर्देश दिये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ङ) तक: सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की पदावधि

328. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की पदावधि कितनी-कितनी है ;

(ख) प्रत्येक का वेतनमान उन्हें मिलने वाले अन्य भत्तों का व्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक मुख्य आयुक्त कितनी अवधि से अपने पद पर नियुक्त है ; और

(घ) जिन मुख्य आयुक्तों की पदावधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें वापस बुलाने का यदि कोई प्रस्ताव हो, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 239 (1) के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा ऐसे नाम से, जैसा कि वह उल्लिखित करे, नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक के द्वारा कार्य करेगा।

2 संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासकों का पदनाम मुख्य आयुक्त है। उनकी नियुक्ति की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

3 उनका स्वीकृत वेतनमान और भत्ते इस प्रकार हैं :—

चंडीगढ़	वेतन		3500 रु० प्रतिमाह
	अतिथि भत्ता	-	200 रु० प्रतिमाह
अंडमान तथा	वेतन	-	2500-125/2-2750 रुपये के वेतनमान में
निकोबार	विशेष वेतन		350 रुपये प्रतिमाह
द्वीपसमूह			

3 चंडीगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के वर्तमान मुख्य आयुक्त निम्नलिखित तारीखों को नियुक्त किये गये थे :—

चंडीगढ़	8-4-69
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . . .	11-10-68 (अपराह्न)

किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

घटिया कपड़े का उत्पादन

329. **श्री पी० के० देव :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इस समय घटिया कपड़े का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या मांग की तुलना में घटिया कपड़े के उत्पादन में कमी हो रही है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप कुछ समय से घटिया कपड़े के मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(घ) क्या घटिया कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास किये जा रहे हैं ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 में सूती मिल क्षेत्र द्वारा घटिया कपड़े का कुल उत्पादन 57.894 करोड़ मीटर था। इसके अलावा घटिया कपड़े का उत्पादन विकेन्द्रित क्षेत्र में किया जा रहा है परन्तु उसके उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1969 की तुलना में 1970 में मिल क्षेत्र में घटिया कपड़े के उत्पादन में गिरावट रही।

(ग) सांविधिक उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले घटिया कपड़े के मूल्य 2 मई, 1968 से संशोधित नहीं किये गये हैं। सांविधिक उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत न आने वाले कपड़े की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है।

(घ) कपड़े की नियमित किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना तैयार की गई है। योजना के अन्तर्गत 1 जून, 1971 से शुरू होने वाली 3 महीने की अवधि के भीतर उद्योग ने 10 करोड़ मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की जिम्मेदारी ले ली है और इसे विद्यमान नियंत्रित छपे मूल्यों पर बेचा जायेगा।

अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे

330. **श्री पी० के० देव :** क्या **गृह** मंत्री अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में 31 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) अलीगढ़ के दंगों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 दिनांक 31 मार्च, 1971 का उत्तर उस रिपोर्ट पर आधारित था। किन्हीं और व्यौरों को प्रकट करना दंगों की जांच के लिये जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत हो रही है, हानिकारक हो सकता है।

निर्यात में वृद्धि की दर

331. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात में वृद्धि की दर जनवरी, 1971 के अन्त में 5.2 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 1971 के अन्त तक 8.5 प्रतिशत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो केवल एक ही मास में इस वृद्धि की दर के आश्चर्यजनक रूप से इतना बढ़ जाने में क्या-क्या तत्व सहायक रहे ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक द्वारा 13 अप्रैल, 1971 को जारी किए गए एक संशोधित प्रैस नोट की ओर दिलाया जाता है, जिससे यह पता लगेगा कि भारत के निर्यात अप्रैल, 1970 से जनवरी, 1971 की अवधि में 1969-70 की उसी अवधि की अपेक्षा 8.2 प्रतिशत अधिक थे। अप्रैल, 1970 से फरवरी, 1971 की अवधि में निर्यात 1969-70 की इसी अवधि की अपेक्षा 8.5 प्रतिशत अधिक थे। अतः एक महीने में वृद्धि दर केवल 0.3 प्रतिशत बढ़ी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में राजामन्नार आयोग का प्रतिवेदन

332. **श्री बाल तन्डायुतम :** **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने हेतु गठित राजामन्नार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत तथा सोवियत संघ के अर्थ शास्त्र विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श

333. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या भारत तथा सोवियत संघ के अर्थशास्त्र-विशेषज्ञों के बीच नई दिल्ली में हाल ही में हुए विचार-विमर्श में भारत सरकार को आमंत्रित किया गया था ;

(ख) क्या चौथी योजना को रूसी नमूने पर फिर से तैयार करने के लिए सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया : (क) और (ख) ऐसे कोई विचार-विमर्श हुए ही नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक योजना के आकार का पुनरीक्षण

334. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना के आधार का पुनरीक्षण किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो नये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय क्षेत्र सम्बन्धी 1971-72 की वार्षिक योजना के आकार में परिवर्तन 23 मई, 1971 में प्रस्तुत किये गये बजट में प्रतिबिम्बित हुआ है। वार्षिक योजना प्रलेख, जिसमें आवश्यक ब्यौरा दिया जायेगा, तैयार होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सम्पूर्ण आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

335. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण आयात व्यापार को अपने हाथ में लेने का है ;

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र के माध्यम से देश का कितने प्रतिशत आयात व्यापार चल रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण आयात व्यापार को अपने हाथ में ले लिये जाने के परिणाम-स्वरूप देश को क्या लाभ होगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार की यह नीति है कि देश के आयात व्यापार में राज्य अभिकरणों के भाग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाये और अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण आयात व्यापार को अपने हाथ में ले लिया जाए।

(ख) इस समय आयात व्यापार का लगभग 70 प्रतिशत भाग राज्य अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत है।

(ग) राज्य अभिकरण, विश्व बाजारों में अन्य ग्राहकों के साथ प्रतियोगिता में विभिन्न वस्तुओं का आयात करके उनकी उचित तथा साम्यिक मूल्यों पर पूर्ति कर सकते हैं।

डा० धर्म तेजा के साथ विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार

337. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा को जब हाल ही में लन्दन से भारत लाया जा रहा था तो उनके साथ हर समय विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ;

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान । डा० धर्म तेजा को सुरक्षा विनियमों के अनुसार हवाई जहाज की मितव्यय-श्रेणी द्वारा लंदन से दिल्ली लाया गया था । उन्हें कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई थीं ।

(ख) उनके विरुद्ध अदालत में फाइल किए गए आरोप-पत्र में सूचीबद्ध अपराधों का संबंध आपराधिक विश्वासघात, धोखेबाजी, जालसाजी और मिथ्या लेखा से है ।

1967 की हड़ताल के दौरान निलम्बित/बर्खास्त दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों की बहाली

338. **श्री दलीप सिंह** : **श्री रामावतार शास्त्री** :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं दिल्ली पुलिस हड़ताल के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थीं, बहाल कर दिया गया है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या दिल्ली पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के स्थायी निवासियों की पुलिस में नई भर्ती न की जाये ; और

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली पुलिस में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संवर्ग वार तथा वर्ष वार संख्या क्या है और उनमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भर्ती किये गये स्थायी निवासियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार पुलिस के 165 अस्थायी कर्मचारियों में से जिनकी सेवाएं दिल्ली पुलिस आन्दोलन में समाप्त कर दी गई थी, 153 को पुनः भर्ती कर दिया गया है । शेष 12 में से 9 को डाक्टरी जांच में ठीक पाया गया है और भर्ती किया जा रहा है जबकि 3 नहीं आए हैं ।

(ख) ऐसे निर्देश नहीं दिए गए हैं । दिल्ली पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए भर्ती करने वाले दल देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं ।

(ग) दिल्ली पुलिस में निम्नलिखित पदों में सीधी भर्ती की जाती है और गत 3 वर्षों में की गई भर्ती तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के स्थाई निवासियों की भर्ती की संख्या इस प्रकार है :—

विवरण

पद	वर्ष					
	1968		1969			
	भर्ती किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के निवासी	भर्ती किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या	संघ राज्य क्षेत्रदिल्ली के निवासी	भर्ती किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के निवासी
सब-इन्सपेक्टर कार्यकारी	41	16	114	76	41	12
पुलिस सब-इन्सपेक्टर	10	6	भर्ती नहीं की गई		2	1
महिला सब-इन्सपेक्टर	भर्ती नहीं की गई		वही		9	7
महिला सहायक सब-इन्सपेक्टर	वही		वही		5	2
आशुलिपिक हैड कान्सटेबल	वही		वही		5	2
लिपिक वर्गीय	वही		वही		171	69
कान्सटेबल	924	72	620	70	698	99

बीड़ियों का निर्यात

340. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ियों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक कितनी बीड़ियां निर्यात की गई हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ;

(ग) भारत से बीड़ियों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) बीड़ियों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) अप्रैल से नवम्बर, 1970 की अवधि के दौरान अफगानिस्तान, डुबोई, मलयेशिया, नेपाल, कत्तार, सिंगापुर तथा स्विटजरलैण्ड को 14 लाख रु० मूल्य की 81000 किग्रा० बीड़ी निर्यात की गई।

(घ) बीड़ी के पंजीकृत निर्यातकों को, अनुमेय प्रकार की संवेष्टन सामग्री का आयात करने के लिए, निर्यातों के पोत पर्यन्त मूल्य पर 2 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाती है। सरकार द्वारा प्रायोजित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद बाजार जानकारी का वितरण करके, प्रदर्शनियों में भाग लेकर, बाजार सर्वेक्षण करके, प्रचार सम्बन्धी फोल्डर बांट कर व्यापार प्रतिनिधिमंडल आदि भेजकर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों, जिसमें बीड़ी भी शामिल है, के निर्यात बढ़ाने के लिये अनेक उपाय करता है।

नमक का निर्यात

341. **श्री बी० के० मोडक** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नमक के निर्यात में अत्यधिक कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। 1970-71 के दौरान हुए निर्यातों का मूल्य 96.47 लाख रु० (अन्तिम आंकड़े) था, जबकि उससे पिछले वर्ष के दौरान 164.91 लाख रु० मूल्य के निर्यात हुए थे। नमक के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक अर्थात जापान ने गत वर्ष के दौरान भारत से इस मद को नहीं खरीदा। वर्ष 1960 से 1969 तक जापान हमसे लगभग 3 लाख मे० टन प्रति वर्ष की दर से नमक खरीदता रहा है, परन्तु जापान ने पिछले वर्ष अपनी नमक संबंधी अधिकांश जरूरत को अन्य देशों से आयात करके पूरा किया।

(ग) सरकार सुधारात्मक उपाय कर रही है। राज्य व्यापार निगम ने, जो कि नमक के निर्यात हेतु मर्गीकृत अभिकरण है, जापानी खरीदारों से संपर्क स्थापित किया है और उन्हें इस बात के लिए मनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे अपनी जरूरत का कम से कम कुछ भाग तो भारत से आयात करें। राज्य व्यापार निगम अन्य बाजारों में भी बैठा है और उसके द्वारा अब नमक का निर्यात सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया तथा अन्य देशों को किया जा रहा है। भारत में कुछ चुने हुई पत्तनों पर नमक की लदान दर में सुधार करने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में पुलिस की गोलियों के परिणामस्वरूप हुई मौतें

342. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के पिछली बार के शासन के दौरान पुलिस की गोलियों से जिलेवार कितनी-कितनी मौतें हुईं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

सोवियत संघ द्वारा दूसरे सर्वोच्च-शक्ति वाले (सुपर पावर) ट्रांसमीटर की सप्लाई

343. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से दूसरा सर्वोच्च-शक्ति वाला (सुपर पावर) ट्रांसमीटर प्राप्त हो गया है ;

(ख) इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां। यह यूगोस्लाविया से प्राप्त हो गया है।

(ख) राजकोट।

(ग) जून-जुलाई, 1971 तक।

(घ) 227 लाख रुपये।

सोवियत संघ के साथ औद्योगिक संधि

344. **श्री एम० एम० जोजफ** : **श्री झारखंडे राय** :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच किसी औद्योगिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अप्रैल, 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच इस प्रकार की किसी औद्योगिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। तथापि, सोवियत संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसने इस वर्ष मार्च/अप्रैल में भारत की यात्रा की थी, भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग पर बातचीत की थी, जिसमें सोवियत संघ को भारत से उपभोक्ता वस्तुओं की अतिरिक्त मात्राओं की पूर्ति और सोवियत संघ द्वारा अपने खाते पर भारत को कच्ची रुई की पूर्ति की सम्भावनाएं शामिल थीं। इस रुई से सोवियत संघ के उपभोक्ताओं के लिये भारत में सूती कपड़ा बनाने का प्रस्ताव था। किन्हीं विशिष्ट व्यापार संविदाओं पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

समाजवादी देशों के साथ व्यापार

345. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप भारत को अनुमानतः कितना लाभ होगा ; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) भाग का उत्तर नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत तथा समाजवादी देशों के बीच हुए व्यापार करारों और भारत सरकार तथा समाजवादी देशों के अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से व्यापार योजनाएं बनाने के फलस्वरूप भारत तथा समाजवादी देशों के बीच व्यापार का कुल परिमाण 1953 में 8.6 करोड़ रु० से बढ़कर 1965 में 475 करोड़ रु०, 1968 में 497 करोड़ रु० और 1969 में 614 करोड़ रु० हो गया।

New R. M. S. Buiding at Patna not commodious.

346. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Communications **(Sanchar Mantri)** be pleased to state :

(a) whether despite construction of a new R. M. S. building at Patna, complaints of shortage of accommodation there have been sent to Government and, if so, the details thereof;

(b) whether there is no provision for the Rest House etc. in the said building for the Postal Department employees ;

(c) whether there is a shortage of furniture also and a complaint to this effect has also been made by the R. M. S. Union and if so, the action taken or proposed to be taken by Government to redress the complaint ;

(d) whether no shed has been provided in front of the R. M. S. building ; and

(e) if so, whether Government propose to construct a shed there and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) : (Shri H.N. Bahuguna).

(a) Yes, such a complaint from All India R. M. S. Employees' Union Class III was received and examined. However, it is found that there is no shortage of accommodation in the new building at present.

(b) No

(c) No

(d) No

(e) The question of provision of a shed has been taken up with the Railway.

Shortage of Envelopes/Post Cards etc. at Jamnakhal Post Office (Garhwal)

347. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of Communications (**Sanchar Mantri**) be pleased to state :

(a) whether Envelopes, Inland Letters, Postcards remain in short supply quite often in Jamnakhal Post Office in Pauri Garhwal District in Uttar Pradesh ;

(b) whether Government propose to give details of the income and expenditure of that post office after inspecting its accounts ; and

(c) if so, by what time and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The Government or the P and T Board have no information about the general shortage of Envelopes, Inland letter, Cards, Postcards, etc. in Jamnakhal Post Office during the last 6 months excepting on one or two occasions.

(b) and (c) The details are being ascertained and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as they are received from the Postmaster-General, Lucknow.

Telephone facility at Delchouri Post Office in Pauri Garhwal (U. P.)

348. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of Communications (**Sanchar Mantri**) be pleased to state :

(a) whether the Delchouri Post Office in the Pauri Garhwal in U. P. has been provided with telephone ;

(b) if so, whether Government propose to extend the telephone connection from Delchouri to Jamnakhal Post Office ; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) :(a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no proposal under consideration of the department at present to extend telephone connection from Dalchouri to Jamnakhal Post Office. There has also been no demand for the same. However, this proposal will be examined now and action taken in accordance with the existing policy of the department on the subject.

नक्सलवादियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

349. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में अब भी नक्सलवादियों की राष्ट्र विरोधी तथा विनाशकारी गतिविधियां चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवादियों की ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये जो कार्यवाही अब तक की गई है, सरकार को उसमें कहां तक सफलता मिली है ; और

(ग) भविष्य में उनकी गतिविधियों से निपटने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा मुख्यत: नक्सलपंथियों और अन्य उग्रपंथी दलों की गतिविधियों से प्रभावित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा हुआ है। किन्तु पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थिति चिन्ता का कारण बनी हुई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पूरी तरह सम्पर्क रखे हुए है, जो नक्सलपंथियों तथा अन्य उग्रपंथी दलों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। केन्द्र सरकार भी, जहां आवश्यक होता है, अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कुमुक, बेतार तथा अन्य उपकरण और आसूचना के एकत्रीकरण समेत सभी उचित सहायता प्रदान कर रही है।

आकाशवाणी के कलाकारों की मांगें

350. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलाकारों ने बेहतर कार्य-दशा तथा वेतन भत्तों संबंधी अपनी कुछ मांगें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है तथा इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मांगें केन्द्रों के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए सेवा सुरक्षा, फीस खेलों में संशोधन, पदोन्नति अवसर, परिवार पेन्शन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ एवं सुविधाओं आदि जैसे मामलों से सम्बन्धित हैं।

(ग) ये मांगें विचाराधीन हैं और इनमें से कुछ पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

Export of Hides

351. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade (**Videsh Vyapar Mantri**) be pleased to state :

(a) the total quantity of cow and calf hide exported during the financial years from 1968-69 to 1970-71 and the amount of foreign exchange earned by Government therefrom ; and

(b) the total anticipated quantity of cow and calf hide to be exported during the financial year 1971-72 and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minster in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) :

(a) and (b) : Director-General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, do not publish separately export statistics of cow and calf hides. Further it is not the Government policy to encourage the export of cow and calf hides, and, therefore, its export is listed "on merits" in consultation with the DGTD.

Newsprint allotted to Avantika a Hindi daily

352. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting (**Soochna Aur Prasaran Mantri**) be pleased to state :

(a) the total number of copies being printed of the 'Avantika' Hindi Daily published hy the Mohan Printing Press, Ujjain ;

(b) the newsprint quota allotted to it during the last two years ; and

(c) whether Government propose to inquire into the allegation that the owner of the newspaper sold the newsprint in black market and that the number of copies being printed was exaggerated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna Aur Parasarn Mantralaya men Up Mantri) (Shri Dharam Bir Sinha) :

(a) The publisher of 'Avantika' a Hindi daily published from Ujjain, claimed circulation of 5407, 7756 and 8402 copies for the years 1968, 1969 and 1970 respectively.

(b) : During the last 2 years newsprints quota was allowed to it as follows :-

	Quantity in tonnes
(i) April 1969-March 1970	31. 06
(ii) April 1970-March 1971	38. 43 (including 1.16 tonnes in connection with the Mid-term elections to Lok Sabha)

(c) : No complaint regarding the sale of newsprint in black-market by the owner of 'Avantika' has been received. A complaint was, however, received in July 1968 in which it was alleged that the circulation figure claimed by the paper had been exaggerated. The matter is under investigation.

Proposal to check menace of Dacoits in Madhya Pradesh

353. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs (**Grih Mantri**) be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to relieve the people of dacoit-infested areas in Madhya Pradesh from the menace of dacoits ;

(b) if so, details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the directives and assistance proposed to be given by the Central Government to the State Government in future in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) Measures for meeting the dacoity menace in the dacoit-infested areas in Madhya Pradesh are primarily the concern of the State Government who are charged with the maintenance of law and order. However, the Government of India are alive to the problem and, as a result of a careful examination of the various aspects of this problem, a broad-based and integrated plan has been formulated to tackle it. This plan broadly covers the following short-term and long-term requirements of this region :--

(a) Agro-economic development of the area including ravine reclamation ;

(b) Development of raods ; and

(c) Improvement of the transport and communicational facilities with the Police.

To assist the State Government in implementing the plan, a loan-cum-grant of

Rs. 10 lakhs was given during 1969-70 and again in 1970-71 for the modernisation of the State Police with particular emphasis on this area. In addition, a loan of Rs. 59.34 lakhs was given during 1970-71.

A centrally sponsored Pilot Project has been taken up in the District of Morena over an area of 2,000 hectares with an outlay of Rs. 50 lakhs, in order to establish the economic and technical feasibility of ravine reclamation.

The State Governments have been requested to work out and forward proposals for inter-State link roads to be financed by the Government of India under their loan assistance scheme.

More recently, the Government of India having felt the need to make a more intensive study of the problem in all its aspects and with a view to chalking out the various measures, in addition to those already taken, that are required for the eradication of the dacoity menace from this region, have constituted a Study Team to go into the entire matter.

Value of Goods Imported and Exported

354. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade (**Videsh Vyapar Mantri**) be pleased to state :

(a) the value in terms of Indian rupees, of the goods imported and exported during the financial year 1970-71 ; and

(b) the estimated value of goods proposed to be imported and exported during the financial year 1971-72 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vayapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) :

(**a**) and (**b**) The provisional figure of total imports during 1970-71 is Rs. 1628 crores while the corresponding figure of exports will be Rs. 1531 crores. As for 1971-72, the total imports are expected to rise by about 5 percent over 1970-71. The present estimate of total exports during 1971-72 is Rs. 1670 crores.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन हाई-पौलीमार अनुसंधान प्रयोगशाला का नया कारखाना

355. **श्री बीरेन दत्त : क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन हाई-पौलीमार अनुसंधान प्रयोगशाला के एक नये एकक को खोलने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान श्रीराम इन्स्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च के कर्मचारियों के इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकार इस इंस्टीट्यूट को, जो कि उसी प्रकार का कार्य कर रहा है, अपने अधिकार में ले ले ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने प्लास्टिक उद्योग की विकास एवं अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जो स्थायी समिति नियुक्त की थी, उसने निम्नलिखित कार्यों के लिए सी० एस० आई० आर० में एक विशेष एकक की स्थापना करने का सुझाव दिया है ।

(1) देश में उपलब्ध सुविधाओं और पोलीमरों में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों की गति तीव्र करने के लिए तत्काल आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तृत पुनर्विलोकन करना।

(2) अनुसंधान एवं विकास के लिए संगठित और लघु उद्योगों और मध्यम स्तरीय सेक्टर की आवश्यकताओं को समझना, एकरूपता प्रदान करना तथा अग्रिम तकनीकी के निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाना।

(3) निरंतर सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रयत्न करना तथा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के अनुसंधान एवं विकास के प्रारम्भिक स्तर पर ही उपभोक्ताओं की खोज करने के लिए उद्योगों से सम्पर्क स्थापित करना।

(4) उपर्युक्त (1) और (2) के आधार पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को तैयार करना और उनकी प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करना।

(5) नई प्रयोगशाला की स्थापना सहित उपलब्ध आवश्यकता और सुविधाओं के आधार पर उपर्युक्त सिफारिशें करना।

सुझाव विचाराधीन हैं।

(ग) दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में से एक में छपी सूचना को सरकार ने देखा है।

(घ) उचित समय पर इसमें गौर किया जाएगा।

भारतीय निर्यात के सम्बन्ध में विश्व बैंक की भविष्यवाणी

356. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि भारतीय निर्यात में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि 1970-71 में वास्तविक वृद्धि 8 प्रतिशत हुई ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की निराशावादी भविष्यवाणी का आधार क्या है तथा उसके पीछे उद्देश्य क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वर्ष 1970-71 में भारतीय निर्यातों में वृद्धि की अल्प दर (लगभग 3.5 प्रतिशत) की भविष्यवाणी संभवत: काफी पहले की गई होगी जब वे अपने भारत विषयक प्रतिवेदन के विदेश व्यापार अध्याय के मसौदे को तैयार कर रहे थे।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भविष्यवाणी निम्नलिखित उपादानों से काफी प्रभावित थीं : —

(1) वर्ष 1968-69 में निर्यातों में हुई 13.3 प्रतिशत वृद्धि दर का वर्ष 1969-70 में घटकर 4.1 प्रतिशत रह जाना ;

(2) जून, जुलाई, 1969 की तुलना में वर्ष, 1970 की उसी अवधि के निर्यातों में भारी गिरावट ;

(3) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1970 के निर्यात-आंकड़े, जो उस समय उपलब्ध थे, बाद में संशोधित होने के फलस्वरूप बढ़ गये थे।

निर्यात में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

357. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात में इस वर्ष हुई वृद्धि को निरन्तर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) बड़े-बड़े पूंजीवादी, समाजवादी तथा विकासशील देशों को अलग-अलग कितना और कितने प्रतिशत निर्यात किया गया है और उन देशों के साथ निर्यात-आयात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उठाए गए उपायों का उल्लेख 31-3-1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 40 के भाग (ग) के उत्तर में लोकसभा के पटल पर रखे गए विवरण 2 में किया गया है। इन उपायों का अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उद्देश्य है कि निर्यातों में वृद्धि सतत आधार पर की जाये वे किसी खास अवधि/अवधियों तक ही सीमित नहीं हैं।

(ख) यह सूचना वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशक, कलकत्ता के "इम्पोर्टस/एक्सपोर्टस एण्ड रि-एक्सपोर्टस" नामक सांख्यिकी प्रकाशनों में प्राप्य है जिनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं। छपे हुए ब्यौरेवार आंकड़े अभी नवम्बर, 1970 के महीने तक प्राप्य हैं।

पटसन के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाये जाने की मांग

358. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पटसन विकास परिषद की पटना में हुई सातवीं बैठक में उसके अध्यक्ष द्वारा उठाई गई इस मांग की ओर आकर्षित किया गया है कि पटसन के न्यूनतम मूल्य को तत्काल बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पटसन के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1971-72 के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर पहले ही विचार आरम्भ किया जा चुका है और इसके विषय में विनिश्चय की यथाशीघ्र घोषणा होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छोटी सादड़ी स्वर्णकांड की जांच

359. **श्री के० लकप्पा : श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छोटी सादड़ी स्वर्णकांड के मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) श्री गनपतलाल तथा अन्य द्वारा स्वर्ण के तथाकथित गबन के सम्बन्ध में एक मामला उदयपुर में, सिविल जज तथा सहायक सेशन जज की अदालत में निलम्बित है । आपराधिक मामले के इस लम्बन के दौरान कानून के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी है, और इसमें समय लगेगा ।

(ग) यह अदालती मामले में हुई प्रगति पर निर्भर होगा ।

हथियार, गोलाबारूद तथा गुरिल्ला युद्ध सम्बन्धी साहित्य की तस्करी

360. **श्री के० लकप्पा** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में चोरी से हथियार, गोला-बारूद तथा गुरिल्ला युद्ध संबंधी साहित्य भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार को देखा है ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

कवि पवनधन भारती दासन की स्मृति में डाक टिकट का जारी किया जाना

361. **श्री मुरुगन्तम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी प्रशासन ने महान तमिल कवि पवनधन भारती दासन की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) 1971 में थिरू भारती दासन के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव की डाक-तार विभाग से सम्बद्ध डाक-टिकट सलाहकार समिति ने जांच की थी, किन्तु उक्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की ।

नीलगिरि (तमिलनाडु) में काफी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते का वापिस लिया जाना

362 **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरि, तमिलनाडु में काफी बोर्ड के अनुसंधान विभाग में काम कर रहे कर्म-

चारियों को काफी बोर्ड ने गत आठ वर्षों में उनके द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते को वापिस करने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ता वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के 31 दिसम्बर, 1962 के परिपत्र संख्या एफ० 8(21) एफ/ivबी/62 के अनुसार मांगा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भत्ता वापिसी आदेश को वापिस लेने के बारे में विचार करेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) काफी बोर्ड के गवेषणा विभाग के कर्मचारियों ने वित्त मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन एफ 8(21) एफivबी/62 दिनांक 31 दिसम्बर, 1962 के अन्तर्गत ग्राह्य दरों से ऊंची दरों पर यात्रा भत्ता ले लिया था। बोर्ड ने सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक अदायगी की राशियों को आसान किश्तों में वसूल करने का विनिश्चय किया है।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

पानीपत में हथकरघा उद्योग का किया गया अध्ययन

364. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा पानीपत के हथकरघा उद्योग का कोई विशेष अध्ययन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। अगस्त, 1970 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने हरियाणा राज्य के निर्यात क्षमता सर्वेक्षण के भाग के रूप में पानीपत के हथकरघा उद्योग का विशेष अध्ययन किया था।

(ख सर्वेक्षण के क्षेत्र में पानीपत हथकरघों के प्रमुख निर्माता/निर्यातक शामिल थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इस उद्योग की विभिन्न समस्याओं के बारे में जांच की गई जो कच्चे माल की आवश्यकताओं, रंगाई, फिनिशिंग सम्बन्धी सुविधाओं, विपणन प्रबन्धों आदि से सम्बन्धित थीं। सर्वेक्षण में यह लक्षित किया गया है कि पानीपत से हथकरघे माल के निर्यात को 20 लाख के वर्तमान अनुमानित स्तर से बढ़ाकर 60 लाख रु० तक किया जा सकता है, बशर्ते कि उद्योग को विदेशों की निर्यात आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। सर्वेक्षण में की गई प्रमुख सिफारिशों में ये भी शामिल हैं : (क) बढ़े हुए निर्यातों के लिए आवश्यक उत्पाद में रूप भेद (ख) पानीपत में ऊनी फिनिशिंग संयंत्र की प्रस्थापना (ग) उद्योग को कच्चे माल की अपेक्षित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पानीपत में कच्चे माल के डिपो की स्थापना।

(ग) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के विचाराधीन है।

नक्सलवादियों द्वारा पश्चिमी बंगाल में एक लम्बे पद यात्रा अभियान के लिए प्रस्ताव

365. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों द्वारा मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल में विशेषकर मिदनापुर और परूलिया जिलों में एक लम्बा पद-यात्रा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की घटनाओं के निकट भविष्य में घटने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या नक्सलवादियों ने ऐसे अभियान के लिये अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी हैं। सरकार ने भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त की है और उग्रपंथियों द्वारा हथियारों के छीनने के कुछ दृष्टान्तों से भी अवगत हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विदेशों में भारतीय गुलाबों की मांग

366. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय गुलाबों की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उनसे कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सप्लाई कब की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। ब्रिटेन, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मन जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में सरदी के महीनों में कुछ मांग होती है।

(ग) तथा (घ) दिसम्बर, 1971, मार्च 1972 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम का लगभग 4000 दर्जन कटे हुए गुलाबों का निर्यात करने का विचार है, यद्यपि उन्हें अब तक कोई विशेष क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं। गैर-सरकारी पक्षों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना

367. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये निर्धारित आयु सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाएं जो अभी उपलब्ध हैं, डाक्टर ए० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित सरकारी सेवाएं (भर्ती के लिए योग्यताएं) समिति, जिसने इस विषय में विस्तृत रूप से विचार किया था, की इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात सन् 1959 में निर्धारित की गई थीं। तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग ने गैर-तकनीकी उच्च सेवाओं के लिए आयु सीमाओं को बढ़ाकर 26 तक करने की सिफारिश की है, ताकि वे उम्मीदवार जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन किया है या विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसी सेवाओं के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र हो सकें। यह सिफारिश विचाराधीन है। इसी प्रकार, अनुसंचिवीय श्रेणी III के पदों

पर भर्ती के लिए उच्च आयु सीमा बढ़ाने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री की राष्ट्रीय परिषद की हाल की बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव भी विचाराधीन है ।

योजना आयोग पर हो रहे व्यय में वृद्धि

368. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पर हो रहे व्यय में अत्यधिक वृद्धि की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा वर्ष 1970-71 में इस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) आयोजना तथा अनुसंधान संबधी वास्तविक कार्य कर रहे वेतन भोगी अर्थशास्त्रियों पर किये जा रहे व्यय की प्रतिशतता क्या है और उपसचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक लिपिक जैसे प्रशासकीय तथा लिपिक कार्यों के करने वाले व्यक्तियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर किये जा रहे व्यय की प्रतिशतता क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1955-56 का, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था तथा 1970-71 का व्यय इस प्रकार है :—

1955-56	—	39,84,000 रुपये
1970-71	—	1,33,55,000 रुपये
		(अस्थायी आंकड़े)

परवर्ती योजनाओं, जिनमें कि विकास का और अधिक क्षेत्र समाहित है, के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि होने से न केवल वर्तमान तकनीकी प्रभागों को सुदृढ़ करने अपितु बहु-विध विकास समस्याओं को निपटाने के लिए भी अतिरिक्त एककों के सृजन की भी आवश्यकता पड़ी है । पन्द्रह वर्ष की अवधि में प्रशासनिक व्यय की सामान्य रूप से बढ़ोतरी की दर, परवर्ती योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोले गए अतिरिक्त एककों पर व्यय तथा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार, मंहगाई भत्ते के पुनः संशोधन, अन्तरिम सहायता की मन्जूरी तथा अन्य छोटी-मोटी सुविधाएं जैसे सन्तान शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्क के लौटाने इत्यादि के रूप में दिये गये अतिरिक्त लाभों को दृष्टि में रखते हुए पन्द्रह वर्ष की अवधि में योजना आयोग के व्यय में उपर्युक्त वृद्धि को असाधारण नहीं माना जा सकता ।

(ख) योजना आयोग परामर्शदात्री संस्था है, अतः इसमें न केवल अर्थशास्त्रियों अपितु अनेकों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी नियुक्त करना पड़ता है जिनमें कृषि, अभियान्त्रिकी, जन-स्वास्थ्य, भू-विज्ञान, समाज विज्ञान, सांख्यिकी इत्यादि के क्षेत्र शामिल हैं । क्योंकि ये सभी अधिकारी योजना के उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए कार्य करते हैं अतः उनका स्थान महत्व का है । समग्र व्यय का व्यौरा इस प्रकार है :

1. योजना तैयार करने वाले मुख्य कर्मचारीगण । —61 प्रतिशत
2. योजना तैयार करने वाले मुख्य कर्मचारीगण की सहायता करने वाले कर्मचारी जैसे कि आशुलिपिक, लिपिक तथा तकनीकी प्रभागों में कार्यालय रिकार्ड की साज-सम्हाल करने वाले अन्य कर्मचारी —18 प्रतिशत
3. सामान्य सेवाएं जैसे पुस्तकालय, हिन्दी अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, प्रकाशन तथा योजना विवरण, मानचित्र तथा चार्ट एकक, संदेश प्रणाली इत्यादि । —10 प्रतिशत

4. प्रशासन तथा प्रबन्धक सेवाएं। — 11 प्रतिशत

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गुलाबों का निर्यात

369. **श्री बी० के० दास चौधरी :** **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाबों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू मौसम में कितने मूल्य के गुलाबों का निर्यात किया गया ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम गुलाबों की खरीद किस प्रकार करता है और इसके द्वारा प्रति पुष्प की कितनी कीमत दी जाती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कटे हुए गुलाबों का निर्यात विकास की अवस्था में है। राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर, 1970 फरवरी, 1971 के दौरान आजमाइसी तौर पर लन्दन को 6 बार में पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 710 रु० के गुलाबों का निर्यात किया।

(ग) राज्य व्यापार निगम 75 पैसे प्रति पुष्प की दर से उपजकर्त्ताओं से सीधे ही गुलाबों की खरीद करता है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को वृद्धावस्था पेन्शन देने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

370. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को कम से कम 150 रुपये प्रति मास वृद्धावस्था पेन्शन देने के संबंध में उन्हें कोई ज्ञापन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेन्शन पाने योग्य स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या तथा उनके लिए पेन्शन की राशि का अनुमान लगा लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तमिलनाद स्वतन्त्रता सेनानी समिति से ऐसा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग) चूंकि स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये राहत तथा पुनर्वास के कार्य का उत्तर-दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है जिनकी पेन्शन की अपनी-अपनी योग्यताएं हैं ; अतः पेन्शन की राशि में वृद्धि की सम्भावना पर विचार करना राज्य सरकार का कार्य होगा।

रुई के मूल्यों में वृद्धि

371. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए हाल ही में रुई के मूल्य में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में रुई उत्पादकों, व्यापारियों और निर्माण-कर्त्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-फ्रांस व्यापार करार

372. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच व्यापार सम्बन्धी करार की अवधि बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस करार के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। भारत सरकार तथा फ्रांस के बीच अक्तूबर, 1959 में हुए भारत-फ्रांस व्यापार करार की अवधि भारत-फ्रांस संयुक्त आर्थिक आयोग के संलेख द्वारा 1 जनवरी, 1971 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी है। इस संलेख पर नई दिल्ली में 24 अप्रैल, 1971 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) भारत निर्मित उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त आर्थिक आयोग के संलेख में उपयुक्त फ्रांसीसी सहायता से वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने की रूपरेखा दी गयी है। इसके व्यौरे यथासमय तय कर लिये जायेंगे।

(ग) वर्तमान करार मुक्त बाजार अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के साथ हमारे व्यापार करारों/व्यवस्थाओं के पैटर्न पर है और इसमें आयात/निर्यात की कोई वचनबद्धता नहीं है। अतः विदेशी मुद्रा की संभावित आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

Post Offices in Bikaner Division in Rented Buildings

373. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Communications (Sanchar Mantri) be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in the towns and Mandies in Bikaner Division in Rajasthan, which are still functioning in rented building ;

(b) the monthly rent of each building where such post offices are functioning and the amount paid up till now as rent to the owners of the buildings ;

(c) the number of Post Offices, which are going to be shifted to the buildings constructed by the Post and Telegraph Department during 1971-72 and, if not, the reasons therefor ; and

(d) if the P and T Department is constructing its own buildings for Post Offices, names of such places, which are being given priority in this matter ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) Towns -24

Mandies---25

(b) List attached. [Placed in Library. See No LT. 186/71]

(c) (i) Nil

(ii) Reasons :---No buildings for post office are presently under construction.

(d) It is proposed to put up departmental buildings at the following stations in Bikaner Division.

1. Padampur
2. Raisinghnagar
3. Hanumangarh Jn
4. Sangaria
5. Nokha
6. Srikaranpur

7. Bahadra
8. Hanumangarh Town
9. Deshnok

Post and Telegraph Quarters for Staff of Bikaner Division in Rajasthan

374 **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Communications **(Sanchar Mantri)** be pleased to state :

(a) the number of officers and staff separately in each Post and Telegraph Office in the Bikaner Division in Rajasthan ;

(b) the number of those out of them who have Government residential accommodation and also of those who are living in rented accommodation ;

(c) whether his Mantralaya propose to construct residential quarters with a view to solving the accommodation problem of Officers and staff ; and

(d) if so, the number of quarters proposed to be built as also the location thereof ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) : (a) As per attached list. [Placed in library. See No L.T. 187/71]

(b) (i) Officers provided with Government residential accommodation.	Staff provided with Government accommodation
Nil	31
(ii) Officers provided with rented accommodation.	Staff provided with rented accommodation.
3	51

The remaining are living in accommodation arranged on their own.

(c) Yes. At Bikaner, Sriganganagar and Hanumangarh.

(d) Bikaner 42. The plans for construction of quarters at Sriganganagar and Hanumangarh are yet to be finalized after the plots are acquired.

Cotton Trade Agreement with U. S. S. R.

375. **Shri Ishwar Chaudhary** : **Shri Martand Singh** :
Shri R. V. Bade

Will the Minister of Foreign Trade **(Videsh Vyapar Mantri)** be pleased to state :

(a) whether a trade agreement has been concluded recently with U. S. S. R. for the import of cotton ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the U. S. S. R. would receive cotton from Sudan to cover a major portion of this export commitment to India ; and

(d) if so, the difference in the rates which Government will have to bear due to the reasons that Government is not going to import this cotton direct from Sudan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) : **(a)** An agreement has been signed providing for the supply of 20,000 tons of raw cotton annually from Soviet Union which would be converted into cotton textiles and manufactures in India, and re-exported to Soviet Union.

(b) **to (d)** : Further negotiations between the two countries are in progress and details are being finalised.

लौह अयस्क का निर्यात

376. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में सरकार तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और गत दो वर्षों के निर्यात की तुलना में यह कैसा है ;

(ख) किन देशों को निर्यात किया गया, प्रत्येक देश को कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ग) क्या इस वर्ष की अवधि में कोई नये करार किये गये हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या खरीददार अन्य स्रोतों से सप्लाई को अधिक पसन्द कर रहे हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम और गोआ के गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा लौह अयस्क के देशवार निर्यात दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 188/71.]

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1970-71 में विभिन्न देशों को 126 लाख टन लौह अयस्क की पूर्ति के लिए संविदाएं की हैं।

(घ) हाल ही में जापानी बाजार में भारतीय लौह अयस्क के लिए अन्य स्रोतों यथा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा सोवियत संघ से भारी प्रतियोगिता होने लगी है। गत चार वर्षों में जापान ने आस्ट्रेलिया उदभव के अयस्क के भारी परिमाण में आयात की संविदाएं की हैं। जापान पश्चिमी तथा दक्षिणी अफ्रीका के संभाव्य स्रोतों का पता लगाने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है। जापान लौह अयस्क की पूर्ति के स्रोतों का अधिकतम सीमा तक विविधीकरण करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है ताकि किसी एक स्रोत पर उनकी निर्भरता अनावश्यक रूप में अधिक न रहे।

लौह अयस्क उत्पादन अन्य देशों से भारी प्रतियोगिता के बावजूद हमारे निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं जिसकी पुष्टि संलग्न विवरणों से हो जाती है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 188/71]

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

377. **श्री एम० आर० दामानी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान सरकार तथा गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा जहाजों द्वारा बाहर भेजी गई मैंगनीज अयस्क की मात्रा क्या है और यह आंकड़े पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से अधिक हैं या कम ;

(ख) देश-वार निर्यातित अयस्क की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा क्या है ;

(ग) क्या क्रेता अन्य देशों की सप्लाई को तरजीह दे रहे हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बाजारों पर पुनः अधिकार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जिसके माध्यम से मैंगनीज अयस्क के निर्यात मार्गीकृत हैं, के अलावा मैंगनीज और

(इंडिया) लि० ही केवल दूसरा अभिकरण है जिसे मैंगनीज अयस्क के निर्यात की अनुमति है। संलग्न विवरण 1 में, विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा मैंगनीज और (इंडिया) लि० द्वारा किए गए निर्यातों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 189/71.**]**

(ख) जानकारी, संलग्न विवरण 2 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 189/71**]**

(ग) तथा (घ) विशेष रूप से सप्लाई के लिए नए स्रोतों (विशेषत: आस्ट्रेलिया) के आविर्भाव तथा 'वद्ध स्रोतों' अर्थात ब्राजील, गेबेन तथा घाना. के विकास के कारण, विश्व के मैंगनीज अयस्क के उत्पादन तथा पूर्ति के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। इन 'वद्ध स्रोतों' को यह लाभ है कि उनके लिये बाजार सुनिश्चित है तथा उत्पादन के यन्त्रीकृत साधन और पत्तन की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। अतः भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिए इन उदीयमान पूर्तिकर्ताओं से प्रतियोगिता करना कठिन हो गया है, इसका प्रमुख कारण कतिपय बाधाएं हैं, यथा स्वेज नहर का बन्द हो जाना, जिससे यूरोप तथा सं० रा० अमरीका को होने वाले निर्यातों के समुद्र भाड़े में भारी वृद्धि हुई है।

हाल के वर्षों में, मैंगनीज की उच्च श्रेणियों के लिये (जो कि मुख्यत: पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन तथा सं० रा० अमरीका को निर्यात होते थे) विदेशी मांग तथा आंतरिक प्राप्यता का स्वरूप काफी बदल गया है, क्योंकि देश में अयस्क की ये श्रेणियां अब, फैरो-मैंगनीज के उत्पादन के लिए काम आ रही हैं।

इसलिए 1971-72 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम मैंगनीज अयस्क के निर्यातों को कम से कम 1970-71 के स्तर तक बनाए रखने का प्रयत्न करेगा, परन्तु भारतीय मैंगनीज के विपणन की पुरानी स्थिति प्राप्त करने का भरोसा नहीं किया जा सकता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात

378. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया है और इस में परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात कितना कितना है ;

(ख) भारत के कुल निर्यात में मूल्य की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात की प्रतिशतता क्या है और ये आंकड़े गत वर्ष की तुलना में कम हैं या अधिक ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और यह लक्ष्य निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 70.12 करोड़ रु० (अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर) का कुल निर्यात किया गया। इस राशि में 34.2 प्रतिशत मूल्य का परम्परागत और 65.8 प्रतिशत मूल्य का अपरम्परागत माल शामिल है।

(ख) भारत के निर्यात व्यापार में निगम का भाग और उसके द्वारा पिछले वर्ष किये निर्यात से इसकी तुलना नीचे दी जाती हैं :—

वर्ष	राज्य व्यापार निगम के निर्यात	भारत के निर्यात	राज्य व्यापार निगम का प्रतिशत अंशदान।
		(करोड़ रु० में)	
1969-70	55.15	1408.60	3.9
1970-71	70.12	1531.00	4.6

(ग) निगम ने 1971-72 के दौरान 90 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात करने का लक्ष्य रखा है और 1972-73 के दौरान 120 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात करने की एक परियोजना तैयार की है। ये आंकड़े, गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातों की वृद्धि दर तथा अन्य संबंधित व पूर्वानुमानित तथ्यों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं।

पश्चिम बंगाल में हुई हत्यायें

379. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पश्चात भी वहां पर नित्य हो रही हत्याओं की संख्या सम्बन्धी समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें इन घटनाओं का कारण क्या बताया गया है ; और

(ग) राज्य में कानून तथा व्यवस्था की इस समस्या पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार को क्या मन्त्रणा अथवा निर्देश दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क रखे हुए है और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार इस बारे में सभी सम्भव कदम उठा रही है।

डाक के वितरण में देरी

380. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल डाक के वितरण में जो अत्यधिक देरी हो रही है उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या डाक को हवाई जहाजों द्वारा भेजने का कार्य, जिसे इंडियन एयर लाइन्स की हड़ताल के दौरान बन्द कर दिया गया था, फिर से शुरू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) क. हाल ही में इंडियन एयर लाइन्स का श्रम विवाद, उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का 'नियमानुसार काम' करना, ताला-बंदी और ऐसी स्थिति से निबटने के लिये समान कार्यकुशलता वाली किसी अन्य व्यवस्था का अभाव होना।

ख. डाक सेवाओं का अन्य विभागों, उदाहरणार्थ रेल सेवा पर निर्भर करना, जिनमें से कुछ रेल गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं ; और

ग. डाक-तार कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा कई कारणों से जैसे कि : रेल गाड़ियों के डाक डिब्बों में प्रकाश, पानी आदि की पूरी सुविधाओं के अभाव, स्थानीय प्राधिकारियों आदि की अवज्ञा से अनधिकृत हड़ताल करना।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Foreign Trade Policy

381. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of Foreign Trade (**Videsh Vyapar Mantri**) be pleased to state :

(a) whether any policy on foreign trade was laid down in the beginning of April or May for the year 1971-72 ; and

(b) if so, the salient features thereof and in what way it is different from the previous policy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) : (a) and (b) : Import Policy for the year April 1971-March 1972 was announced on the 30th April, 1971. The policy is contained in the Import Trade Control Policy Book (Volnmes I and II) which are priced publications and of which the copies were supplied to the library of the Lok Sabha.

Grant of Special Allowance to Sheikh Abdullah and his Associates

332. **Shri R. C. Vikal** : **Shri N. S. Bisht** :

Will the Minister of Home Affairs (**Grih Mantri**) be pleased to state :

(a) whether the State Government of Jammu and Kashmir have consulted the Central Government in the matter of special allowance granted to Sheikh Abdullah and his associates ; and

(b) if so, in what form the special allowance is being given indicating the date from which it is being given ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Pradhan Mantri, Paramanu Urja Mantri, Grih Mantri tatha Soochna aur Prasaran Mantri) (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.No such consultation was required.

(b) The Jammu and Kashmir Government have intimated that they have sanctioned family maintenance allowances with effect from 1st April, 1971 to Sheikh Abdullah, Mirza Afzal Beg and Shri G. M. Shah at the rates of Rs. 1,000/-, Rs. 800/-and Rs.800/- per month, respectively.

केरल के काफी उत्पादकों से अभ्यावेदन

383. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी उत्पादकों से उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केरल राज्य के काफी उगाने वालों की समस्याएं दर्शाने वाला एक ज्ञापन सरकार को नवम्बर, 1970 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन के अन्तर्गत दिये गये अधिक महत्वपूर्ण विषयों का संबंध बोर्ड में काफी उपजकर्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, काफी उपजकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत काफी के लिए उचित प्रतिफल, काफी पर विभिन्न कर लगाने की प्रक्रिया का सरलीकरण, माल वहन परमिटों के फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में जारी करना, वायनाड क्षेत्र में काफी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी, परामर्शी तथा विस्तार सेवा को सुदृढ़ करना, और देश में काफी के उपभोग में वृद्धि करने के लिए उपायों को तेज करना आदि से था। इस ज्ञापन के संबंध में काफी बोर्ड से परामर्श करके ब्यौरेवार विचार किया गया है। उपजकर्ताओं द्वारा उठाये गये विषयों के अन्तर्गत कुछ मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :—

(1) उपजकर्ताओं द्वारा पूल में प्रस्तुत काफी के लिये काफी बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान, प्रत्येक मौसम की फसल के आधार पर निर्धारित उपज लागत से सदैव अधिक रहा है।

(2) वायनाड क्षेत्र में काफी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी, परामर्शी तथा विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

(3) माल वहन परमिटों को अब क्षेत्रीय भाषा अर्थात मलयालम में उपलब्ध कराया जा चुका है।

(4) देश में काफी के उपभोग में वृद्धि लाने के लिए काफी बोर्ड एक व्यापक द्रुत कार्यक्रम हेतु योजनाएं तैयार कर रहा है।

(5) काफी बोर्ड में काफी उपजकर्ताओं का पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और उनके प्रतिनिधित्व में और वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

अभ्यावेदन में दिये गये अन्य विषयों को राज्य सरकारों के ऐसे उपयुक्त अधिकारियों को भेज दिया गया है, जो मुख्य रूप से इस मामले में संबंधित हैं।

काजू के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

384. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काजू के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) फिलहाल काजू की गिरियों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है।

काजू उद्योग का औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना

385. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू के उद्योग को औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम (इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट) के अन्तर्गत लाने की मांग पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां तो इस मामले पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विदेश ब्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम नामक कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कानपुर के सूती कपड़ा मिलों में संकट

386. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश ब्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के सूती कपड़ा मिलों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस बात की जांच कराई गई है कि यह संकट वास्तविक है अथवा कृत्रिम ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। फिर भी यह सूचना मिली है कि कानपुर में एक सूती वस्त्र मिल उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इस मिल के कार्यों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वज का प्रयोग

387. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि राष्ट्रीय ध्वज ही भारत के राष्ट्रपति का ध्वज होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति के लिए भिन्न ध्वज का प्रयोग किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में कब तक निर्णय लेने का है ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : भारत के राष्ट्रपति के निजी झण्डे को राष्ट्रीय झण्डे से बदलने के सुझाव दिये गये हैं। मामला विचाराधीन है।

भारत को दिये गये टैरिफ अधिमानों का बन्द किया जाना

388. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ-साथ भारत को दिये गये टैरिफ अधिमानों को बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस बीच चर्चा हो चुकी है तथा उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस विषय में 2 दिसम्बर, 1970 को पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 454 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श अभी चल रहा है।

विदेशों से आने वाले व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का भारत का दौरा

389. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 6 महीनों के दौरान कई विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आये प्रतिनिधि मण्डलों के नाम क्या हैं ;

(ग) सरकार तथा गैर-सरकारी उद्योगपतियों के साथ उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन दौरों के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। नवम्बर, 1970 के बाद 13 विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 190/71.]**

संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

390. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अब तक खोली गई संकटग्रस्त कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) क्या देश की शेष संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) सरकार ने इन मिलों पर अब तक कितनी पूंजी लगाई है और भविष्य में वह कितनी और पूंजी लगायेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश की संकटग्रस्त वस्त्र मिलों का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना के बाद सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 16 सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लिया है। नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व इनमें से 11 मिलें बन्द पड़ी थी जो अब चल रही हैं। इनके राज्य-वार आंकड़े निम्नलिखत हैं :—

गुजरात	5
तमिलनाडु	4
महाराष्ट्र	1
उत्तर प्रदेश	1

तीन मिलें अभी तक बन्द पड़ी हैं। इन तीन में से एक मिल के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय ने अन्तरिम व्यादेश जारी कर दिया है। शेष दो मिलों के शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम इन मिलों को कुल 1.56 करोड़ रु० के ऋण दे चुका है और कार्यकारी पूंजी आदि के लिए 1.27 करोड़ रु० के ऋण दिये जाने का अनुमान है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

391. **श्री एम० कतामुतु : श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गयी सिफारिशों की संख्या तथा उनका स्वरूप क्या है ;

(ग) अभी कितनी सिफारिशें विचाराधीन हैं ; और

(घ) स्वीकार की जा चुकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में अगर कोई कदम उठाये गये हों तो वे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत 20 रिपोर्टों में से, जिनमें 578 सिफारिशें निहित थीं, निम्नलिखित रिपोर्टों में केन्द्र से संबंधित अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय किये गये हैं :—

(I) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं

(II) योजना तंत्र (अन्तरिम रिपोर्ट)

(III) योजना तंत्र (अन्तरिम रिपोर्ट)

(IV) सरकारी क्षेत्र उपक्रम

(V) वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

(VI) आर्थिक प्रशासन, और

(VII) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन ।

निम्नलिखित रिपोर्टों में उल्लिखित कुछ सिफारिशों पर भी निर्णय किये गये हैं :—

(I) भारत सरकार का शासन तंत्र तथा उसकी कार्य-प्रणाली

(II) रेलवे, और

(III) राज्य प्रशासन

इन दस रिपोर्टों में 331 सिफारिशें हैं जिनमें से 280 का संबंध केन्द्र से और 51 का संबंध राज्यों से है । केन्द्र से संबंधित सिफारिशों में से 205 पर निर्णय ले लिये गये हैं जिनमें से 184 को संशोधन अथवा बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया गया है, अथवा उचित समय पर ध्यान देने के लिए नोट कर लिया गया है अथवा उनमें आंशिक निर्णय कर दिया गया है। इनमें तथा अन्य रिपोर्टों में शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(घ) वर्तमान आदेशों के अनुसार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से सिफारिशों पर किये गये निर्णयों को तेजी से कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है । इन निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नियतकालिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी भी रखी जाती है ।

लुधियाना में ऊनी होजरी उद्योग में मन्दी

392. **श्री गदाधर साहा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रयादेशों के न मिलने के कारण लुधियाना का ऊनी होजरी उद्योग मन्दी से गुजर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्रयादेशों के न मिलने के क्या कारण हैं ;

(घ) ऊनी होजरी के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या सरकार तत्काल कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) तथा (ङ) ऊनी होजरी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रतिपूर्ति संबंधी योजनायें चलाने, आधुनिकीकरण तथा ऊन साफ करने की इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के रूप में पहले से ही कई कदम उठाये हैं जिनके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में इस मद के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

रेडियो पर चीन द्वारा कथित भारत विरोधी प्रचार

393. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन, भारत की अत्यधिक निन्दा कर रहा है तथा लोगों को झूठे प्रचार से पथभ्रष्ट करने के लिए कहीं हिमाचल की सीमा पर उच्च-शक्ति वाला ट्रांसमीटर चला रहा है और भारत-विरोधी कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार भारत विरोधी प्रचार का खण्डन करने के लिए कहीं उत्तराखण्ड क्षेत्र में उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चीन के पक्षपातपूर्ण प्रचार का खण्डन करने के लिए आकाशवाणी के प्रसारण देश तथा विदेशों के श्रोताओं के लिए तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

(ग) उत्तराखण्ड क्षेत्र में उच्चशक्ति वाला एक ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना पहले ही मन्जूर की जा चुकी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Absence of Telegraph Offices in Hilly Areas of U. P.

394. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of Communications **(Sanchar Mantri)** be pleased to state :

(a) whether there is no Telegraph Office within a radius of fifty miles in hilly areas in Uttar Pradesh as a result of which the inhabitants of these areas cannot send messages to any other place telegraphically ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to open new Telegraph Offices in these areas ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Leaving apart the snow bound and very sparsely populated border areas, there is no place in the hilly areas in Uttar Pradesh which is not having a Telegraph office within a radial distance of 50 miles.

(b) The question of providing new telegraph office in these areas are constantly under examination in accordance with the existing policy of the department.

New Post Offices in Pithoragarh U. P.

395. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of Communications (**Sanchar Mantri**) be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices opened in Pithoragarh border District in Uttar Pradesh during the year 1970-71 ; and

(b) the number of new Post Offices proposed to be opened by Government during the year 1971-72 ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Five new extra-departmental branch Post Offices have been opened in Pithoragarh district of Uttar Pradesh during the year 1970-71.

(b) It is proposed to open twelve new extra-departmental branch Post Offices in this district during the year 1971-72.

Revision of Rates of Fees to A. I. R. Staff Artistes and Talkers

396. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government have set up any Committee to go into the question of revision of rates of fees and provision of adequate facilities to the Staff Artistes and Talkers of A. I. R.

(b) whether there has not been any significant increase in the rates of fees of Staff Artistes and Talkers of A. I. R. during the last twenty years ; and

(c) whether Government have recently taken any steps in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantralaya men Up Mantri) (Shri Dharam Bir Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : The rates of fees of Talkers were increased substantially with effect from 6.10. 1970. The Staff Artists employees of All India Radio were brought on to regular incremental fee scales on 1.10.1964. Since then almost all benefits enjoyed by regular Government servants have been extended to them. A further revision of their fee structure is also contemplated. Rates of remuneration payable to casual music artists have recently been revised and will be effective from June 1, 1971.

लीपजिग मेले में भाग लेना

397. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन औद्योगिक तथा व्यापारिक एककों ने इस वर्ष के लीपजिग मेले में भाग लिया था ;

(ख) किन-किन भारतीय राज्यों ने उस मेले में भाग लिया ; और

(ग) इस वर्ष तथा पिछले वर्ष मेले में हुई बिक्री के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 127 भारतीय एककों ने भाग लिया। सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 191/71.]

(ख) देश के विभिन्न भागों की पार्टियों से प्रदर्शनीय वस्तुएं एकत्र की गई थीं। तथापि उद्योग निदेशक, जम्मू तथा काश्मीर, निदेशक निर्यात संवर्धन, महाराष्ट्र सरकार, मैसूर राज्य हस्तशिल्प विकास निगम, मैसूर लघु उद्योग निगम तथा गुजरात निर्यात निगम ने स्वतन्त्र रूप से इसमें भाग लिया था।

(ग) मेले के विनियमों के अन्तर्गत मौके पर बिक्री की अनुमति नहीं है परन्तु व्यापार के विषय में बातचीत तय की जा सकती है। बुक किये गये अथवा तय किये गये व्यापार का मूल्य 1970 में 602 लाख रु० और 1971 में 681.9 लाख रु० था। इस जानकारी से उन निर्यात सम्भावनाओं की पूर्णता का भान नहीं होता जो इसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई। बुक किये गये विशिष्ट व्यापार के परिणाम समय बीतने पर ही पूरी तरह जाने जा सकते हैं।

मन्त्रालयों में कार्य करने वाले हिन्दी अधिकारी

398. **श्री मायावन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों में कितने हिन्दी अधिकारी हैं ;

(ख) क्या वेतन-मान एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय से भिन्न हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2945 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अपेक्षित सूचना के विवरण की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 192/71.]

(ख) और (ग) सामान्यत: हिन्दी अधिकारियों के पदों का वेतमान 350-900 रुपये है। तथापि कुछ पृथक पद मन्त्रालयों/विभागों में अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न वेतन-मानों में बनाये गये हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य को नायलोन के टायरों के निर्यात पर रोक

399. **श्री मायावन** **श्री एस० राधाकृष्णन** :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य को नायलोन टायरों के निर्यात पर पूर्ण रोक लगायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस रोक को हटाने की कोई सम्भावना है ताकि टायर निर्माता संयुक्त अरब गणराज्य के बाजार में दूसरों के साथ मुकाबला कर सकें ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी, नहीं ; संयुक्त अरब गणराज्य को नायलोन टायरों के निर्यात पर कोई रोक नहीं है। जुलाई, 1970 में दोनों सरकारों के बीच "विशेष व्यापार प्रवन्धों" के द्वारा व्यापार करने के लिए एक सूची पर परस्पर सहमति हुई थी और इस परस्पर स्वीकृत सूची में नायलोन टायर नहीं हैं। तथापि, इन प्रबन्धों के बाहर सामान्य वाणिज्यिक आधार पर उनके निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

संकटग्रस्त पटसन मिलों का फिर से चालू किया जाना

400. **श्री मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पटसन के उत्पादन में कमी, सीमित उत्पादन, क्षमता श्रमिक-रोष और ऊंचे दामों पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ख) लगभग 12 संकटग्रस्त कारखानों को, जिन्हें बन्द कर दिया गया था और जिसके कारण 22,000 मजदूर बेरोजगार हो गये थे, फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) बन्द पड़ी 12 पटसन मिलों में से तीन पुन: खुल गई हैं और उनमें काम शुरू हो गया है। दो अन्य मिलों को खोलने के लिए अब प्रयत्न किये जा रहे हैं। शेष सात मिलों की मशीनें पुरानी तथा अप्रचलित है और वे लाभप्रद रूप में काम नहीं कर सकती। इन मिलों को पुन: चलाने की संभावना बहुत कम हैं फिर भी इस बात का पता लगाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं कि क्या इन्हें पुन: चालू किया जा सकता है।

विवरण

(1) **पटसन उत्पादन** : पटसन विषयक विशेष पैकेज कार्यक्रम को 36,000 हेक्टार से वर्ष 1971-72 में 90,000 हेक्टार तक बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए चुने हुए क्षेत्रों को समस्त विकासात्मक निविष्ट साधनों के साथ समग्रत: परिपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं मेस्टा के लिए भी की गई है। यूरिया के हवाई छिड़काव, बेहतर बीजों के रियायती वितरण, पोलियर छिड़काव वाले क्षेत्रों के भू-छिड़काव की एक नयी योजना भी शुरू की गई है। वर्ष 1971-72 में अच्छी फसल होने की संभावना है।

(2) **सीमित उत्पादन क्षमता** : उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिलों को अतिरिक्त कताई तथा प्रिपरेटरी मशीनें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलें अतिरिक्त पालियों में तथा रविवार को भी कार्य करने के लिए सहमत हो गई हैं।

(3) **श्रमिक असंतोष** : दिसम्बर, 1970 में पटसन उद्योग में हुई हड़ताल के पश्चात् बकाया विवादों पर समझौता हो गया।

(4) **ऊंची कीमतें** : पटसन तथा पटसन के माल के उत्पादन में संभावित वृद्धि से कीमतों में कमी होने की संभावना है। सट्टे के दबाव को कम करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं : ईस्ट इंडिया जूट एंड हेशियन एक्सचेंज द्वारा पटसन के माल के अगाऊ तथा

वायदा बाजार पर लाभ तथा अधिकतम सीमा संबंधी प्रतिबन्ध लगाना और पेशबन्दी बाजारों को समय-समय पर बन्द करना ।

भारतीय हथकरघे के सामान का निर्यात

401. **श्री कृष्ण हाल्दर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक भारतीय हथकरघे से बने सामान के निर्यात में कोई सुधार हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चालू वर्ष के निर्यात में कोई कमी होगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यातों के आंकड़े इस प्रकार थे :—

वर्ष	(हजार रुपये में) हथकरघा निर्यात
1967-68	116992
1968-69	157704
1969-70	301306

(ग) 1970-71 में, रेशम की वस्तुओं के निर्यात में गिरावट तथा कतिपय अन्य कारणों की वजह से हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई थी। निर्यातों को बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए गहन प्रयत्न किये जा रहे हैं और ऐसी आशा है कि 1971-72 में निर्यातों में गिरावट रोकी जा सकेगी ?

भूतपूर्व नरेशों के आश्रित

402. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) पटियाला, ग्वालियर, बड़ौदा, बीकानेर तथा हैदराबाद के भूतपूर्व नरेशों के इस समय कितने आश्रित हैं ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी धन राशि दी जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) सरकार के पास नरेशों के आश्रितों की संख्या तथा स्वयं नरेशों द्वारा उनमें से प्रत्येक को अदा की जा रही राशि के बारे में कोई सूचना नहीं है।

भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध मुकदमें दायर करने की अनुमति

403. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से 1970 तक की अवधि में भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध मुकदमें दायर करने की अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) उन आवेदन पत्रों में भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये थे ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 243 ।

(ख) भूतपूर्व नरेशों पर मुकदमा चलाने की अनुमति के आवेदनों को मुख्यतः चार शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

(I) दाण्डिक कार्यवाही करने के लिए

(II) कुछ देय राशि की वसूली तथा दीवानी विवाद के अन्य मामलों के लिए

(III) सम्पत्ति में हिस्से के दावे के लिए ; और

(IV) निर्वाह भत्ते के दावे के लिए

(ग) इन 243 आवेदनों में से 171 मामलों के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान की गई है। 33 मामलों में जहां दावा तुच्छतापूर्ण या तंग करने वाला प्रतीत हुआ वहां अनुमति नहीं दी गई है। 36 मामले फरीकों द्वारा स्वयं निपटा लिये गये हैं। 3 मामलों में अन्तिम निर्णय होना है।

सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

404. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कार्य करने वाले इण्डियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे अपने अपने पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में उन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में कार्य करने वाले इण्डियन सिविल सर्विस/भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस समय 47 अधिकारी हैं। उनमें से, एक अधिकारी करीब सात वर्ष से, एक 5-6 वर्षों से, और अन्य 4-5 वर्षो से अपने अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। शेष 4 वर्षों से कम की अवधि से सरकारी सेवा उपक्रमों में हैं।

(ग) तथा (घ) भ्रष्टाचार की एक शिकायत जो कार्मिक विभाग को मालूम हुई है, उस पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। मन्त्रालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त शिकायतों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

भूतपूर्व नरेशों के कृषि फार्म

405. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक भूतपूर्व नरेश के कितने एकड़ के कृषि फार्म हैं ;

(ख) उन कृषि फार्मों से उन भूतपूर्व नरेशों को कितनी आय होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन फार्मों को अपने अधिकार में लेने का है जो प्रत्येक राज्य में अधिकतम सीमा से अधिक हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध मूलतः राज्य सरकारों से है।

केरल के रबड़ उत्पादकों की शिकायतें

406. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल में रबड़ उत्पादकों से उनकी शिकायतों के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं, और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) केरल के रबड़ उपजकर्ताओं ने प्राकृतिक रबड़ की कीमतें स्थिर करने के लिए कतिपय सुझाव दिये हैं । राज्य व्यापार निगम ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमतों पर कच्चे रबड़ की खरीदारी करने के लिए अक्तूबर, 1970 में इस बाजार में कार्य शुरू किया ताकि बाजार में स्थिरता लाई जा सके ।

केरल से निर्यात योग्य उत्पादों की जांच

407. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अभिकरण केरल से निर्यात योग्य उत्पादों की अब जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभिकरण का नाम क्या है ; और

(ग) की गई जांच का व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान में हाल ही में हुए गृह युद्ध के पश्चात गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस

408. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में गृह-युद्ध आरम्भ होने से लेकर अब तक कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ;

(ख) सावधानी के रूप में ऐसे क्या उपाय किये जा रहे हैं जिनसे देश में शरणार्थियों के वेश में जासूस दाखिल न हों ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात को अनिवार्य कर दिया है कि जो लोग अपने घरों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को शरण दें, उन्हें अपने अपने घरों में रखे ऐसे शरणार्थियों का व्यौरा सरकार को भेजना चाहिये ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों और अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, गोवा दमन व दीव, लक्कादीव, मिनीकाय व अभिनदीवि द्वीपसमूह और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा में उल्लिखित अवधि में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया

गया है। असम और मेघालय ने 14 गिरफ्तारियों की सूचना दी है। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित हैं तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

शरणार्थियों की जांच के लिए किये गये प्रबन्धों के अतिरिक्त सरकार की सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। संदिग्ध व्यक्तियों को नजरबन्द करने के लिए अब व्यवस्था उपलब्ध है।

(ग) 5 मई, 1971 को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार प्रत्येक विदेशी को जो बिना वैध पारपत्र के पूर्वी बंगाल से भारत में प्रवेश करता है अथवा जिसने प्रवेश किया है, स्वयं पुलिस को अथवा इस सम्बन्ध में अपने आने के बारे में ऐसे दूसरे प्राधिकारी, को, जिसका राज्य सरकार द्वारा उल्लेख किया गया है, सूचना देनी पड़ती है और विदेशों को अपने तथा 16 वर्ष की आयु से कम के आश्रितों के बारे में ब्यौरे देते हुए पुलिस को अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को लिखित घोषणा देनी पड़ती है। किसी विदेशी द्वारा ऐसे आदेश का उल्लंघन और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन के उकसाव पर कानून के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

तार तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग अधिकारियों का आई० टी० आई० बंगलौर और इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति हेतु चयन

409. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **संचार** मंत्री इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर गये टेलीग्राफ और टेलीफोन के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के बारे में 1 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को किन परिस्थितियों में उत्तर के साथ संलग्न विवरण की मद संख्या 2-16 के सामने नाम दिये हुए अधिकारियों की सेवाओं के नाम दे कर मांग करनी पड़ी ;

(ख) क्या सरकार ने, तार तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग अधिकारियों की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति के लिये चयन के संबंध में कोई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त प्रतिपादित किये ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसी प्रकार का एक विवरण, जिसमें डाक तथा तार विभाग के उन अतकनीकी अधिकारियों का उल्लेख किया गया हो जिनका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा चयन किया गया था, सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज सरकारी क्षेत्र का एक संस्थान है। यह संचार विभाग के अधीन कार्य कर रहा है। इस संस्थान में मुख्य रूप से डाक-तार विभाग में खपत की जाने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। इसलिए यह संस्थान इस विभाग से बहुत ज्यादा सबंधित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की विशेष प्रकार की कार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डाक-तार विभाग के कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इंडियन

टेलीफोन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। इन्हें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के प्रबन्ध संचालक और डाक-तार बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाने के बाद नियुक्त किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने सार्वजनिक हित में इस प्रक्रिया का अनुमोदन किया है। इस तरह से चुने जाने में किसी व्यक्ति का उस काम के लिए योग्य होना ही मुख्य आधार होता है।

(घ) कृपया अनुबन्ध देखिए। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 193/71.**]

चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में कमी

410. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) चमड़े की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का संकेत संलग्न विवरण में दिया गया है ?

विवरण

(1) चमड़े के माल के निर्यात बढ़ाने के लिए कानपुर में तैयार चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित माल की निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है। यह परिषद संवर्धनात्मक कार्य करती है, जैसे कि विदेशों में बाजारों का दौरा करने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमण्डल तथा बिक्री-सह अध्ययन दल योजना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशी आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूरा करने के लिये नये डिजायनों तथा नमूनों का विकास करना, बाजार सम्बन्धी जानकारी संकलित करना और नये निर्यातकों का मार्ग दर्शन करना।

(3) इस उद्योग के लिए अपेक्षित मूल कच्चे माल का, जैसे कि कच्ची खालों तथा चमड़ियों और रंगाई की छालों तथा आसव का निर्यात सामान्य खुले लाइसेन्स के अन्तर्गत करने दिया जाता है।

(3) चमड़ा तथा चमड़े का सामान 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से एक है, अतः इस उद्योग के एकक वास्तविक खपत के आधार पर आयात लाइसेन्स प्राप्त कर सकते हैं।

(4) चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यातों के आधार पर, उन निर्यातित उत्पादों में लगे हुए आयातित माल की प्रतिपूर्ति करने के लिए, आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(5) शीघ्र सुपुर्दगी की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित दरों पर वायुभाड़ा इमदाद मन्जूर की है :—

(1) चमड़े के जूतों तथा उनके घटकों के विषय में 50 प्रतिशत वायुभाड़ा दर परन्तु वह विमान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित है।

(2) तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल के विषय में 50 प्रतिशत वायुभाड़ा परन्तु वह विमान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15 प्रतिशत तक सीमित है।

Export of Steel

411. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade (**Videsh Vyapar Mantri**) be pleased to state :

(a) the total quantity of steel exported to foreign countries and the amount of foreign exchange earned thereby during the financial years 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) the target for export of steel for the financial year 1971-72 and the amount of foreign exchange expected to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) : (a) The quantity and value of iron and steel items exported are as under :

Year	Quantity (tonnes)	Value (Rs. crores)
1969-70	13,48,563	75.71
1970-71	9,98,043	66.91

(b) In view of the scarcity of these items no target has been fixed for the year 1971-72.

त्रिपुरा में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

412. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मिट्टी का तेल, नमक तथा चावल आदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिये और सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि उस क्षेत्र में चावल और नमक के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। खुले बाजार में चावल का मूल्य सामयिक कमी तथा पूर्वी बंगाल से भारी संख्या में विस्थापितों के आगमन के कारण 15 जनवरी, 1971 को प्रति क्विन्टल 145 रु० से बढ़कर 15 मई, 1971 को प्रति क्विन्टल 176 रु० हो गया। फिर भी यह गत वर्ष इसी तारीख को 176.83 रुपये प्रति क्विन्टल की तुलना में कम है। चावल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए त्रिपुरा सरकार ने क्षेत्र में 304 उचित दर की दुकानें खोली हैं। जामनगर से सप्लाई की देरी के कारण और कलकत्ता में नमक ऊंचे मूल्य पर प्राप्त किये जाने के कारण नमक का मूल्य खुले बाज़ार में 15 जनवरी, 1971 को ·30 पैसे प्रति किलो० से बढ़कर 21 मई 1971 को ·40 पैसे प्रति किलो हो गया। स्थिति का सामना करने के लिए सरकार स्थानीय रूप से नमक प्राप्त कर रही है और उचित दर दुकानों के माध्यम से .35 पैसे की निश्चित मूल्य पर सप्लाई कर रही है। जैसे जैसे जामनगर से सप्लाई पहुँचने लगेगी, खुले बाजार में और उचित दर दुकानों में धीरे-धीरे मूल्य गिर जायगा। जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, त्रिपुरा

सरकार ने सूचित किया है कि इसकी सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल की चोर बाजारी को रोकने के लिए संघ क्षेत्र में "मिट्टी के तेल का अधिकतम मूल्य निर्धारण आदेश, 1970" लागू है। त्रिपुरा प्रशासन इस क्षेत्र में तेल की नियमित सप्लाई को बनाये रखने के लिए असम तेल कम्पनी तथा भारतीय तेल निगम से सम्पर्क रखे हुए है।

प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन

413. **डा० रानेन सेन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के श्रमजीवी पत्रकारों ने हाल ही में अपने सम्मेलन में सरकार का ध्यान समाचारपत्र उद्योग में बढ़ते हुए एकाधिकार की ओर और प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अप्रैल, 1971 में अहमदाबाद में हुए अगले 15 वें वार्षिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास कर समाचार उद्योग में एकाधिकार के अस्तित्व की ओर तथा प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

सरकार समाचारपत्र उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रण, जिससे विचारों का एकमार्गीकरण हो सकता है, के खतरे से पूरी तरह सजग है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को यथासम्भव रोकने के लिये उत्सुक है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) प्रेस रजिस्ट्रार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के स्वामित्व का हर साल पुनर्विलोकन करता है तथा समान स्वामित्व वाली यूनिटों के विकास का अध्ययन करता है और उन्हे 'प्रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक में प्रकाशित करता है, ताकि समाचारपत्रों के स्वामित्व से सम्बन्धित तथ्यों से जनता परिचित हो सके।

(2) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण, अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत बनाई गई समाचार-पत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 के अधीन समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर वर्ष फरवरी मास के अन्तिम दिन के बाद के अपने पहले अंक में, अन्य बातों के साथ साथ, समाचार पत्र के मालिकों और कुल शेअर पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के शेयर रखने वाले शेयर होल्डरों या पार्टनरों से सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित करें। इसका उल्लंघन करना "प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867" के अन्तर्गत एक अपराध है जिसके लिये दण्डस्वरूप 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

(3) अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत समाचारपत्र समूह को नया पत्र निकालने के लिये अतिरिक्त अखबारी कागज नहीं दिया जाता।

(4) दिवाकर समिति की सिफारिश पर, मुद्रण एवं कम्पोजिंग यंत्रों के लिये हर वर्ष उपलब्ध की जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में से, 50 प्रतिशत राशि छोटे समाचार पत्रों (15,000 तक परिचालन संख्या वाले), 35 प्रतिशत मंझोले समाचारपत्रों (15,000 से 50,000 तक परिचालन संख्या वाले) और केवल 15 प्रतिशत राशि बड़े समाचारपत्रों (50,000 से अधिक परिचालन संख्या वाले) को अलाट की जाती है।

(5) सरकारी विज्ञापन को देने की नीति का उद्देश्य यह रखा गया है कि विज्ञापन समाचारपत्रों को बारी बारी से दिये जायें ताकि ज्यादा से ज्यादा समाचारपत्रों को विज्ञापन दिए जा सकें और ज्यादा परिचालन संख्या वाले समाचारपत्रों को ही सरकारी विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा न मिले। सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

(6) बड़े समाचारपत्रों द्वारा छोटे समाचारपत्रों को दबाने, निर्बल करने और समाप्त करने के लिये, जिसके सम्बन्ध में प्राय: शिकायत रहती है, अपनाई गई अनुचित प्रतियोगिता तथा/या निर्बन्धात्मक तरीकों, यदि कोई हो, के बारे में प्रथम तथा सविस्तार तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेस परिषद द्वारा स्थापित एक उप समिति ने सभी भाषाओं के उन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को, जिनकी परिचालन संख्या 5,000 प्रतियां या इससे अधिक थी, एक पत्र भेजकर उनसे विशिष्ट सूचना और उदाहरण मांगें। उत्तर में केवल दस दैनिकों तथा चार साप्ताहिकों ने ऐसे विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया जो उनके विचार में बड़े समाचारपत्रों द्वारा अपनाए गये निर्बन्धात्मक तरीके थे। इस समय परिषद निर्बन्धात्मक तरीकों के उदाहरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना एकत्रित करके जांच कर रही है।

(7) छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के स्वस्थ विकास के लिये सरकार इन्हें, न कि बड़े समाचारपत्रों को, आर्थिक सहायता देने के लिए समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सरकार का यह विचार है कि सरकार ने अब तक जो कदम उठाये हैं, यदि वे उठाए नहीं गए होते तो शृङ्खला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि कहीं अधिक होती। यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितने प्रभावकारी हुए हैं। सरकार का यह विश्वास है कि शृङ्खला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए जो अच्छे आधार पर चलाये जाते हैं और जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ सम्पादकीय नीति अपनाते हैं। सरकार का विश्वास है कि इस मामले में पहले ही उठाए गए तथा आगे उठाए जाने वाले कदम छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के विकास में अत्यन्त सहायक होंगे और इस प्रकार शृङ्खला वाले बड़े समाचारपत्रों की वृद्धि को रोका जा सकेगा। लघु समाचारपत्र सम्बन्धी दिवाकर समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने आकाशवाणी से धीमी गति वाले एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण आरम्भ किया है जिसमें महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, विशेषकर उन छोटे तथा मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों के लिये जो आर्थिक कारणों से समाचार एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत प्रेस परिषद को पहले ही यह अधिकार है कि वह समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व या आर्थिक ढांचे के अध्ययन समेत उन प्रवृत्तियों का अध्ययन करे जो समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों में एकाधिकार या उनके स्वामित्व के संकेन्द्रण की ओर ले जाए और यदि आवश्यक हो तो उनको रोकने के उपाय सुझाए। अतएव, अधिनियम में और संशोधन करना जरूरी नहीं है।

बंगला देश के साथ गैर-सरकारी स्तर पर व्यापार

414. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ बंगला देश की सीमा पर वस्तुत: पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं है और वहां के लोग विभिन्न मात्रा में कई वस्तुएं बिक्री और व्यापार के लिए भारत में ला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गैर-सरकारी स्तर के व्यापार से सीमा के दोनों ओर की जनता को हानि हो रही है और इससे भारत की ओर से मुनाफाखोरों को ही लाभ हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यापार को कानूनी रूप में नियमित बनाने के लिए कार्यवाही करने का है जिससे सीमा के दोनों ओर की आम जनता को लाभ पहुंच सके ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पूर्व बंगाल से आ रहे लोगों द्वारा भारत में लाई जा रही विभिन्न वस्तुओं के गैर-सरकारी व्यापार के विषय में भारत सरकार को कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। संभव है कि पूर्व बंगाल के शरणार्थी, जो वहां गड़बड़ होने के फलस्वरूप भारत आये हैं, अपने साथ बिकने योग्य सामान, जो उनके पास हो, ले आते हों। सीमा पर जैसी परिस्थितयां इस समय हैं उनमें माल के इस प्रकार आने जाने को विनियमित करना फिलहाल संभव नहीं है। परिस्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के विद्यार्थियों द्वारा लम्बी हड़ताल

416. **डा० एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना के फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थियों ने हाल में एक लम्बी हड़ताल की थी ;

(ख) इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। परन्तु हड़ताल विद्यार्थियों के एक वर्ग तक ही सीमित थी।

(ख) विद्यार्थियों के दो वर्गों के बीच एक झगड़े के कारण हड़ताल हुई, बाद में हड़ताली विद्यार्थियों द्वारा कुछ मांगें भी रखी गई।

(ग) हड़ताली विद्यार्थियों की मांगों पर योग्यता आधार पर विचार किया जा रहा है। कुछ मांगों पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिये आयु-सीमा का बढ़ाया जाना

417. **श्री ए० पी० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए नये अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 25 वर्ष करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उच्च आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष तक की जाय। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

तेलंगाना समस्या का समाधान

418. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना समस्या को हल करने के लिए नये प्रस्ताव किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर तेलंगाना के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार द्वारा कोई नये प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांडीचेरी को राज्य का दर्जा

419. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडीचेरी विधान सभा ने संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करने वाला संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस विषय पर पांडीचेरी विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति 17-5-1971 को प्राप्त हुई है। इसको नोट कर लिया गया है।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा-विवाद

420. **श्री जी० विश्वनाथन** : **श्री विभूति मिश्र** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र-मैसूर सीमा-विवाद का शीघ्र समाधान निकालने हेतु कोई नया प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार इस विषय के शीघ्र हल के उपायों का पता लगा रही है। फिर भी, कोई विशिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कपड़ा मिलों की जांच

421. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सूती कपड़ा बुनने वाले मिलों के क्या नाम हैं जिनकी चालू वर्ष में औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत जांच की जा रही है ;

(ख) कितने मामलों में जांच कार्य पूरा हो चुका है अथवा शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच समिति ने संबद्ध मिलों को राज्य द्वारा अपने कब्जे में करने की सिफारिश की है और सरकार ने उक्त सिफारिश पर क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971 के दौरान, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, निम्नोक्त चार सूती वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में जांच समितियां नियुक्त की गई हैं :—

(1) श्री शंमुगर मिल्स लि०, राजामलयम ।

(2) सैन्ट्रल काटन मिल्स लि०, कलकत्ता ।

(3) अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली ।

(4) आरती काटन मिल्स लि०, दासनगर, हावड़ा ।

(ख) एक मामले में जांच पूरी हो गई है ।

(ग) जांच समिति ने, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-क के अन्तर्गत, सरकार द्वारा एक मिल का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने की सिफारिश की है । सिफारिश पर अभी विचार हो रहा है ।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में कोयले की कमी

422. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय उद्योग और विशेषकर भारतीय चाय संघ से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनके चाय बागान-कारखानों में कोयले की भारी कमी के कारण पश्चिम बंगाल में चाय बागानों को अत्यन्त कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह कमी आसनसोल रानीगंज क्षेत्र से चाय-जिलों में कोयला ढोने के लिए पर्याप्त संख्या में मालगाड़ी डिब्बों का आवंटन करने में रेलवे के विफल होने के परिणामस्वरूप है ;

(ग) क्या मामले के संबंध में रेल मन्त्रालय से बातचीत हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अशांति वातावरण तथा गढ़ारा स्थित अमले द्वारा हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्रों से कोयले का कम लदान होने के फलस्वरूप उत्तर बंगाल तथा आसाम के क्षेत्रों में चाय उद्योग के लिए कोयला कुछ कम परिमाण में पहुंचा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) रेलवे बोर्ड द्वारा कलकत्ता के सम्बद्ध प्राधिकरण को उत्तर बंगाल तथा आसाम के चाय उद्योग की मांगों को प्राथमिकता देने की हिदायत दी गई है । पता चला है कि मई के महीने

में उद्योग को काफी संख्या में माल डिब्बों का आवंटन किया गया है जिससे स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

बंगला देश से सम्बन्धित आकाशवाणी से प्रसारित समाचार

423. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से सम्बन्धित आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए गए समाचारों में, बंगला देश के द्वारा 'सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न बंगला देश' की सरकारी तौर पर की गई अपील के पश्चात भी, बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिए युद्ध कर रही मुक्तिवाहिनी' को 'बंगला देश मुक्तिवाहिनी या बंगला देश जनवादी गणराज्य-सेना' कहने के बजाय 'मुजीब सेना' या 'शेख मुजिबुर्रहमान के अनुयायी' कहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में उनके मन्त्रालय और बंगला देश की सरकार के मध्य कोई सम्पर्क था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) शुरू में बंगला देश के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मुक्तिवाहिनी को शेख मुजिबुर्रहमान के अनुयायी कहा गया था। बाद में प्रभुसत्ता सम्पन्न बंगला देश की घोषणा होने पर आकाशवाणी ने मुक्ति- वाहिनी को स्वतन्त्रता संग्रामी कहना शुरू कर दिया।

(ख) जी, नहीं।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किया जाना

424. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देशभर में पांच करोड़ से अधिक मैथिली भाषा बोलने वाले लोग दीर्घकाल से मांग करते आ रहे हैं कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया जाये ;

(ख) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में मैथिली भाषा सभी प्रकार से उपयुक्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस भाषा को अनुसूची में कब तक सम्मिलित करने के बारे में कोई घोषणा करने का विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार देश में 49.85 लाख व्यक्तियों ने अपनी मातृ-भाषा मैथिली लिखवाई है। कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की है।

(ख) और (ग) भारत सरकार का यह निर्णय है कि राष्ट्र के व्यापक हित में आठवीं अनुसूची को और अधिक न बढ़ाया जाय। अतः मैथिली को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Demand for increase in Price of Jute Products or reduction of duty thereon

425. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of Foreign Trade (**Videsh Vyapar Mantri**) be pleased to state ;

(a) whether the jute industry has requested Government to increase the price of jute products or to reduce duty thereon ; and

(b) if so, the decisions taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Videsh Vyapar Mantralaya men Up Mantri) (Shri A. C. George) : (a) The industry has asked for an upward revision of the minimum price for carpet backing. Representations have also been made from time to time for abolition of export duties on jute products.

(b) No decisions have been taken in these matters.

मध्यावधि चुनाव के पश्चात् राजनीतिक दलों द्वारा हरिजनों पर कथित अत्याचार

426. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के चुनावों के पश्चात कुछ राज्यों में कतिपय राजनीतिक दलों और लोगों के वर्गों ने हरिजनों को तंग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुछ राजनीतिक दलों और लोगों के वर्गों द्वारा हरिजनों और पिछड़े वर्गों पर किये गये अत्याचार से उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़, मणिपुर, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीपसमूह, नेफा और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई हैं। शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना आनी है।

(ख) अत्याचार की निश्चित शिकायतों पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामलों की जांच या विचारण करते समय अत्याचार से पीड़ित हरिजनों को असुविधा का सामना न करना पड़े इस हेतु राज्य सरकारों को कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। इन उपायों में से एक यह है कि गम्भीर मामलों में जहां हरिजन पीड़ित अन्तर्ग्रस्त हों उन्हें "विशेष रिपोर्ट मामले" समझते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जो पद में उप पुलिस अधीक्षक से कम न हो, छानबीन कराई जाय।

आकाशवाणी दिल्ली में अपने कार्यक्रम देने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक

427. **श्री विभूति मिश्र : क्या सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको आमंत्रित करने की कसौटी क्या है ; और

(ग) क्या केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही सामान्यत: आमंत्रित किया जाता है और अन्य लोगों को जो पत्रकारिता एवं विद्वतापूर्ण योगदान के लिये प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आमंत्रित नहीं किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विषय का ज्ञान तथा भाषा, स्वर, उच्चारण, आदि के माध्यम से विचार प्रकट करने की योग्यता।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्यायें

428. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री 31 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई कुल राजनीतिक हत्याओं का पार्टीवार व्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

कलकत्ता में चुनाव पूर्व गिरफ्तारियां

429. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में चुनाव पूर्व गिरफ्तारियों के बारे में 31 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरफ्तारियां करने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और सेना के कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था ;

(ख) पकड़े गये हथियारों, गोलाबारूद और विस्फोटक पदार्थों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विदेश निर्मित हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ भी पकड़े गये थे और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही हैं ?

पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी कपड़ा मिलें

430. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस समय लगभग 50 प्रतिशत कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं जिससे 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का व्यौरा क्या है ;

(ग) बन्द पड़े प्रत्येक कपड़ा मिल में कितने मजदूर और कर्मचारी कार्य करते थे ;

(घ) प्रत्येक मिल के बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उनको दुबारा खुलवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में 41 सूती वस्त्र मिलें हैं। मार्च, 1971 के अन्त में, समाप्त करने योग्य समझी गई दो मिलों को छोड़कर, निम्नोक्त 13 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थी :—

मिल का नाम	मिल के रजिस्टर में दर्ज मजदूरों की संख्या	बन्द करने के कारण
1. सोदपुर काटन मिल्स लि०, सोदपुर	422	श्रमिक सम्बन्धी कारण।

2.	दि कनोरिया इंडस्ट्रीज (वस्त्र मिल खंड), कोन नगर।	400	कुप्रबन्ध तथा वित्तीय कठिनाइयां
3.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स लि०, बिशरा	1437	वित्तीय कठिनाइयां
4.	बंगाल टेक्सटाइल्स मिल्स लि०, कासिबाजार।	445	वित्तीय संकट
5.	दि संपथी काटन मिल्स लि०, सोदपुर	1074	श्रमिक हड़ताल
6.	दि आरती काटन मिल्स लि०, दासनगर, हावड़ा	688	पाने वाले निदेश
7.	दि बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स लि०, कलकत्ता	2565	वित्तीय कठिनाइयां
8.	मोहिनी मिल्स लि०, नं० 2 बलधारिया	2933	नुकसान तथा वित्तीय कठिनाइयां
9.	दि बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, नं० 2 कोन नगर	1005	आर्थिक कारण
10.	श्री अन्नपूर्णा काटन मिल्स लि०, शयाम नगर	2252	श्रमिक अशांति
11.	दि सेन्ट्रल काटन मिल्स लि०, कलकत्ता	3100	श्रमिक अशांति
12.	श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि०, कोन नगर	1142	वित्तीय कठिनाइयां
13.	बंगोदय काटन मिल लि०, पानिहाति	623	वित्तीय कठिनाइयां
	योग	18086	

उपरोक्त मिलों में एक अब पुनः खुल गई है। तीन मिलों के मामले, उनके परिसमापन आदि के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। तीन मिलों के कार्यों की जांच करने के लिए, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं, जबकि दो मिलों के कार्यों की पहले ही जांच की जा चुकी है और जांच समितियों के प्रतिवेदन विचाराधीन हैं। एक और मिल के प्रबन्धक मिल को समाप्त करना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श करके मामले पर विचार किया जा रहा है। बाकी तीन मिलों के मामलों की पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श करके जांच की जा रही है।

कलकत्ता के दैनिक पत्रों द्वारा अखबारी कागज के नियंत्रण आदेश का कथित उल्लंघन

431. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र, 'आनन्द बाजार पत्रिका' और 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' पर अखबारी कागज के नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है तो वह क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिमजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण

432. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 और 1 जनवरी, 1970 को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III, तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों (उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों समेत) के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I तथा II) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 194/71]

(ख) तथा (ग) आरक्षणों की व्यवस्था किसी संवर्ग या सेवा की कुल संख्या से सम्बन्धित न होकर समय समय पर होने वाली रिक्तियों के अनुपात से की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं में पूर्ण प्रतिनिधित्व उनके लिए की गई आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप नहीं किया जाता, मुख्यत: जब आरक्षण नियम लागू हुए उनका श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों में प्रतिनिधित्व विशेष रूप से उपेक्षणीय रहा है। सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर की गई विभिन्न कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उनके प्रतिनिधित्व में पर्याप्त सुधार हुआ है। सरकार द्वारा हाल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में उम्मीदवारों का सेवा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गई जो नीचे दी जाती है :—

(1) 25 मार्च, 1970 से, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्रतिशतों में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 15 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5 से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

(2) आरक्षणों के अग्रेनीत करने की अवधि को 2 से 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के समाप्त होने पर, अनुसूचित जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसके विपरीत क्रम से भी, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति समाप्त होने के अवसर कम हो सकते हैं।

(3) 31 जुलाई, 1970 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की विज्ञापन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तियां अब जैसी भी स्थिति हो, सबसे पहले ऐसी रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर विज्ञापित की जाएंगी। अगर यह विज्ञापन निष्फल सिद्ध हो जाय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों तथा साथ ही साथ सामान्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर दूसरा

विज्ञापन जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसी नियुक्ति के लिए, सामान्य उम्मीदबारों के सम्बन्ध में तभी विचार किया जाएगा अगर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार इसके लिए अयोग्य पाये जांय।

(4) अनुदेश जारी किए गए हैं कि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो अलग दिन या प्रवरण समिति की अलग बैठक में किया जाना चाहिए।

(5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पक्ष में योग्यता स्तर में छूट के मानदण्ड का पुनर्निर्धारण के आदेश 25 जुलाई, 1970 को जारी किए गए। इन अनुदेशों के अधीन आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए इन सम्प्रदायों के उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, हालांकि वे योग्यता का सामान्य स्तर पूर्ण न करते हों, जब तक कि वे इन पदों में नियुक्ति के लिए अयोग्य न पाए जांय।

(6) श्रेणी-1 के अन्तर्गत एक से दूसरे पदों में प्रवरण द्वारा पदोन्नतियों के लिए जिनकी वेतन सीमा 2000/-रुपए प्रतिमास या उससे कम है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के काफी वरिष्ठ अधिकारियों को, जो पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में हैं, जिससे कि वे प्रवर सूची में रखी गई रिक्तियों की संख्या में आ सकें, उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझे जांय।

(7) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के श्रेणी-1 सेवाओं/पदों के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण और गोष्ठियों/संविदाओं/सम्मेलनों में जाने देने के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था की जाएगी। श्रेणी-1 के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के आसन्न वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके कार्यस्तर के सुधार के लिए सलाह और मार्ग-निर्देशन करें।

(8) सभी मंत्रालयों/विभागों के उपसचिव स्तर के अधिकारियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कार्य को देखने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

डाक तथा तार विभाग, आसाम के अधीन नियुक्त आसाम मूलक व्यक्ति

433. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 और 1970 में डाक तथा तार विभाग द्वारा आसाम के कितने व्यक्ति विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर नियुक्त किये गये थे ;

(ख) उपर्युक्त पदों में से कितने पद ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे गये जिनके माता-पिता मेघालय सहित आसाम राज्य के स्थायी रूप से निवासी थे ; और

(ग) उपर्युक्त पदों में से कितने पद ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे गये जिन्होंने मेघालय सहित आसाम राज्य में किसी शिक्षा संस्था में अध्ययन किया था अथवा अपना अध्ययन पूरा किया था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं

है। यह सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा, चूंकि जो उम्मीदवार भर्ती किए गए थे वे राज्य भर में विभिन्न यूनिटों में फैले हुए हैं। यह सूचना एकत्रित करने में जितना समय लगेगा, उससे निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे। यदि इस प्रश्न का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि मेघालय सहित आसाम की डाक-तार सेवाओं में और अधिक स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती की आवश्यकता पर जोर देना है, तो यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि भर्ती की नीति संबंधी पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

भारत के निर्यात में सुधार

434. **श्री विश्वनाथ राय : श्री बी० एन० पी० सिंह :**

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1970-71 में भारत के निर्यात में कुछ सुधार हुआ था ; और

(ख) किन वस्तुओं का हमारा निर्यात कम रहा है और उनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां। भारत के निर्यात, जिनमें पुनर्निर्यात भी शामिल है, वर्ष 1969-70 से 1413.3 करोड़ रुपये थे जो बढ़कर 1970-71 में 1530.6 करोड़ रुपये हो गए। अतः 1969-70 में निर्यातों की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई, जो कि 1970-71 में, चौथी योजना के 7 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक थी।

(ख) पूरे वर्ष का मद तथा देशवार विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

प्रतापगढ़, चाय बागान, अगरतल्ला (त्रिपुरा) के कार्यों की जांच

435. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रतापगढ़ चाय बागान, अगरतल्ला, त्रिपुरा के कार्यों की जांच की है जिनके विरुद्ध स्थानीय पत्रों में खुले रूप से भ्रष्टाचार के कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या क्या निष्कर्ष हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा का विकास

436. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र के "पिछड़ा हुआ क्षेत्र" करार देने की कसौटी क्या है ;

(ख) क्या त्रिपुरा को पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा के विकास के लिए क्या अतिरिक्त सहायता देने का सरकार का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विशेष पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये कुछ समय पहले तैयार किया गया एक विवरण जो कि विकास के सूचकों को भी दर्शाता है, सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अतिरिक्त सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा को दिये जाने वाले परिव्यय में उसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता दी गई है ।

विवरण

विकास के सूचक

(1) कुल जनसंख्या तथा जनसंख्या की सघनता ।

(2) खेती में लगे मजदूरों की संख्या जिसमें कि कुल मजदूरों के प्रतिशत के रूप में खेतीहर मजदूर भी शामिल हैं ।

(3) प्रति खेतीहर के अनुसार कृषि योग्य भूमि *

(4) प्रति खेतीहर मजदूर के हिसाब से बोया गया कुल क्षेत्र ।

(5) वस्तुतः कुल बोये गये क्षेत्र के प्रति कुल सिंचाई का प्रतिशत ।

(6) कुल बोये गये क्षेत्र में एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की प्रतिशतता ।

(7) कृषि उत्पादन (ग्रामीण जनसंख्या) का प्रति व्यक्ति कुल मूल्य ।

(8) प्रतिष्ठानों (उत्पादक तथा मरम्मत) द्वारा उपयोग की गई बिजली--

(क) कुल

(ख) घरेलू काम में

(ग) गैर-घरेलू कार्य में

(9) पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर ।

(10) समतल सड़कों की माइलेज :—

(क) प्रति 1000 वर्ग मील

(ख) प्रति लाख जनसंख्या पर

(11) जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों की संख्या

(12) साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत :-

(क) पुरुष

(ख) स्त्रियां

(13) स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत :

(क) लड़के

*कुल बोया गया क्षेत्र, चालू परती भूमि, चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि, बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि शामिल है तथा विविध पादप फसलें और बाग कुल बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ।

(ख) लड़कियां

(क) 6-11 वर्ष तथा } के आयु वर्ग में

(ख) 11-14 वर्ष }

(14) तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रति दस लाख जनसंख्या पर स्थानों (सीट्स) की संख्या

(क) क्राफ्ट्समैन

(ख) डिप्लोमा स्तर

(15) प्रतिलाख जनसंख्या पर अस्पताल-शय्यायें।

त्रिपुरा में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

437. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में विभागवार कुल कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थान पर, जो बाहर के स्थानों से इस समय त्रिपुरा में प्रतिनियुक्त हैं, स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर दिये जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्र सरकार के 57 अधिकारी त्रिपुरा में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन अधिकारियों के बारे में विभाग-वार आँकड़े इस प्रकार हैं :—

1.	सिविल सचिवालय	1
2.	शिक्षा विभाग	1
3.	सहकारी विभाग	1
4.	उद्योग विभाग	1
5.	सार्बजनिक निर्माण विभाग	53

(ख) तथा (ग) केन्द्र सरकार के अधिकांश प्रतिनियुक्त अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग में हैं। इस सम्बन्ध में त्रिपुरा और अन्य राज्यों के बीच तुलना करना संगत नहीं हो सकेगा। त्रिपुरा में राजपत्रित इन्जीनियरों के पदों में रिक्तियों के 50 प्रतिशत की व्यवस्था है, और कार्यकारी इन्जीनियरों तथा इससे ऊपर के अधिकारियों के पदों की 75 प्रतिशत रिक्तियों का केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। किन्तु, त्रिपुरा सरकार स्थानीय इन्जीनियरों स्नातकों की अधिक संख्या में उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक पद देने की मांग को ध्यान में रखते हुए मामले का पुनरीक्षण कर रही है।

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान

438. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क, क्या भारत सरकार ने वित्तीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदेश दिया है

कि त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान 1 जुलाई, 1959 से पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के समान किए जाएं ;

(ख) क्या भूतपूर्व राज्य मन्त्री श्री जयसुखलाल हाथी ने इस निर्णय की पुष्टि की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह निर्णय पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) त्रिपुरा सरकार ने तीसरी श्रेणी के पदों के वेतनमानों में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) भारत सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार की थी कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा के कर्मचारियों के वेतन मान जहां तक सम्भव हों पश्चिम बंगाल में समान पदों पर दिए जाने वाले वेतनमानों के समान होने चाहिए। चूंकि त्रिपुरा के कर्मचारियों का वेतनमान पहले से ही पश्चिम बंगाल में समान पदों के वेतनमान के समान थे अतः किसी सामान्य संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी कुछ मामले थे जहां ऐसी समरूपता नहीं थी। इन मामलों में 1-7-59 से संशोधन के आदेश दिए गये थे। त्रिपुरा सरकार ने लगभग 10 वर्ष बीतने के पश्चात भारत सरकार के ध्यान में कुछ और श्रेणियां लायी हैं जिनका वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के समय पश्चिम बंगाल के वेतनमानों के समनुरूप नहीं था। त्रिपुरा सरकार से इन मामलों पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिये कहा गया है।

त्रिपुरा प्रशासन में बंगला भाषा का प्रयोग

439. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें प्रशासन से मांग की गई है कि वह बंगला भाषा को राज भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिये एक तिथि निर्धारित करे ;

(ख) क्या त्रिपुरा के सभी सरकारी कार्यालयों में बंगला भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि त्रिपुरा राजकीय भाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये पहली कार्रवाई के रूप में प्रशासन के जिला स्तर पर कुछ सीमित प्रयोजनों हेतु बंगला भाषा शुरू करने का निर्णय किया गया है। सरकारी प्रयोग के लिए बंगला शब्दावली तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। त्रिपुरा सरकार को समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

अहमदाबाद स्थित वकील जहांगीर मिल का बंद होना

440. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद स्थित वकील जहांगीर मिल बन्द कर दी गई है और उसके बन्द होने के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या ऐसे संस्थानों के मालिकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण नहीं चुकाया है और सरकार मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रही है हालांकि मालिकों ने वैयक्तिक रूप से गारंटी दी थी ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस मिल को अपने कब्जे में लेने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्य सूचना के अनुसार, मिल कम्पनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक से 30 लाख रुपये के कुल ऋण लिए थे तथा इसके लिए राज्य सरकार ने बैंक को 20 लाख रुपये की गारंटी दी थी। इन ऋणों की वसूली का उत्तरदायित्व बैंक तथा राज्य सरकार पर है।

(ग) तथा (घ) गुजरात सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इस मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की सिफारिश की थी। मिल को अपने अधिकार में लेने की अनुमति दे दी गई है।

Extension of Direct Telephone Line to Jhunjhunu

442. **Shri Shivnath Singh** : Will the Minister of Communications **(Sanchar Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Government propose to extend the Delhi-Pilani direct telephone line to Jhunjhunu keeping in view the importance of Jhunjhunu District Headquarters and the demand of the people ; and

(b) if so, by when ?

The Minister of Communications (Sanchar Mantri) (Shri H. N. **Bahuguna**) : (a) There is no proposal to provide a direct trunk circuit between Jhunjhunu and Delhi in view of low traffic between these two places, which is of the order of 10 calls per day.

(b) Does not arise.

कम लागत पर टेलीविजन सेटों का निर्माण

443. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य व्यक्ति को टेलीविजन उपलब्ध कराने के लिए टेलीविजन की कीमत कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि एक श्री उधम सिंह ने पुर्जों को जोड़ कर एक ऐसा टेलिविजन सेट तैयार किया है जिसकी कीमत मुश्किल से 1500 रुपये है जबकि आम किस्म के टेलीविजन सेटों की कीमत 3200 रुपये है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कीमत में भारी कमी लाने हेतु ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोलने के लिये प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) टेलीविजन सैटों की कीमतें कम करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण पग इस प्रकार हैं :—

(1) इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर कीमतों को धीरे धीरे कम किया जायगा ; टेलीविजन सैटों की कीमतों में उपकरणों का मुख्य भाग है।

(2) प्रत्येक यूनिट में बड़ी संख्या में टेलीविजन सैटों का उत्पादन

(3) 12" से 16" की छोटी स्क्रीनों के ट्रांजिस्ट्राइज्ड टेलीविजन सैटों का उत्पादन।

(ख) श्री उधम सिंह ने टेलीविजन सैटों के निर्माण को शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र दिया है। उन्होंने अपने आवेदन-पत्र में बताया था कि उनके द्वारा निर्मित टेलीविजन सैटों की कीमत करों के बिना 1200 रुपए होगी। बाजार में उपलब्ध 23" और 19" के देशी टेलीविजन रिसीवरों की कीमत कर के बिना क्रमशः 1900 रु० और 1700 रु० है। देश में ही निर्मित किसी भी टेलीविजन सेट की कीमत करों सहित 3200 रु० नहीं है।

(ग) चौथी योजना के दौरान टेलीविजन सेटों की पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए एक पब्लिक नोटिस द्वारा उद्यमकर्त्ताओं से आवेदन मांगे गए थे। सरकारी क्षेत्र की कई संस्थानों, संगठित क्षेत्रों तथा लघु क्षेत्र की फर्मों और व्यक्तिगत वैज्ञानिकों/तकनीशीयनों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सरकार सक्षम व्यक्तियों और वर्गों से प्राप्त प्रस्तावों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी।

समुद्री संक्षारण अनुसन्धान केन्द्र, डिघा

444. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संक्षारण मंत्रणा ब्यूरो ने समुद्री संक्षारण अनुसंधान केन्द्र, डिघा द्वारा वायुमण्डल में किये गये संक्षारण परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत का सम्पूर्ण संक्षारण मान-चित्र तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मानचित्र की तुलना, विश्व के विभिन्न देशों के मानचित्र के साथ किस प्रकार की जा सकती है ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तट से दूर छिद्रण सम्बन्धी संरचनाओं और पेट्रोलियम उद्योग के लिए, समुद्री संक्षारण अनुसंधान केन्द्र द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों के उपयोग कर रहा है ; और

(घ) तट के निकट स्थित किन-किन उद्योगों ने, समुद्री संक्षारण अनुसन्धान केन्द्र की निर्यात कुशल परामर्श से लाभ पहुंचा है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, डिघा सहित भारत भर के कई केन्द्रों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर भारतवर्ष का एक संक्षारण मानचित्र तैयार कर लिया गया है।

(ख) संक्षारण मंत्रणा ब्यूरो, जिसने यह मानचित्र तैयार किया है, इस प्रश्न का अध्ययन कर रहा है।

(ग) और (घ) समुद्री संक्षारण अनुसंधान केन्द्र द्वारा एकत्रित आंकड़े, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) तथा उद्योगों के उपयोगार्थ उपलब्ध हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बताया है कि डिघा में की गयी खोजबीन के परिणाम उनके लिए अपतटीय संक्षारण संरचना और समुद्री पाइप लाइन तथा बाद में तटीय संरचनाएं संस्थापित करने सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में व्यावहारिक सिद्ध होंगे।

विभिन्न राज्यों में पटसन मिलों की स्थापना

445. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पटसन की नई मिलें स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने पटसन की मिल स्थापित करने की मांग की है ; और

(घ) क्या ये मिलें सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन विस्तृत रूप से विचाराधीन है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा प० बंगाल तथा त्रिपुरा का संघीय क्षेत्र।

(घ) यह बात भी समिति को निर्दिष्ट महत्वपूर्ण बातों में से एक है और इस पर विस्तार-पूर्वक विचार किया जायेगा।

नायलोन टायरों का निर्यात

446. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से नायलोन टायरों का आयात कर रहे हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया जाता है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संलग्न विवरण में दिये गये 39 देश भारत से नायलोन टायरों का आयात कर रहे हैं।

(ख) निर्यात आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1969-70	1970-71 (अप्रैल-नवम्बर)
3.46 करोड़ रुपये	3 करोड़ रुपये

विवरण

उन देशों की सूची जिनको नायलोन टायरों का निर्यात किया जाता है।

1.	अफगानिस्तान	20.	मारीशस
2.	अबूदावी	21.	मस्कत
3.	आस्ट्रेलिया	22.	नेपाल
4.	आस्ट्रिया	23.	नाइजीरिया
5.	बर्मा	24.	पनामा गणराज्य
6.	बहरीन	25.	पोलैण्ड
7.	डेनमार्क	26.	रूमानिया
8.	इथोपिया	27.	कतार
9.	फिजी द्वीप समूह	28.	दक्षिण वियतनाम
10.	जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य	29.	सऊदी अरब

11. गुयाना
12. हांगकांग
13. इराक
14. जोर्डन
15. केन्या
16. कुवैत
17. लाइबेरिया
18. मलावी
19. मलयेशिया
30. सिएरा लिग्रोन
31. सूडान
32. थाईलैण्ड
33. संयुक्त ग्ररब गणराज्य
34. संयुक्त राज्य ग्रमरीका
35. सोवियत संघ
36. पश्चिम जर्मनी
37. युगोस्लाविया

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया से साठ लाख रुपये से अधिक की रकम गबन किये जाने का समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्रीमान्, मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया से साठ लाख रुपये से अधिक की रकम का गबन किये जाने का समाचार"।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : 24 मई, 1971 को लगभग 12.30 म० प० बजे स्टेट बैंक आफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट के मुख्य कोषाध्यक्ष, श्री वी० पी० मल्होत्रा ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट कार्यालय की मुद्रा तिजोरी से एक-एक सौ के नोटों में, 60 लाख रुपये निकाले। कैश अधिकारी तथा उप-मुख्य कोषाध्यक्ष जो कि मुद्रा तिजोरी से रुपये निकालने के लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने यह बताया कि श्री मल्होत्रा ने उनसे कहा कि बहुत बड़ा भुगतान करने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। बताया गया है कि श्री मल्होत्रा ने आगे उप-मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा कि वह थोड़ी ही देर में उनको अपेक्षित वाउचर दे देगा। श्री मल्होत्रा उन रुपयों को बैंक की स्टाफ कार में ले गये जो कि उन्होंने कार्यालय के किसी आवश्यक कार्य के लिए सुरक्षा अधिकारी से मांगी हुई थी। श्री मल्होत्रा ने रुपयों वाला सन्दूक बैंक की कार में रखा और स्वयं कार चलाने लगे तथा बैंक के कार्यालय से कुछ दूर पहुंचने पर वे किसी व्यक्ति से मिले जो कि उनके साथ कार में बैठ गया।

लगभग 2.30 म० प० बजे श्री मल्होत्रा एक पुलिस अधिकारी के साथ यह रिपोर्ट लिखाने के लिये, कि वह 60 लाख रुपये की धोखादेही के चंगुल में फंस गया है तथा रुपयों वाला सन्दूक सरदार पटेल मार्ग पर एक टैक्सी में रख लिया गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उसके तत्काल बाद जांच शुरू कर दी।

उसी दिन लगभग 10.30 म० प० बजे बताया गया कि केवल 5,700 रुपये के अलावा सारे रुपये श्री रुस्तम सोहराब नागरवाला से प्राप्त किये गये जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में अभियुक्त के बताने पर 2600 रुपये उसके एक मित्र से प्राप्त किये गये। अभियुक्त को

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तथा न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारी इस घटना से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच अलग से कर रहे हैं। जांच पूरी होने तक बैंक प्रबन्ध मण्डल ने श्री वी० पी० मल्होत्रा को निलंबित कर दिया है। न्यायालय के आदेशानुसार 59,94,300 रुपये की राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया में बांड के अन्तर्गत जमा करा दी गई है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय के सदस्यों को दिये गये वक्तव्य में श्री मल्होत्रा द्वारा प्रधान मंत्री के घर जाने तथा उनके संसद भवन में आने का उल्लेख नहीं किया गया है। इतनी बड़ी धनराशि बड़े विचित्र ढंग से निकाली गई है। क्या इतनी बड़ी धनराशि निकाले जाने के लिये इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? मुझे विश्वास है कि रुपये निकालने की इसी प्रक्रिया को पहले भी काफी समय से अपनाया जाता होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक में किस किस प्रकार के कोष रखे गये हैं, उनका प्रयोजन क्या है उनका संचालन कौन करता है और उनमें से रुपये निकालने का क्या तरीका है? क्या पहले कोई ऐसी प्रक्रिया रही है जिसके अनुसार प्रधान मंत्री सचिवालय अथवा अन्य संस्था को किसी विशेष स्थान पर धनराशि का भुगतान किया गया हो?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 वर्ष की सेवा के बाद श्री मल्होत्रा ने इतना मूर्खतापूर्ण कार्य किया। श्री मल्होत्रा ने बड़े विचित्र तरीके से काम किया है। इस व्यक्ति ने किसी एक भी नियम का पालन नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। अभी जांच चल रही है अतः इस बारे में अधिक कहना उचित नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुख्य खजांची ने बहुत ही बेवकूफी से कार्य किया है। वह स्टेट बैंक के एक उच्चतम अधिकारी हैं और उसके द्वारा ऐसा किये जाने से स्टेट बैंक बदनाम होता है। सरकार ने इस मामले को जांच के लिये पुलिस को सौंपा है या गुप्तचर विभाग को या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिये। सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य के अतिरिक्त भी हम कुछ बातें सरकार से जानना चाहते हैं। इसीलिये हमने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। श्री मल्होत्रा ने अपना वक्तव्य दिया होगा। हम चाहते हैं कि उस वक्तव्य को सभापटल पर रखा जाये... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री के० आर० गणेश : इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अतः मैं इस मामले में और अधिक कुछ नहीं कह सकता। प्रधान मंत्री सचिवालय से टेलीफोन पर किसी अधिकारी से बात करने का मैं खंडन करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मुझे आशा है पुलिस इस मामले में पूरी जांच करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार इस मामले को जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पुलिस ने इस मामले में सराहनीय कार्य किया है अतः इस मामले में जांच एजेन्सी को बदलना उचित नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस मामले में प्रधान मंत्री का नाम घसीटा गया है अतः सभा को इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिये।

मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस ने मामले में धनराशि का शीघ्र पता लगाकर प्रशंसनीय कार्य किया है।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि श्री मल्होत्रा स्टेट बैंक के ट्रान्सपोर्ट अधिकारी की इच्छा के विरुद्ध तथा यह बताये जाने पर भी वह इस प्रकार गाड़ी नहीं ले जा सकते। बिना सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर के गाड़ी लेकर चल दिये। वाउचर पर हस्ताक्षर किये बिना इतनी अधिक धनराशि का निकालना बहुत आश्चर्यजनक बात है।

भारत-चीन संघर्ष के दौरान वह धनराशि एकत्रित करने प्रधान मंत्री के घर जाते रहे थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह प्रधान मंत्री से अपरिचित थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का बैंक में कोई विशेष खाता है। यदि हां, तो उसमें धन किन स्रोतों से जमा होता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रधान मंत्री का स्टेट बैंक में कोई विशेष खाता नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : यह बेहद दुःख की बात है कि इस मामले में प्रधान मंत्री का नाम घसीटा गया है। मैं माननीय मंत्री से स्टेट बैंक से रुपया निकालने के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को जानना चाहूंगा। श्री मल्होत्रा एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। बैंक द्वारा बनाये गये नियमों का वह कैसे उल्लंघन कर सकते हैं?

क्या वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार करेगा कि इन नियमों का पूरी तरह पालन हो और ऐसी घटनाएं न घटें।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में नियम स्पष्ट हैं और यदि कोई व्यक्ति, जो किसी संस्था का मुखिया हो, और वह नियमों का दुरुपयोग करना चाहे तो फिर क्या किया जा सकता है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): It appears that there is something black at the bottom because the hon. Prime Minister has left the House before the question being asked. (interruptions).

अध्यक्ष महोदय : नोटिस वित्त मंत्री को सम्बोधित किया गया है और वित्त मंत्री यहां उत्तर देने के लिये उपस्थित हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I am of the view that Bank nationalization was only done because the money could be easily withdrawn from the banks at any time. Mr. Malhotra recognised the voice of P. M. because he was in touch with the Prime Minister. He withdrew the money without any voucher or cheque.

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि मामला अभी जांचाधीन था। अतः इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि उसका प्रधान मंत्री से मेलजोल था और वह उनसे बातें करता था। प्रधान मंत्री की आवाज से हर कोई परिचित है।

Shri Onker Lal Berwa : It has appeared in the newspapers that he went to the Prime Minister's house to confirm whether the money was required by her. So I want to know whether Prime Minister has any Account in the Bank ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री मल्होत्रा ने अपने वक्तव्य में प्रधान मंत्री का नाम नहीं

लिया है। जब उनसे वाउचर देने के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। इस मामले में जाने से कोई लाभ नहीं ।

वहां दो खाते हैं जिनका प्रधान मंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संचालन करती हैं पहला खाता जिसमें लगभग 3 लाख रुपया है जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि का है जिसका संचालन वह डा० कर्ण सिंह के साथ मिलकर करती हैं और दूसरा खाता वल्लभभाई राष्ट्रीय स्मारक निधि का है, जिसमें लगभग 7000 रुपये की राशि जमा है। इस खाते के संचालक श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री अतुल्य घोष तथा अन्य व्यक्ति हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में

RE : PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : अगला विषय लेने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have given you a notice of Privilege motion. The Defence Minister and Shri Mirdha have given wrong information to the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूं कि यह नियम 115 के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं। मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें सभा पटल पर पत्र रखने के समय सूचना मांगने की अनुमति दी जाये। मैंने उन्हें कल बताया था कि यहां पुस्तक का उद्धरण नहीं दिया जा सकता है। मैंने उनका ध्यान ऐसे निदेशों की ओर भी दिलाया था जो कि नियमों के विरुद्ध होते हैं।

हम यहां कई वर्षों से ऐसी प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं जिसके अनुसार पत्रों को केवल सभा पटल पर रखा जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें प्रश्न पूछने की अनुमति है। मैं संसदीय रिकार्ड से उद्धरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे पत्र केवल सभा पटल पर रखे जाते हैं। यह प्रथा है कि वे पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। कतिपय मामलों में वे संवैधानिक वैधता पर भी प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रत्येक पत्र पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे प्रश्न काल नहीं बना सकते हैं। यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो वे पत्र लिख सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं नियमों पर विवाद नहीं करना चाहता हूं परन्तु यहां कतिपय परम्पराएं स्थापित की गई हैं। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां सदस्यों ने इस आशय की आपत्तियां प्रकट की हैं कि अमुक पत्र को रखे जाने की अनुमति न दी जाये।

विलम्ब के मामले में आपके विचार ठीक हैं और मंत्री महोदय को उत्तर देना है, यदि जानकारी मंगाना आवश्यक है तो यह पूछा जा सकता है। मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमें कतिपय रियायतें दी गई थीं, अब इनको कम कर दिया गया है। इसी प्रकार 30 प्रश्न पूछने की अनुमति है। सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। मेरा यह दुखद अनुभव रहा है कि हम प्रश्न पूछने के अपने

अधिकार को खोते जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदस्यों की सलाह के बिना उनको दी गई रियायतों को वापिस न लेते जाइये।

श्री एच० एन मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं परन्तु जिस शीघ्रता के साथ आपने यह संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा।

निर्देशिका पुस्तिका में यह विशेष निर्देश दिया गया है। सामान्यत: विलम्ब के बारे में प्रश्न किए जाते हैं कभी-कभी अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने बिना किसी को कहे अचानक यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन यह है कि कोई निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया जाये। आपके इस अचानक लाये गये संशोधन से हम तो केवल विलम्ब के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन वर्षों में यह देखा है कि यह विलम्ब के बारे में है। जहां तक संवैधानिक वैधता का संबंध है वह व्यवस्था का प्रश्न से संबंधित हैं न कि प्रश्नों से।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं इस सभा में 1952 से हूं। मैंने यह पाया है कि न केवल संविधान संबंधी अपितु इसके बाहर के विषयों पर भी चर्चा करने की अनुमति दी गई है। आप अपने स्वविवेक से इसे कम कर सकते हैं परन्तु जब सभा के समक्ष ऐसा मामला लाया जाता है जिस पर वादविवाद है तो आप रातों-रात विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को बिना बताये इसमें परिवर्तन ला देते हैं। ऐसा करना सभा के प्रति अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं नियम में परिवर्तन लाता हूं तो मैं सलाह-मशविरा करने के लिए बाध्य हूं, यदि ऐसा है तो आप आपत्ति उठा सकते हैं, परन्तु मैंने नियम को देखा है। यदि कोई विलम्ब के बारे में आपत्ति उठाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are you sure that other than those guidlines which are in the Hand-Book the rest are correct ? The Rules Committee can look into the whole matter. There is no need of urgency in this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन है कि इस विशेष निदेश के हटाने से इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष महोदय को पूर्व ही विचार प्रस्तुत किये जायें। अध्यक्ष महोदय उनको स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता है।

इस विषय का दूसरा पहलू यह है कि इसको संवैधानिक बातों अथवा विलम्ब तक सीमित रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बहस करने के लिए कोई अन्य समय ले सकते हैं। परन्तु जब इसे सभा पटल पर रखा जा रहा है तो आप इसे प्रश्न काल नहीं बना सकते हैं। वाद-विवाद करने के लिए अन्य तरीका भी हो सकता है। परन्तु जब कतिपय दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जा रहा है तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक निवेदन है। मुझे विश्वास है कि आप सदस्यों के हितों और अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। पुस्तिका की भूमिका में कहा गया है कि इस पुस्तिका का उद्देश्य सदस्यों को विभिन्न संसदीय मामलों के बारे में मार्गदर्शन करना है। इसका प्रयोग आधिकारिक रूप में उस समय नहीं किया जा सकता है जब संविधान के उपबन्धों के साथ इसका विरोध हो। दूसरा "यदि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के साथ इसका विरोध हो" तीसरा "प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों से यह विरोध रखता हो"। यह स्पष्ट है कि मैं उस पुस्तिका के पैरा 38(2) पृष्ठ 76 के अन्तर्गत

जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी हूं, मैंने परसों तीन पूर्वसूचनाएं प्रस्तुत की थी परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया। मैंने फिर तीन पूर्व सूचनाएं दी थी तथा यह पाद-टिप्पणी दी थी कि मेरा यह प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है।

आपने मुझे ऐसे विषय उठाने की अनुमति नहीं दी है। मैंने निवेदनपूर्वक यह कहा था कि आप मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। हमें जनता के सामने जाकर उन्हें जानकारी देनी है। यदि हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो हमारा यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। कृपया अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष होने का प्रयत्न करें तथा सरकार को संरक्षण प्रदान करें। मैंने अपने उन मित्रों से बातचीत की थी जिन्होंने इस सभा से सम्बन्धित पुस्तकों को लिखा था। उन्होंने कहा था कि आपका कदम ठीक है और आप इस मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करें। अतएव मैंने पत्र लिखा। उस पत्र का उत्तर देने के बदले आपने तुरन्त ही यह बुलेटिन जारी कर दिया यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इस मामले को नियम समिति को सौंपता। आपने रातों-रात यह बुलेटिन जारी कर दिया। प्रजातंत्र और संसद के लिए यह बुरा दिन है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। हम ऐसी प्रथा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जहां तक नियमों में परिवर्तन करने का संबंध है हम साधारणतया ऐसा करते हैं। मैंने नियम को स्वयं देखा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें केवल सभा-पटल पर रखने की प्रकिया के बारे में दिया हुआ है। मुझे अफसोस है कि यह मामला उठा है। इस बारे में कोई बंधे-बंधाये नियम नहीं हो सकते हैं। जहां तक नियमों का संबंध है वे साधारणतया जारी रहेंगे। परन्तु यदि मेरे विचार में मुझसे गलत निर्देश जारी हो गये हैं तो मुझे उन्हें बदलने का अधिकार है। यह आपके समक्ष हैं। हम नियम समिति में इसकी चर्चा कर सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि इस मामले पर इस समय या अन्य कभी चर्चा की जाए। परन्तु यह समय बरबाद न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले को तब तक के लिए टाला जाए जब तक नियम समिति इस पर विचार न करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस नियम को नियम समिति के समक्ष व्याख्या के लिए रखूंगा। यदि उनके विचार में हमारी व्याख्या नियम के अनुरूप नहीं है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। परन्तु मैं निर्देश तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त उनके समक्ष नहीं रखूंगा। मैं केवल नियम की व्याख्या ही नियम समिति के समक्ष रखूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय डाक तथा तार विभाग के बारे में पत्र तथा अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं श्री बहुगुणा की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) भारतीय डाक और तार विभाग के दूरसंचार शाखा के वर्ष 1968-69 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (प्राप्ति के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 175/71]**

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राज-पत्र, दिनांक 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 283 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या, जी० एस० आर० 462 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 176/71]**

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : वर्ष 1968-69 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र की प्रतियां दो वर्ष पश्चात अब सभा पटल पर रखी जा रही हैं। मैं इसमें होने वाले विलम्ब का कारण जानना चाहता हूं।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के बारे में अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, को भारत के राज पत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस आर० 1956 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोघन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1957 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (सेवामुक्त आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प-सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1958 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 2015 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2016 में प्रकाशित हुये थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2017 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2018 में प्रकाशित हुये थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2020 में प्रकाशित हुये थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का सोलहवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2021 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का सत्रहवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 2023 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) (संशोधन) नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 49 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 135 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 136 में प्रकाशित हुये थे।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 137, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये भारतीय वन सेवा का एक राज्य संवर्ग गठित किया गया है।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 138 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 56/71]**

(सत्रह) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 353 में प्रकाशित हुए थे।

(अठ्ठारह) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 354 में

प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 117/71**]**

(2) मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का अठ्ठारहवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का पहला संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 168 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 417 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 585 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 586 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) द्वारा दूसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 587 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 588 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 177/71**]**

श्री एस० एम० बनर्जी : इसमें से कुछ अधिसूचनाएं 28 नवम्बर 1970, 19 दिसम्बर 1970 की हैं। मार्च 1971 में एक बार सभा बैठी थी। मैं नहीं जानता कि इतना विलम्ब होने का क्या कारण हैं।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के बारे में अधिसूचनाएं

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं श्री एल० एन० मिश्र की ओर से मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं:—

(1) औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड, औरंगाबाद के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 1085, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(2) बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 1267, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 178/71]**

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली भूमिसुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1970 में अधिसूचना संख्या 11/एल आर ओ (आर)/1970 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 65/71]**

(2) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1969-70 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 179/71]**

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, may I know the reasons for the delay in connection with Delhi Land Reforms (Amendment) Rules, 1970 and the Report of 1969-70.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपी गई है। दिनांक 4 जुलाई, 1970 को दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या 11/एल० आर० ओ० (आर०)/1970 के अन्तर्गत प्रकाशित दिल्ली भूमि सुधार (सशोधन) नियम 1970, जिनके द्वारा दिल्ली भूमि सुधार नियम, 1954 में संशोधन किया गया है, उप राज्यपाल द्वारा इन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये बनाये गये हैं तथा 6 जुलाई 1970 के गजट में प्रकाशित हुये हैं। दिल्ली प्रशासन की ओर से इसकी अंग्रेजी भाषा में ही प्रतियां प्राप्त दिल्ली हुई हैं अतः सभा पटल पर अंग्रेजी की प्रति ही रखी गई है।

18 नवम्बर, 1970 को चौथी लोकसभा के सभापटल पर अधिसूचना तथा विवरण की प्रतियां रखी गई थीं किन्तु 30 दिन की निर्धारित अवधि से पहले ही लोक सभा स्थगित हो गई और तत्पश्चात भंग हो गई।

फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार की समीक्षा तथा अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(एक) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 180/71]**

(2) वर्ष 1971-72 की अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना संख्या 36 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 7 अप्रैल, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 181/71]**

निर्यात निरीक्षण परिषद और अभिकरणों के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निर्यात निरीक्षण परिषद और अभिकरणों के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एन० टी० 182/71]**

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यक्रम के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम

309 के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

संसदीय काय तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति में सम्मिलित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो, और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति में सम्मिलित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो, और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सम्मिलित करने के लिये राज्य सभा से पांच सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति में सम्मिलित करने के लिये राज्य सभा से पांच सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : बंगला देश के बारे में विचार विमर्श पर हमने चार घण्टे ले लिये हैं। किन्तु अभी कई माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है। अतः मैं समझता हूं कि इसके लिये $1\frac{1}{2}$ घण्टे का समय और दिया जाये और प्रधान मंत्री 3 बजकर 30 मिनट पर उसका उत्तर दें।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

पूर्व बंगाल में शरणार्थियों के आगमन के बारे में चर्चा-जारी

DISCUSSION RE : INFLUX OF REFUGEES FROM EAST BENGAL contd.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the sentiments of the people of our country are affected by the present situation in East Bengal. The Prime Minister had consulted all the leaders of the opposition parties several times on this issue but it is a matter of great concern that she could not take any step further in this regard. I am constrained to say that the policy of the Government is quite hopeless. Due to their weak-kneed policy the Government have lost Tibbet, Kailash and other important parts of the country. According to a news item published in to-day's newspaper Pakistan Army have killed nine jawans of Border Security Force and ten civilians at the Meghalya Border of India. The Chief Minister of Assam has requested the Government to take immediate steps to maintain the security at the Border but no action has been taken by the Government in this regard uptil now.

It was predicted by late Dr. Lohia that one day East Bengal would certainly rebel against Pakistan. Now we see that that day has already come but the Government could

not deal with this situation effectively. It is a well known fact that the foreign policy of our Government has always been a total failure. In corroboration to my statement I may say that no big power is in friendly terms with India so far as the question of recognising Bangala Desh is concerned. The plea of the Government, in this regard, that they do not want to take any risk resulting in various impediment in the development of the country cannot be said cogent and convincing. It is quite clear that unless our territories are well secured and defended we cannot bring prosperity and development in the country. How could it be expected that the people of East Bengal would consider us their brothers and friends in future when they are being given such treatment by the Government of India.

According to the Gandhian philosophy both, one who exploits or does violence and the other who let the former do so are to be condemned. It can be understood that the refugees should be given shelter but it can not be understood that no heed should be paid to the security of our borders. We may differ on other matters and policies but so far as the question of the security of our country is concerned all of us are prepared to follow in the steps of the Government.

It is quite strange that Government can give military help to Ceylone to quell insurgency there but they are not prepared to give any help to the people of East Bengal who are being slaughtered by Pakistan Army. The Prime Minister would have called the meeting of the nations having full sympathy towards the people of Bangala Desh and some thing would have been done in this regard. But the Government could do nothing but send several protest notes to the Government of Pakistan.

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय ! बंगला देश में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख न करते हुये केवल वहां की वर्तमान स्थिति का ही उल्लेख करना चाहूंगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत में हाल में हुये चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि इन देशों की जनता ने तीन बातों का समर्थन किया है। अर्थात प्रजातंत्र प्रणाली, परिवर्तन और स्थायित्व। जनता ने उन्हीं व्यक्तियों को चुनकर भेजा है जिनसे उन्हें इस बात की आशा है कि वे इन तीनों बातों में आस्था रखेंगे।

श्री लंका की जनता ने इसी प्रकार की सरकार को पूरा समर्थन दिया किन्तु कुछ तत्वों ने उस सरकार को गिराने का प्रयास किया। किन्तु उस अवसर पर हमने वहां की सरकार की पूरी सहायता की। पाकिस्तान में भी उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां भी हमारा यही कर्तव्य था कि हम वहां की जनता का समर्थन करते। मेरे विचार से इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर बंगला देश की जनता को पूरा समर्थन देने तथा उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने से सम्बन्धित सदन में एकमत से संकल्प पारित किया गया।

वास्तव में बंगला देश की समस्या के सही पहलू को नहीं समझा गया। बंगला देश की समस्या केवल जनता का संघर्ष ही नहीं है अपितु यह पाकिस्तान का सैनिक शासन के विरुद्ध संघर्ष है अर्थात यह प्रजातन्त्रीय मूल्यों को प्राप्त करने का संघर्ष है। चुनाव के परिणामों से ज्ञात होता है कि पाकिस्तान में 320 सीटों में से मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग को 207 स्थान मिले थे। अर्थात पूरे पाकिस्तान में प्रजातंत्रीय प्रणाली में विश्वास रखने वालों को बहुमत प्राप्त हुआ था। अतः यह समस्या पाकिस्तान के विभाजन की समस्या नहीं है अपितु यह सैनिक शासन के विरुद्ध प्रजातंत्रीय प्रणाली लाने की समस्या है।

हमारी यह नीति रही है कि जो व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष करते हैं उनका समर्थन किया जाये। बंगला देश में उत्पन्न वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है कि हमें वहां की

जनता की अवश्य सहायता करनी चाहिये थी क्योंकि हमारी परम्पराओं और राष्ट्रीय हितों को देखते हुये हमारा चुप बैठे रहना अनुचित और असंगत होगा।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रतिदिन लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं जिनके पालन पोषण पर हमें भारी व्यय करना पड़ रहा है। अतः इस मामले को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं कहा जा सकता। इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जनता को दूसरे देश को भेजकर पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति में संतुलन पैदा करना चाहता है। अतः यह एक प्रकार से अतिक्रमण है और इसे पाकिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं कहा जा सकता। यह ऐसा मामला है जिसमें मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसमें लाखों-लाखों बेगुनाह इंसानों का संहार किया जा रहा है। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। इस समस्या पर पूरे विश्व को विचार करना चाहिये तथा मुझे विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

इस समय सरकार की आलोचना करना उचित नहीं है क्योंकि अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात का समर्थन करती है कि वहां पर सैनिक शासन ही रहे अथवा इस बात का समर्थन करती है कि वहां प्रजातन्त्रीय प्रणाली की स्थापना हो।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हाथ से अवसर निकलता जा रहा है। आरम्भ के तीन सप्ताहों में समाचार पत्रों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती रहीं, किन्तु वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतः अब हमें अधिक प्रयत्न करने होंगे।

बंगला देश की मान्यता के कानूनी पहलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। निःसंदेह रूप से मान्यता के समर्थन में संवैधानिक और कानूनी तर्क दिये जा सकते हैं और यदि हम आज मान्यता देते हैं तो उससे कोई अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा नहीं होगा। वस्तुतः हमें इस बात पर विचार करना है कि शरणार्थियों के वड़ी संख्या में आने को किस प्रकार कम किया जा सकता है। यदि मुक्ति फौज काफी बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रख सकती है तब ये शरणार्थी वहां पर रह सकते थे। फिर इस समस्या का समाधान ढूंढना पाकिस्तान का काम था आज यह दबाव हम पर है। यदि पाकिस्तान की सेना से तंग आकर कुछ शरणार्थी बंगला देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते तो बंगला देश स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता। वह इस स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे देता। अब हमें एक कठिन स्थिति का मुकाबला करना पड़ रहा है।

इस लिये आज भी यदि मुक्ति फौज कुछ क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण कर ले तो इन शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में चले जाना चाहिये जिससे इस समस्या का कोई समाधान हो सके। परन्तु हम इस स्थिति को चुपचाप देखते नहीं रह सकते। इस समस्या के समाधान के लिये हमारे मन में स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिये जिसके आधार पर हमें अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक और बात यह है कि बंगला देश की जनता को अन्ततोगत्वा अवश्य आजादी मिलेगी। अतः हमें यह कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये जिससे बंगला देश की जनता महसूस करे कि हमने उनका साथ दिया था।

श्री समर गुह (कंटाई) : सरकार का यह विचार ठीक नहीं है कि बंगला देश को तत्काल मान्यता देने से बंगला देश और पाकिस्तान के बीच हो रहा वर्तमान संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में बदल जायेगा। पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष पहले ही चल रहा है। पाकिस्तान

भारत के विरुद्ध कई प्रकार के आरोप लगा रहा है। हमारी सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया है। यदि हम उन्हें तत्काल मान्यता देते हैं तो इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। सम्भव है कि इससे पाकिस्तान के साथ संघर्ष में कुछ वृद्धि हो जाये। परन्तु सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने में क्यों झिझक रही है क्योंकि हम ने वास्तव में बंगला देश को पहले ही मान्यता दे रखी है। *

यदि यह बात ठीक नहीं है तो हमने अपने आपको बंगला देश और उसके स्वतन्त्रता संग्राम में अपने आप किस प्रकार फंसा लिया है?

डा० रानेन सेन (बारसाट) : श्री समर गुह को इस प्रकार का वक्तव्य सभा में नहीं देना चाहिये था। यह तथ्य नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप ने कहा था*** यह बात ठीक नहीं है।

श्री समर गुह : मैंने यह बात नहीं कही है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं**** पहले हमारी सरकार "पूर्व पाकिस्तान" कहती थी। फिर इन्होंने "पूर्व बंगाल" कहना आरम्भ किया और कल प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने "बंगला देश" शब्दों का कई बार प्रयोग किया था। अतः यह ठीक है कि हमने वास्तव में बंगला देश को मान्यता दे दी है।

अतः हमें औपचारिक मान्यता देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। यदि हम औपचारिक मान्यता देते हैं तो इससे बंगला देश की देशभक्त जनता के मन में नया विश्वास पैदा होगा कि अन्ततोगत्वा उनकी विजय होगी। फिर बंगला देश के कर्मचारी सैनिक प्रशासन के साथ अपना असहयोग जारी रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त याहया खान बंगला देश में कठपुतली सरकार स्थापित नहीं कर सकेगा। बंगला देश की जनता के मन में नई आशा पैदा हो जायेगी और इससे शरणार्थियों की संख्या भी कम हो जायेगी। परन्तु मान्यता देने मात्र से समस्या हल नहीं होगी। यह तो स्वतंत्रता संग्राम जीतने का साधन मात्र है। यदि यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहा तो जनता के कष्ट बढ़ जायेंगे। लगभग 40 लाख शरणार्थी भारत में आ चुके हैं और मैंने देखा है कि अभी काफी बड़ी संख्या में और शरणार्थी भारत में आ रहे हैं। यदि पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर सरकार बनाई तो एक भी शरणार्थी पाकिस्तान वापिस नहीं जायेगा। आज के समाचार पत्रों के अनुसार पश्चिम पाकिस्तान से हजारों की संख्या में लोग पूर्व पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं जो भारत में आने वाले अल्पसंख्यकों का स्थान ले सकेंगे। यदि बंगला देश को मान्यता दी जाती है तो बंगला देश की सरकार के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे और पाकिस्तान या कोई अन्य देश भारत पर बंगला देश में हस्तक्षेप करने का आरोप नहीं लगा सकेगा। दूसरे भारत बंगला देश को सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सहायता निर्बाध रूप से दे सकेगा। इसके अतिरिक्त भारत मुक्ति फौज के सैनिकों को अपनी सीमा के भीतर भी प्रशिक्षण दे सकेगा। फिर अन्य देश भी बंगला देश को मान्यता देने के बारे में फिर से विचार करेंगे। अतः यदि भारत बंगला देश को मान्यता देता है तो अन्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगी। बंगला देश ने प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बनने की अधिकांश शर्तें पूरी कर ली हैं। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बंगला देश रखा गया है और उनका अपना राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र भाषा है। फिर बंगला देश की सरकार जनता के 99.6 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई है।

गत तीन महीनों में बंगला देश के नागरिक प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ पूर्णरूप से

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

असहयोग किया है और बंगला देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा प्रदर्शित की है। बंगला देश ने नागरिक एवं पुलिस प्रशासन और प्रतिरक्षा सेना को स्वयं गठित किया है।

कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी आयोग ने अपनी निष्ठा बंगला देश सरकार में बदल ली है। पाकिस्तान सरकार बंगला देश में नागरिक प्रशासन चलाने में असफल रही है। 62,000 देहातों में से 45,000 देहातों में बंगला देश प्रशासन के समर्थकों और नागरिक प्रशासकों के अधीन हैं।

बंगला देश की जनता ने राजनीतिक समाधान कर लिया है। उन्होंने आजादी की घोषणा कर दी है और बंगला देश के लगभग 5 लाख लोगों ने अपना खून बहा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की दासता स्वीकार करने के लिये अपने जीवन का बलिदान नहीं किया है। इस समस्या का राजनैतिक समाधान केवल एक ही है और वह यह है कि बंगला देश से पाकिस्तानी सेना को वापिस बुलाने के लिये किसी मध्यस्थ के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की जाये। जिससे बंगला देश के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी संविधान सभा गठित कर सकें।

यह कहा जाता है कि मान्यता देने से युद्ध छिड़ जायेगा। इस समय सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से और उनके अत्याचारों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के कारण भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। परन्तु यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाये तो उसका मुकाबला करने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। हमारे देश के विभाजन के बाद बंगला देश में हुई क्रान्ति एक महान राजनीतिक एवं सैनिक घटना है। यदि बंगला देश को सफलता मिलती है तो पाकिस्तान में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। फिर हम भारतीय उप-द्वीप में तीन देशों के साथ समझौता करके प्रतिरक्षा पर व्यय होने वाली राशि को सामाजिक-आर्थिक विकास पर व्यय कर सकेंगे।

डा० रानेन सेन : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप श्री समर गुह के भाषण को पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा है···*

श्री समर गुह : मैंने यह बात नहीं कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हम रिकार्ड देखेंगे और यदि उसमें कोई ऐसी बात हुई तो हम उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

श्री समर गुह : मैंने कहा था···*

श्री एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : आज भारत में 40 लाख शरणार्थी है। कल इनकी संख्या एक करोड़ भी हो सकती है। फिर प्रधान मंत्री को मजबूर हो कर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़ेगा। 31 मार्च को जब हमने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था तभी बंगला देश को मान्यता देकर सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिये थी। यदि उस समय मान्यता दी जाती तो आज बंगला देश स्वाधीन हो जाता। हम पाकिस्तानी सेना को बंगला देश से एकदम बाहर कर देते। यदि हमने शरणार्थियों को वापिस भेजना है तो उनकी सुरक्षा तथा बंगला देश में शान्ति और व्यवस्था कायम करनी चाहिये। यह तभी सम्भव है यदि हम अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान भेज दें जिससे वहां नरसंहार बन्द हो जाये और सारी शक्ति बंगला देश सरकार को मिल जाये। जितनी जल्दी सेना भेजी जायेगी उतनी ही कठिनाई कम होगी।

विदेशी सरकारें भारत के विरुद्ध हैं परन्तु बंगला देश हमारी समस्या है और इसका समा-

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair

धान करने के लिये भारत को जोखिम उठाना पड़ेगा। अमरीका और ब्रिटेन, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, हमारी सहायता नहीं करेंगे। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि विश्व की बड़ी शक्तियों की राय का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा और वह शरणार्थियों को वापिस ले लेगा। यदि शरणार्थियों को वापिस भेजना है और बंगला देश को बंगालियों के लिये सुरक्षित स्थान बनाना है तो इस नरसंहार को रोकने के लिये भारतीय सेना को भेजने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। हमें सेना भेजने से डरना नहीं चाहिये क्योंकि अन्त में तो हमें सेना भेजनी ही पड़ेगी।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : बंगला देश के बारे में हमारे देश को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को चिन्ता है। प्रधान मंत्री का वक्तव्य निर्भीक एवं साहसपूर्ण है, परन्तु उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि वह उन सब शरणार्थियों को वापस नहीं लेंगे जिन्होंने भारतीय सीमा में जाकर शरण ली है, केवल उन व्यक्तियों को वापस लिया जायेगा जो वास्तव में पाकिस्तानी हैं। अतः इन दोनों वक्तव्यों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है अपितु ये दोनों परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं। हमारी सरकार का यह दृढ़ निश्चय सराहनीय है कि वह बंगला देश में शान्ति स्थापित करने की दिशा में ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जिससे कि बंगला देश के विस्थापित अपने देश में वापस चले जायें और शान्ति से रह सकें। अतः इन दोनों दृष्टिकोणों में संघर्ष है और ये एक दूसरे के विपरीत हैं।

हमारा देश एक गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है और इस बारे में कोई निर्णय किया जाना ही चाहिये क्योंकि बंगला देश में बहुत असह्य परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। अब यह समस्या केवल बंगला देश की ही नहीं रही है अपितु हमारे देश की आन्तरिक समस्या भी बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अब यह हमारी अपनी समस्या भी बन गई है।

पाकिस्तानी सेनाएं बंगला देश में नरसंहार कर रही हैं और दस लाख से भी अधिक असहाय और निर्दोष व्यक्तियों का अकारण संहार किया गया है।

बंगला देश की यह समस्या मानवता और स्वतन्त्रता की है। इस सदन में अनेकों बार संसार के विभिन्न भागों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन किया गया है। बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने का अब समय आ गया है। हमें बंगला देश के स्वतंत्रता आन्दोलन/संग्राम का समर्थन करना चाहिये, केवल इसलिए नहीं कि इसमें बंगला देश का ही हित है, अपितु इसलिए कि हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए भी हमें ऐसा करना अनिवार्य है।

शरणार्थियों को सहायता देने सम्बन्धी प्रश्न पर भी यथेष्ट चर्चा हुई है। यह मामला केवल कतिपय करोड़ रुपये खर्च करने का ही नहीं है बल्कि इस पर एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपना राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते और हम अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें क्या कदम उठाना चाहिये-इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यह भी कि हमें क्या नीति अपनानी चाहिए। हमें ऐसे दृढ़ निश्चय करने चाहिएं और ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे कि बंगला देश से आए शरणार्थी अपने देश वापस चले जायें। इस समय समस्त विश्व की दृष्टि भारत पर है कि भारत क्या कदम उठाता है। यह तो ठीक है कि विश्व की शक्तियां ऐसी परिस्थितियों में कोई कदम उठाने में हिचकिचा रही हैं। परन्तु हमें उन शक्तियों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए और हम जो कुछ

कर सकते हैं करना चाहिए चाहे इससे संघर्ष बढ़े। हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि यह मामला कुछ करोड़ रुपये खर्च करने का नहीं है अपितु मौलिक मानव अधिकारों का प्रश्न है जो हमारे देश में ही नहीं अपितु बंगाल देश में भी है। अतः हमारी सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिएं जिससे बंगला देश के शरणार्थी अपने देश को वापस चले जायें। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : पाकिस्तानी सेना दो महीने से बंगला देश में नरसंहार कर रही है। हजारों निहत्थे, असहाय और निर्दोष व्यक्तियों का संहार हो रहा है। इस मामले पर पहले भी विचार व्यक्त किये गये हैं कि बंगला देश को मान्यता दी जानी चाहिए, इसलिए नहीं कि इसमें राज्य से सम्बन्धित सारे मामले निहित हैं बल्कि इसलिए कि इस महाद्वीप में फैलने वाले इस युद्ध को रोका जा सके और संकट की इस स्थिति का साम्राज्यवादी शक्तियां लाभ ना उठा सकें। व्यापक रूप से व्यक्त किए गये ये विचार सही प्रतीत होते हैं।

मान्यता देने सम्बन्धी कानूनी पहलू पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गई है। परन्तु वास्तव में मान्यता कानूनी मामला नहीं है। यह तो एक राजनीतिक मामला है जिसे किसी भी विधान से रोका नहीं जा सकता। यह कहना ठीक नहीं होगा कि बंगला देश के प्रति हमारा जो रवैया है उसमें हमारी यह इच्छा निहित है कि या तो विभाजन को तोड़ा जाये या पासपोर्ट या अन्य उपायों के बिना लोगों को उस पार भेजा जाये। हमने अभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। फिर भी सरकार मान्यता देने में प्रतिदिन विलम्ब कर रही है जिससे स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। यदि मान्यता पहले ही दे दी गई होती तो लोग भी इसे स्वीकार कर लेते।

निस्सन्देह इस मामले में कुछ प्रगति हुई है परन्तु इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। यह सच है कि मान्यता देने के सम्बन्ध में और बंगला देश के अपने आपको राज्य का दर्जा प्राप्त करने तथा अपने आपको अभिव्यक्त करने के बारे में इस सदन और देश में कोई दो मत नहीं हैं।

यदि हम बंगला देश को मान्यता नहीं देंगे तो विश्व में कोई अन्य देश भी ऐसा कदम नहीं उठायेगा। संसार में और अन्य देशों को इस मामले के बारे में बहुत कम जानकारी है। सामान्य रूप से इस मामले को वहां का आन्तरिक मामला समझा जाता रहा है। परन्तु यह आन्तरिक मामला कैसे हो सकता है जबकि तीस लाख व्यक्ति अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य पहलुओं के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। विश्व में बाहर किसी को इस मामले की बिलकुल जानकारी नहीं है, वे समझते हैं कि यह तो पाकिस्तान और भारत का मामला है।

अतः अब समय आ गया है कि इसे मान्यता दे दी जाये क्योंकि इसमें हमारी विशेष जिम्मेदारी है। यदि हम बंगला देश को मान्यता नहीं देंगे तो अन्य कोई देश भी ऐसा कदम नहीं उठायेगा।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि बंगला देश को उपयुक्त समय पर मान्यता दी जायेगी। परन्तु अब वह उपयुक्त समय आ गया है और हमें अब मान्यता दे देनी चाहिए। यदि हम मान्यता ना दें तो कम से कम ऐसे कदम तो उठाने ही चाहिएं, जिनका अभिप्राय चाहे मान्यता देना ना हो, परन्तु मान्यता देने की दिशा की ओर जाने वाले तो अवश्य होने चाहिएं। हमें किसी तरह से विश्व को वहां की सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए।

हमें बहुत समय पहले अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लेना चाहिए था, परन्तु हम तो स्वयं वहां से निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम विरोध प्रकट करते हुए

अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते थे। ढाका में हमारे राजनयिक वियना समझौतों के अन्तर्गत आते हैं परन्तु पाकिस्तान को उन लोगों को, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत राजनीतिक शरण मांगी है और पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा त्याग दी है वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक शरण के कानून और प्रक्रिया के अन्तर्गत वे यहां रहने के हकदार हैं। यह हमारे देश के लिए अत्यन्त अपमानजनक बात है कि इस आशय के लिए उनकी अदला बदली की जाय, इसके साथ हमें यह माँग करने का भी अधिकार है कि उन अन्य लोगों को स्वदेश वापस लाया जाये।

बंगला देश से आने वाले तथाकथित शरणार्थियों को पूर्णरूप से सहायता भी नहीं मिल रही है। इस समस्या ने हमारे कन्धों पर बहुत भारी आर्थिक भार डाल दिया है जिसको उठाने के लिए सम्पूर्ण विश्व को हिस्सा बंटाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारे विदेश मन्त्री को चाहिए कि तनावपूर्ण देशों से अपने सभी राजनयिकों को निजी परामर्श के लिए बुलायें और उन्हें उन देशों की राजधानियों को इस मामले में हमारी चिन्ता के बारे में परिचित कराने के लिए कहें। सरकार के विचार उन्हें जोरदार शब्दों में बतायें जायें। उन्हें प्रधान मंत्री के इस दृष्टिकोण को समझना चाहिये कि हम सदा चुप नहीं बैठे रहेंगे।

उनकी सहायता किस प्रकार की जाये, यह प्रश्न सामने आता है। उन्हें मान्यता देने के पश्चात भी उन्हें पासपोर्ट नहीं देना चाहिए। वे अन्य मित्र देशों के पासपोर्ट के आधार पर यहां आ जा सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि यदि हमने बंगला देश को मान्यता नहीं दी तो पाकिस्तान हम पर आक्रमण नहीं करेगा। युद्ध का खतरा तो हमारे लिये बना ही हुआ है। इसलिए इन लोगों को राजनीतिक ढंग से या इस दिशा में धीरे-धीरे कदम उठाते हुए मान्यता देने में हमें और विलम्ब नहीं करना चाहिए।

बंगला देश में अविलम्ब ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए जिसमें केवल जनता के ही प्रतिनिधि नहीं अपितु ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिएं जो सम्पूर्ण जनता की भावनाओं के प्रतीक हों। चाहे वह साम्यवादी दल हो अथवा मौलाना भाशानी का दल अथवा युद्ध का नेता क्योंकि क्रान्तिकारी सरकार में सैनिक प्रतिनिधि अवश्य होते हैं। परन्तु बंगला देश में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सामने आकर लोगों से यह कह सके कि यह एक नई क्रान्तिकारी सरकार है जो सामने आई है, तथा जो कुछ नये राज्यों, जैसे अंगोला और वियतनाम के सम्बन्ध में, जो कि संघर्षों से टक्कर लेते हुए उभर रहे हैं, एक नई स्थिति पैदा करेगी।

अब प्रश्न है आतंक और भय से भाग कर यहां आये हुए उन लोगों का जो शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट हैं। ऐसे लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जानी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि वे वापस जाकर किस प्रकार अच्छी तरह युद्ध कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र में यह संशय व्याप्त हो कि यदि उन्हें मान्यता दे दी गई तो उन्हें और अधिक सहायता और सान्त्वना देनी पड़ेगी। परन्तु यदि एक यह देश मान्यता प्राप्त कर ले तो फिर लोगों का यहां स्वयं सेवकों के रूप में जाना और उन्हें शस्त्रों की सहायता देना वैध हो जायेगा। किन्तु अब यह ऐसा मामला है कि जिस पर किसी अन्य तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और जो हमारे विचारों से मेल भी नहीं खाती। परन्तु यदि हम उनको मान्यता नहीं देंगे तो कोई और देश भी नहीं देगा।

जहां तक खतरों का सम्बन्ध है, हमारे सामने अनेक खतरे हैं जिनका हमें सामना करना

होगा। हमें पाकिस्तान का कोई भी भाग नहीं चाहिए। हमारे राजदूतों को चाहिए कि वे ब्रिटेन और अमरीका पर अधिक से अधिक दबाव डालें कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बिलकुल बन्द की जाये क्योंकि हमें यह कहने का अधिकार है। क्योंकि उनका यह तर्क है कि उन्होंने पाकिस्तान को हथियार आत्म-रक्षा के लिए दिए हैं। परन्तु यह बात सही नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair]

मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह "राजनीतिक हल" शब्द का प्रयोग इस मामले में नहीं करें। यह एक 'खतरनाक' शब्द है। इस शब्द का प्रयोग करने से युद्ध करने वाले लोगों का उत्साह भंग हो जायेगा। इस प्रकार के आक्रमण के मामले में "राजनीतिक हल" का तो प्रश्न ही नहीं उठता बल्कि आक्रामक को पीछे हटना चाहिए। पाकिस्तानी सेना को पीछे हट जाना चाहिए और भारत ने यह कभी नहीं कहा कि सेनाओं के पीछे हटने पर बंगला देश पाकिस्तान का भाग होना चाहिए या नहीं। यह उनकी अपनी समस्या है और वे उसे अपने ढंग से हल करें। परन्तु जहां लोग अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए लड़ रहे हों वहां "राजनीतिक हल" की बात करना उपयुक्त नहीं। परन्तु वहां जो कुछ किया जा रहा है वह वहां की अशान्ति को दबाने के लिए नहीं बल्कि वहां की जनता को कुचलने और नरसंहार आदि करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमारे दूतावासों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे विदेश मंत्री महोदय वैयक्तिक परामर्श के लिए हमारे राजदूतों को यहाँ बुलाने के बारे में विचार करेंगे जिससे कि वे यहां किए गए निर्णयों को विदेशों में जाकर हर सम्भव उपायों से कार्यान्वित करने के लिए वहां हर प्रकार का दबाव डाल सकें। 'मान्यता' देने से कोई सृजनात्मक कार्य नहीं होता। केवल उस की मान्यता दी जाती है जिसका अस्तित्व होता है। इस मामले में हमने उनकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है और उसका अस्तित्व भी है। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मानों हम उनकी कोई वस्तु हथियाने अथवा उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हों। परन्तु यह आन्तरिक मामला नहीं है। जब हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाये और जब चार लाख व्यक्ति हमारी सीमा में आ जायें, और ऐसी अनेकों बातें हो जायें जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाये तो वह उनका आन्तरिक मामला नहीं हो सकता।

"अन्य देश के आन्तरिक मामले" की परिभाषा 1949 में राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका के मामले को आन्तरिक मामला बताकर उस पर चर्चा न करने का निश्चय करने के समय से तेजी से बदल गई है। अतः इसे उपनिवेश समिति और मानव अधिकार आयोग के सम्मुख उठाना चाहिये। हमें चाहिए कि हम इस मामले को सितम्बर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में उठाएं। इस बीच हम अपने पड़ोसी नेपाल, अफगानिस्तान और अन्य देशों को इस बात के लिए उकसाए कि वे वहां हमारा समर्थन करें।

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : Sir, I gave my name for speaking on the subject of Bangladesh, but I have not been called. I want to speak on behalf of my party. I request you to give me some time to speak.

Mr. Speaker : There is no time now. The members who did not get time now will be given preference at the time of Budget discussion. Now he may please sit-down.

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बंगला देश के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की

हैं मैं उनका आदर करती हूं। कुछ सदस्यों ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है पर ऐसा उन्होंने बंगला देश के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण किया है। मैं और मेरी सरकार उनके इस दुख में उनके साथ है।

प्रजातन्त्र का बहुत गीत गाया जाता रहा है। द्वितीय महायुद्ध भी उसी की रक्षा के लिए लड़ा गया था ऐसा मित्र देश कहते हैं। पर इस समय जबकि प्रजातन्त्र की खुलेआम हत्या की जा रही है किसी ने भी वह जोश नहीं दिखाया जो कि दिखाया जाना चाहिए था। पाकिस्तान में चुनाव हुए पर सेना द्वारा बनाए गये नियमों के अन्तर्गत उसके बाद भी सेना का दमन चक्र चला, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रजातन्त्रीय ढंग से सरकार न गठित होने देने के लिए।

कुछ देशों ने, पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी निन्दा की पर वे पाकिस्तान के प्रथक्करण में अपना सहयोग देने में असमर्थ हैं। ऐसा कहा गया कि हम प्रथक्करण चाहते हैं। पर हमने सदैव सम्बन्धों को सुधारने और मित्रता करने का प्रयत्न किया है। यदि पाकिस्तान के दो भागों में संघर्ष है तो वह निश्चय ही हमारा उकसाया हुआ नहीं है। और जो तरीका अपनाया जा रहा है क्या उससे एकता लाई जा सकती है।

प्रथकता की बात कही गई है। पाकिस्तान की जनसंख्या का बहुमत बंगला देश में रहता है और जब उन्हें प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जाये तो वे यदि प्रथकता की बात करते हैं तो उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। हम लोगों में भी यह भावना इसी कारण है।

यह वास्तविक स्थिति है। हमारे यहां लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं तथा हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी कारण मैंने कहा कि यह पाकिस्तान का केवल आन्तरिक मामला नहीं माना जा सकता। यह भारत, बल्कि समस्त विश्व की समस्या है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति की गम्भीरता को समझना चाहिये, यह बंगला देश के लोगों के जीवन का प्रश्न है। यह भारत की शान्ति और सुरक्षा का प्रश्न है।

हमारे विदेशी कार्यालय और उसकी सेवाओं की आलोचना करना उचित नहीं है। यह बात नहीं है कि हमने भूलें नहीं की है अथवा हमारे प्रतिनिधि सदैव पूर्ण सिद्ध हुए हैं। यदि कोई गलत काम हुआ है, तो निश्चय ही हमें दोषी बताना चाहिए। लेकिन लगातार आलोचना निरुत्साह करने और मनोबल तोड़ने वाली सिद्ध होगी। इस सम्बन्ध में विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों ने बड़ी लगन से काम किया है तथा सफलता प्राप्त की है।

सरकार में कुछ कमियां हो सकती हैं पर हमारे अन्दर उत्साह की कमी नहीं है। हम आवश्यक खतरा उठाने से नहीं डरते। न ही हम इसके किसी कानूनी पहलू से चिन्तित हैं। हम तो केवल अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से चिन्तित हैं। बंगला देश के लोगों का हमें ध्यान है। स्थिति कहीं अधिक गम्भीर है तथा इस पर बड़े ठण्डे दिमाग से विचार किया जाना चाहिए।

सब तरफ से "मान्यता" की बात कही जा रही है, जैसे कि इससे अपने आप ही बहुत सी कठिनाइयां हल हो जायेंगी, जिनका सामना कि बंगला देश और हमारा देश कर रहा है। हमने इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू का बड़ी गम्भीरता और गहराई से अध्ययन किया है। हम यह प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि अन्य देश इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करते हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं, फिर चाहे वह किसी सम्बन्ध में हो, वह हम स्थिति के सम्बन्ध में पूरा अध्ययन करके लेते हैं तथा वह इस बात पर आधारित होता है कि हमारे हितों की सबसे अच्छे ढंग से रक्षा किस प्रकार होती है।

यह दल गत मतभेदों का समय नहीं है। हमें सभी प्रकार आर्थिक और सामाजिक सम-

स्याओं का सामना एक जुट होकर करना चाहिए। साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को दबा दिया जाना चाहिए तथा सभी दलों को बंगला देश के प्रश्न को एक मत होकर हल करने का प्रयत्न करना चाहिए, वह केवल साम्प्रदायिक मामला ही न रह जाये।

इस सम्बन्ध में मैं विपक्ष के नेताओं से सम्बन्ध बनाए रखूंगी तथा सदन को भी हर स्थिति से अवगत रखूंगी तथा विपक्ष के नेता भी जब भी कोई नई बात उन्हें पता चले मुझे बताएं।

हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें बंगला देश के लोगों के निश्चय में भी विश्वास रखना चाहिए तथा एक दृढ़ विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आसाम के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में दिए अपने वक्तव्य में बताया है कि आसाम और मेघालय की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किया है तथा कुछ लोगों को पकड़ कर ले गये हैं अथवा मार दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है तथा मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्र से गई अपील पर क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य और अपील से सर्वत्र आतंक छा गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सच है कि कुछ घुसपैठ हुई है। मुख्य मंत्री ने मुझे फोन किया था। हमने मदद भेज दी है तथा आक्रमणकारियों को भगा दिया गया है।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैंने स्वयं देखा है कि शरणार्थियों के लिए समुचित आवास की व्यवस्था नहीं है। तम्बुओं की सप्लाई भी कहीं जून के अन्त तक होने की आशा है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस सम्बन्ध में मैं कल विस्तार से बता चुका हूं। हमने 50,000 तम्बुओं का क्रयादेश दे रखा है और प्रति सप्ताह हमें कम से कम 3000 तम्बू मिल रहे हैं। 10,000 तिरपाल भी दिए गये हैं। कुछ स्थानों पर दो तीन दिन की कठिनाई रहेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : क्या सरकार का विचार शरणार्थियों में परिवार नियोजन लागू करने का है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस समस्या को इतने हलके रूप में न लें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : ऐसा समाचार छपा है कि एक भारतीय वायुसेना का अफसर पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देता हुआ पकड़ा गया है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कार्रवाई कर रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जासूसी के हर मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कुछ लोगों के मन में ऐसी बात है कि भारत सरकार चीन और पाकिस्तान से झगड़ा न करने की इच्छा के कारण बंगला देश को मान्यता नहीं देना चाहती। क्या यह सच है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह प्रश्न कई जगह उठाया जा चुका है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कलकत्ता से ऐसी सूचना मिली है कि कलकत्ता में पाकिस्तान के भूतपूर्व हाई कमिश्नर श्री मसूद याह्या खां के सहयोग से भारत में साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री मसूद के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं।

श्रीमती बिभा घोष (नवद्वीप) : सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों को ठीक प्रकार प्रवेश पत्र नहीं दिया जाता इस कारण उन्हें कैम्पों में स्थान नहीं मिलता और वे एक कैम्प से दूसरे कैम्प में चक्कर काटते फिरते हैं। अतः उन्हें उचित प्रवेश पत्र देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे उन्हें कठिनाई न हो।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : केवल उन लोगों को छोड़कर जो उससे बचना चाहते हैं सबके नाम रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं पर शरणार्थियों की भारी संख्या के कारण कुछ तंगी और कठिनाई होना अनिवार्य है क्योंकि एकदम इतना इन्तजाम करना कठिन है। फिर भी हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ANNUAL REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1968-69

***श्री दण्डपाणि** (धर्मपुरम) : इस आयोग को केन्द्रीय सरकार के प्रभाव से पूरी तरह अलग होना चाहिए तथा इसे स्वतंत्रतापूर्वक और स्वायत्तता से कार्य करना चाहिए।

डाक्टरों की तरह यदि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी यदि व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाये तो उनमें व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। यदि इन दोनों विषयों के अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें तो उससे अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि होगी और उनके शिक्षण का स्तर ऊंचा उठेगा।

नया विश्वविद्यालय खोलते समय राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है जो कि मिलनी कठिन होती है। पर यदि कोई राज्य अपने आप कोई विश्वविद्यालय चालू करता है तो वह केवल एक मूक दर्शक रहने के कुछ नहीं कर सकता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नये विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि बढ़ते हुए विद्यार्थियों की समस्या को वर्तमान विश्वविद्यालय हल न कर सकें अथवा इसके लिए शैक्षिक और प्रशासनिक कारण हों। आयोग ने रींवा में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और आयोग का यह अभिमत है कि उक्त राज्य में पहले से ही स्थापित आठ विश्वविद्यालयों में अध्यापन और अनुसंधान के स्तर को दृढ़ करना अभीष्ट है, अतः नये विश्वविद्यालय को स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार ने अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब इस नये विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है।

गैर-सरकारी प्रबन्ध मण्डलों द्वारा संचालित कालेजों के प्रोफेसरों और प्राध्यापकों को

* तमिल में दिए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों को विदेशों से जो अनुदान मिल रहे हैं, उनका उपयोग शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु, किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 9.94 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है और उक्त विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के लिए अधिकार प्रदत्त करने का भी अनुदान आयोग ने अनुरोध किया है। शिक्षा मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पूर्व भावी रोजगार संभावनाओं के बारे में छात्रों को परामर्श सेवायें प्रस्तुत करने के केन्द्र केवल दिल्ली और बम्बई विश्वविद्यालयों में ही कार्य कर रहे हैं। दक्षिण के किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के परामर्श सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं। दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के व्यवसाय परामर्श केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यापन स्तर इतना गिर गया है कि कालेज में प्रवेश लेने के तत्काल बाद छात्र ट्यूटोरियल कालेजों की शरण ढूंढ़ने लगते हैं। इसमें सुधार हेतु हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है।

अनेक नेता भी यह स्वीकार करते हैं कि छात्रों में व्यापक असन्तोष और अनुशासनहीनता है। अगर हम इसके मूल कारण की विवेचना करें, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है जो पिछले 23 वर्षों से देश का शासन कर रही है। आज का नेतृत्व नवयुवकों और समाज के अन्य वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में पूर्णतया विफल रहा है। इन नेताओं ने राष्ट्रीय एकता और भाषा आदि पर सार्वजनिक मंचों से प्रवचन तो दिये, परन्तु वे स्वयं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाली गतिविधियों में लगे रहे। छात्रों ने भी उन्हीं नेताओं का अनुसरण किया और छात्रों में व्यापक असन्तोष और अनुशासनहीनता का यही कारण है।

उत्तर भारत में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं-- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्व भारती। 583.84 लाख रुपये इन विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यय किये जा चुके हैं। यह अत्यधिक खेद का विषय है कि दक्षिण में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को प्रसिद्ध अलगप्पा कालेज का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेकर इसका एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संचालन करना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों को वित्तीय सहायता नहीं देता। हिन्दू संस्कृति की शिक्षा देने वाले हिन्दू सांस्कृतिक प्राच्य कालेज को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। अरबी और फारसी भाषाओं के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जाय, तो इससे राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी।

Shri Raja Ram Shastri (Varanasi) : I would like to congratulate the U. G. C. for the good work it has done. Now the constitution of the U. G. C. is being changed and as a result of such change members, who used to be permanent so far, would be replaced by new members who would not be on permanent basis. In my view it would have been better if status quo was maintained.

Keeping in view the limited resources at our disposal, the functions and subjects should be properly distributed among the universities. The big universities are being developed, whereas little attention is paid to the weaker universities.

Many efforts have been made by the Central Govt. as well as the State Govts. for production of text books. Several corporations have been set up for this purpose. Now the function of publication of text books has been diverted to these corporations from the universities. I would request that financial assistance may be resumed so that publication, research and printing work may continue in the universities.

There are certain universities which have arrangements for teaching some specific subjects only. Such universities receive grants from two sources, i. e., maintenance grant from the Ministry of Education and development grant from the U. G. C. It is a difficult and time-consuming process. All type of grants to these universities should be given by the .U G. C. alone. They could then be looked after and controlled well by the commission.

The changes in the constitution of the U. G. C. which are to be brought about, should be explained to the members so that they may not remain in dark.

श्री बाल तण्डायुतम (कोयम्बटूर) : मैं केवल कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। उनकी दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 50 प्रतिशत प्राध्यापक अब भी 300-600 के वेतनमान में नियुक्त हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री तथा संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : यह चर्चा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1968-69 की रिपोर्ट पर हो रही है और हमें यह समीक्षा करनी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपना कार्य सुचारू ढंग से किया है अथवा नहीं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह चर्चा के विषय से बाहर की बात है। वह शिक्षा मन्त्रालय की बजट मांगों पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट स्नातकोत्तर अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शैक्षणिक परामर्श के लिए विदेशी मुद्रा, प्रकाशन और परामर्श आदि से सम्बन्धित है और अगर माननीय सदस्य चाहें तो इन विषयों पर विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री बालतण्डायुतम : मैं शिक्षा मन्त्रालय की बजट मांगों पर चर्चा के दौरान बोलूंगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : The University Grants Commission has drawn attention to the acute shortage of hostels. It has been stated in the Report that the question of providing adequate hostel accommodation was examined by the Committee appointed by the University Grants Commission. The Committee has estimated the additional Hostel capacity for 3 lakhs students at an estimated cost of Rs. 120 crores at the rate of Rs. 4000/- per student. Therefore, whenever a new College is set up at the district level, hostel should also be constructed. Due to lack of hostel accommodation, the students have to live in residential homes where congenial atmosphere for studies is not available.

There is acute shortage of hostel accommodation for teachers as well. The teachers in the College are not well qualified. Now we have to break away with the age-old traditions and provide for a system of education suited to the needs of newly developing society. In these days all the people are running after political power.

I would like to suggest that a board should be set up to examine the need of opening new college in a particular area,

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर हो रही चर्चा में मुझे अत्यधिक रुचि है क्योंकि मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक

के रूप में व्यतीत किये हैं। शिक्षा मन्त्री के अनुसार चर्चा का विषय सीमित होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये उपायों और परीक्षा प्रणाली में सुधारों जैसे सम्बद्ध विषयों पर चर्चा किया जाना भी आवश्यक है।

मैं रिपोर्ट में उल्लिखित तीन विषयों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा—

(1) परीक्षा प्रणाली में सुधार सहित शिक्षा पद्धति में मूलभूत और प्रभावी सुधार (2) छात्रों में व्याप्त असन्तोष के मूल कारणों को दूर करना और (3) अध्यापकों के लिए विकास कार्यक्रम।

पाठ्यक्रम में पर्याप्त सुधार किये बिना परीक्षा प्रणाली और अन्ततोगत्वा शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं किया जा सकता। अध्यापन प्रक्रिया में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। सेमेस्टर प्रणाली को अनेक विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया जाना चाहिए।

आज हम आधुनिक भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक छात्रों और अध्यापकों के मन में आधुनिकता की भावना नहीं जगाई जाती। हमारी शिक्षा प्रणाली विज्ञान-प्रधान होनी चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन भी अपेक्षित है और इसलिए विज्ञान ही नहीं, इतिहास के अध्ययन अध्यापन के तरीके में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इतिहास में महापुरुषों की असफलताओं और विफलताओं का क्रमिक संग्रह किया गया है। इतिहास की व्याख्या और मूल्यांकन निष्पक्ष भाव से की जानी चाहिए।

आज हम परमाणु युग और अन्तरिक्ष युग में रह रहे हैं, परन्तु आधुनिक विज्ञानों के मामले में हमारे पाठ्यक्रम अब भी अत्यधिक पुराने हैं।

रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने पर पता लगेगा कि स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को वैज्ञानिक और गणित सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते।

आज छात्रों में व्यापक असन्तोष है और क्रोध की भावना है। उनकी असन्तोष की भावना को रचनात्मक दृष्टिकोण दिया जाना चाहिये जिससे नये समाज की रचना हो सके। मेरा सुझाव है कि एक जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो छात्र असन्तोष के मूल कारणों की जांच करे।

छात्रों के असन्तोष का मूल कारण विश्वविद्यालयों के कार्य में राजनीतिज्ञों द्वारा अवांछित हस्तक्षेप है। छात्रों और अध्यापकों के बीच तालमेल की भावना का भी अभाव है। निर्धनता भी असन्तोष का एक बड़ा कारण है।

छात्रों के प्रेरणा-स्रोत राजनीतिज्ञ हैं। आधुनिक शासक और राजनीतिज्ञ सत्ता के मद में चूर होकर अपने विरोधियों की कतई परवाह नहीं करते। कुछ राजनीतिज्ञ आन्दोलनों और आग-जनी आदि के रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : छात्र अनुशासनहीनता की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिये। यह ठीक है कि इस आयोग की रिपोर्ट में भी इस समस्या के सम्बन्ध में उल्लेख है परन्तु छात्र अशान्ति के मूल कारण की जांच के लिए विस्तृत जांच की जानी चाहिये।

मेरे विचार के अनुसार राजनीतिज्ञों द्वारा विश्वविद्यालयों में अवांछित हस्तक्षेप, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच घनिष्ठता, विश्वविद्यालयों में अत्यधिक संख्या में दाखिले और गरीबी आदि

छात्रों में असन्तोष की भावना उत्पन्न करते हैं और फिर आज के हमारे शासक और राजनीतिज्ञ आज जिस रास्ते को अपना रहे हैं, छात्र भी उसी पथ का अनुसरण करते हैं।

छात्र अपने चारों ओर विरोधियों के सम्बन्ध में निरादर और असहिष्णुता पाते हैं, वह पाते हैं कि चारों ओर हिंसा का व्यापक प्रयोग है, वह पाते हैं कि हमारी विधान सभाओं तक में स्वीकृत मूल्यों को ताक पर रख कर व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण के भीतर हम यह आशा नहीं कर सकते कि हमारा युवा वर्ग सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने मन में आदर के भाव रखे। उन्हें कहा जाता है कि उत्तरदायी बनें और वे उत्तरदायी ढंग अपनायें। परन्तु जब तक हमारे शासक और वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ अपने को नहीं सुधारते तब तक युवा वर्ग के सुधार की आशा करना व्यर्थ है।

हमें चाहिये कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लागू करें और उसके साथ ही शिक्षक वर्ग को भी सन्तुष्ट बनाने के प्रयास करें। परीक्षा पद्धति को सुधारना भी बहुत आवश्यक है। आज की परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी एक प्रकार से जुआ खेल कर पास होता है। आयोग की रिपोर्ट में भी इस विषय पर विचार किया गया है। अतः यथासम्भव शीघ्रता से इस विषय में सुधार होना चाहिये।

अध्यापकों के वेतन-मानों और सेवा शर्तों को सुधारने के सम्बन्ध में जब कभी मांग उठी तो विश्वविद्यालयों ने यह कहा कि केन्द्र द्वारा इस विषय में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीं। केन्द्र को इस विषय में अधिक से अधिक अनुदानें देनी चाहियें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय में कुछ ठोस कार्रवाई की है। आयोग ने नये ग्रेडों और वेतनमानों के सुझाव दिये हैं। परन्तु आयोग के इन सुझावों का कार्यान्वियन उचित रूप से होना चाहिये जिससे कि विश्वविद्यालय या कालेज के प्रबन्धक कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की प्रवंचना न कर सकें।

यदि इन सभी सुझावों को कार्यान्वित किया जाए तो आशा की जा सकती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भविष्य में शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छी योजनाएं प्रस्तुत कर सकेगा।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the chair]

***श्री के० मालन्ना** (मधुगिरी) : मैसूर राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा चलाये जा रहे ऐसे कालेज हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं। इन कालेजों में छात्रों का दाखिला और अध्यापकों की नियुक्तियां समुदाय आधार पर की जाती हैं। यदि इन कालेजों में दाखिले के लिए अथवा नौकरी के लिए अन्य समुदाय के छात्रों अथवा अध्यापकों का चुनाव हो भी जाता है तो उन्हें संस्था छोड़ने को बाध्य किया जाता है।

शिक्षकों को वेतन देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियत पद्धति है और नियत वेतनमान हैं परन्तु इसके होते हुए भी शिक्षा संस्थाओं में इस सम्बन्ध में कुप्रबन्ध और अनाचार है।

मैसूर राज्य में एक इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला लेने हेतु पड़ौसी राज्यों के छात्रों को

* कन्नड़ में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

10000-15000 रु० तक प्रति व्यक्ति फीस के रूप में देना पड़ता है। बेलगांव कालेज द्वारा 1500 रुपये के नियत अध्यापन शुल्क के स्थान पर 1800 रुपये एकत्र किया जा रहा है। छात्रवृत्तियां देने में भी जाति अथवा सम्प्रदाय विशेष को वरीयता दी जाती है। यह बहुत अवांछनीय बात है। यह विषय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में भी लाये गये पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिये।

मैसूर राज्य में तीन विश्वविद्यालय हैं परन्तु तीनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है इसमें समानता लाई जानी चाहिये।

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli): I congratulate the University Grants Commission on its performance. But I have a word of caution also to add. There have been certain changes that when employees of University Grants Commission are appointed as examiners in universities they indulge in partiallity. I feel that employees of University Grants Commission should not be appointed as examiners.

Performance of University Grants Commisson in the field of research has been commendable. But I find that proper arrangements for it does not serve its purpose. This should be looked into.

University Grants Commission has not been able to check the spread of Politics in Universites. Political activities in universities are controlled even by Departmental Heads of universities.

On the one hand standard of research in universities is falling down and on the other old instititutes engaged in research work are getting closed. It is necessary that old institutes which were doing good work should also be provided all possible facilities.

It is a pity that University Grants Commission has not yet given due recognition to Hindi language. There are vested interests in the commission who do want the development of national languages and encourages changeover in the medium of Instruction.

The condition of certain universities such as Kashi Vidya Peeth have become so deplorbable that it has become a hot bed of politicions. There was a time when this Institute provided three Chief Ministers for its state provided a Prime Minister and many other leaders to the country. But now this institute is almost dead. It is therefore, necessary that separate laws are enacted for such institutes or Administrators appointed to run them properly.

It is being said that University Grants Commission is being recognised. While taking this step it should be kept in mind that those persons are appointed who are clear in mind. who are not communal in thinking and those who are experienced educationists. I congratulate University Grants Commission on its performance.

Shri D. P. Yadav: The House heard the views and suggestions made by Hon. Members about Annual Report of the University Grants Commission for the year 1968-69. I would like to discusus the points raised in the house.

While discussing the annual report saying true and full account of the activities of University Grants Commission hon. members have brought the scheme of education under its perview, which is not.

कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं परन्तु उनके सामने वित्त की कठिनाई आ जाती है जिसके कारण उन्हें विकास कार्यों को रोकना पड़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि के लिए अनुदान देता है परन्तु उसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित

हैं। आयोग से मिलने वाली धनराशि के बराबर धनराशि का प्रबन्ध उस संस्था को भी करना होता है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाएं इसका प्रबन्ध नहीं कर पातीं। अतः पिछड़े वर्गों के छात्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु कार्यरत संस्थाओं के साथ इस विषय में अपवाद बरता जाना चाहिये जिससे कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन मिल सके।

अब ऐसा समय आ गया है कि बम्बई में दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। परन्तु दूसरे विश्वविद्यालय को खोलते हुए बदलते समय की मांग को भी विचार में रखा जाए। वाणिज्य, कला, इंजीनियरी, डाक्टरी आदि की पढ़ाई साथ इस नये स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय में इलैक्ट्रानिक्स, आणविक प्रौद्योगिकी, रसायन प्रोद्योगिकी आदि से संबंधित विषयों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियां प्रदान की जाती हैं परन्तु यह छात्र-वृत्तियां विश्वविद्यालयों में बहुत देरी से पहुंचती है जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह छात्रवृत्तियां अग्रिम दी जानी चाहियें।

A number of suggestions have been made by the members and we have not adequate finances to implement them. A sum of Rs. 523 Crores was allocated for education in the Fourth Plan. Out of that Rs. 130 crores would be at the disposal of the University Grants Commission. We will have to pay our attention to the University Grants Commission and see that it utilises a sum of Rs. 26 crores per year.

We are not in favour of setting up Commissions or Committees. Concrete suggestions from Members for improving our education would be welcome. Education has to be made a concurrent subject. Then alone it will be possible to have university in the primary, secondary and university education.

A demand has been made for allocating more funds to Kashi Vidyapeeth . An Act has been passed and the enforcement of the Act would meet this demand.

The University Grants Commission Act has been amended. Amendment makes provisions in regard to important matters including the membership of the Commissions. This amendment will remove many of the shortcomings pointed out by the Members.

There are 83 universites in the country. But that does not mean that the Government is not in favour of opening new universities. We have got set rules and if needed, new universities will be opened. But the Government is not in favour of mushroom growth of the universities. The mushroom growth of universities may solve the political interest but it may not solve the physicsl as well as educational problems.

A demand has been made for paying more attention to backward areas in the matter of providing educational facilities. That has also been the policy of the Government.

The U. G. C. is granting adequate finances to the University of Madras.

श्री दंडपाणि (धारापुरम) : मुझे व्यवधान करते हुये खेद है परन्तु मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हम पलानी में दण्डायुधपाणी देवस्थानम के अन्तर्गत चार कालेज चला रहे हैं जहां हिन्दू धर्म और तमिल भाषा सिखाई जाती है। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान के लिये अनुरोध किया था परन्तु उन्होंने यह अनुरोध ठुकरा दिया।

श्री डी० पी० यादव : कृपया मेरे कार्यालय में पधारिये। मेरे मन्त्रालय के उपमंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और वहां हम सब इस पर मिल कर चर्चा करेंगे।

Shri Hamendra Singh Banera (Bhilwara) : Please give him an answer here and not in the office.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी विशेष वर्ष के प्रतिवेदन से सम्बन्धित चर्चा के दौरान व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है। चर्चा का क्षेत्र केवल इतना ही है कि प्रतिवेदन में जिन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्य सही ढंग से किया अथवा गलत ढंग से किया।

Shri D. P. Yadav : So far as the qualitative improvement of education is concerned, certain schemes have been initiated under which about 50 centres were opened for intensive study in physics, chemistry, biology, mathematics etc.

The question of giving grants to colleges has been raised. There are specific rules for giving grants to colleges. If any hon. Member refer any case where a College had applied for grant through the University according to the set rules and the U. G. C. deliberately did not give the grant only then it can be blamed, otherwise not.

So far as giving aid is concerned, we have a pattern of assistance to colleges. I want to refer to it.

Post-graduate studies--recurring and non-recurring grant ; library and laboratory facilities-75 per cent, 50 per cent grant ; additional teaching accommodation ; hostels ; staff quarters ; teachers hostels ; non-resident students centres ; tubewells and overhead tanks ; cycle sheds ; semi-micro analysis equipment for advanced studies research centres-we give cent per cent here ; assistance to teachers for research and advanced studies ; aid fund ; the students service programme ; the book grant.

Then, some Members referred to the compilation of a research paper and its publication. We assist there also if it properly comes. It is valued by the U. G. C. as to whether it is of a standard. For every Ph. D. that is produced, it is not possible for the U. G. C. to give money for that.

As regards the question of matching grants, it has to be realized that when the U. G. C. gives 80 per cent grant to a college, it is the duty of the State Government also to give at least 20 per cent. If it does not do so it is not proper to blame the centre.

Some members referred to the student participation in the management of universities. A Committee under the chairmanship of Shri P. B. Gajendragadkar has been appointed to consider this matter and a decision will be taken after considering the report of the Committee.

So far as revision of salary or pay scales is concerned, the University Grants Commission is providing matching grants and the recommendations of the Kothari Commission are also being implemented as far as possible--through the University Grants Commission.

Examination reforms is a wide subject. All are agreed on the issue of examination reforms. Some people favour American pattern of examinations and some favour English behalf. of examinations. We are considering these suggestions. A final decision in this pattern will be taken after receiving some more suggestions.

Some people have suggested the setting up of Students Advisory Bureau. Government is seriously considering these suggestions.

One learned M. P. has suggested that practical education in Engineering should be imparted on the pattern of medical side. We have already taken steps in this direction and about 14 thousand students are receiving practical education in the various industrial establishments.

I request all of you to give your solid and constructive suggestions to us.

रेलवे बजट—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

सभापति महोदय : अब 1971-72 के बजट (रेलवे) पर सामान्य चर्चा होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिये कितना समय रखा गया है ।

सभापति महोदय : इसके लिये लगभग 10 घंटे का समय रखा गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह समय तो संसद कार्य मंत्री द्वारा निश्चित किया गया है ।

सभापति महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा वह रिकार्ड में शामिल कर दिया गया है और माननीय सदस्य इस पर ध्यान देंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : रेलवे बजट पर चर्चा शुरू करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । बजट से जाहिर होता है कि सरकार की नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया हमारे सामने वही नीति और दृष्टिकोण रखा गया है । यह बजट पैदा होने वाली परिस्थितियों का संकेत देता है । चुनाव के समय यह बात फैलायी गयी कि गरीबी को हटाया जायेगा । वर्तमान बजट 'गरीबी हटाओ' के स्थान पर 'गरीबों को मिटाओ' की दिशा में एक ऐसा कदम है···। रेलवे मंत्री ने रेल के किराये बढ़ाने का भी सुझाव दिया है । तीसरे दर्जे के बढ़े किराये से इस प्रकार 11.60 करोड़ रु० की आय होगी जबकि उच्च वर्ग के यात्रियों से केवल 1.60 करोड़ रु० की आय होगी । यह आपका समाजवाद है, यह आपका गरीबी हटाना है । मंत्री महोदय ने कहा है कि छोटे फासले में यात्रा करने वाले यात्रियों से वे कुछ नहीं ले रहे । ये बताना चाहते हैं कि ये लोगों की बड़ी सेवा कर रहे हैं ।

किराये में वृद्धि करने के सुझाव के बावजूद भी घाटा पूरा नहीं होता । कहा जाता है कि यह घाटा आर्थिक मितव्ययता से पूरा किया जावेगा । रेलवे की दशा में सुधार करने के लिये रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाये । मेरे विचार में रेलवे बोर्ड में 3 अथवा 4 सदस्य तथा 5 अतिरिक्त संचालक हैं । वहां अनेकों संचालक, उपसंचालक, सचिव तथा उपसचिव हैं । आप 5 अतिरिक्त सदस्यों की नौकरियां समाप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 2 संयुक्त संचालकों, 1 उपसचिव, संचालक (मेकेनिकल इन्जीनियरिंग एण्ड प्राडक्शन) तथा संचालक (वित्त लेखा) की नौकरियां भी जरूरी नहीं ।

मैं यह नहीं जानता कि इस बजट के बाद साधारण यात्री को क्या सुविधायें मिलेंगी ।

रेलवे को उच्चाधिकारियों तथा साधारण कर्मचारी के बीच मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

रेलवे ने उन सुविधाओं को अपने कर्मचारियों को देने के लिये इनकार किया है जो अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों को दी हैं । बरौनी में रेलवे के कर्मचारियों को प्रोजेक्ट भत्ता न दिया जाने के कारण हड़ताल हुई । डाक तथा तार विभाग और उर्वरक निगम ने यह भत्ता अपने कर्मचारियों को दिया है । इस हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे को काफी घाटा हुआ । रेलवे बोर्ड ने खुद कहा है कि रेलवे के बिजली संगठन ने अच्छा काम किया है और बिजली लगाने के काम को वह स्वयं कर सकता है । लेकिन इस नीति में अचानक ही परिवर्तन किया गया और

काम ठेकेदारों को दिया गया। ठेकेदारों का एक ऐसा गिरोह है जो मिलकर टेन्डर भरते हैं और यह फैसला करते हैं कि ठेका किसको मिलना चाहिये। रेलवे बोर्ड में यह सब खुली तरह से होता है।

अब मैं अन्य सुझावों की बात करता हूं। किराये में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये। कोई भी डीलक्स अथवा राजधानी एक्सप्रेस प्रकार की गाड़ियां नहीं चलायी जानी चाहियें। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कलकत्ता भूमिगत रेलवे का क्या बना? सन् 1965-66 के दौरान मैं इस सदन का सदस्य था। उस समय डम डम से प्रिन्सेप घाट तक ऐसी ही रेलवे लाईन बनाये जाने का मामला उठाया गया था। पिछले वर्ष भी संसद सदस्यों तथा प्रबन्धकों आदि का इस विषय पर अधिवेशन हुआ। इसके लिये कुछ राशि स्वीकृत हुई थी। यह मामला अब किस स्थिति में है, कोई नहीं जानता। सोवियत विशेषज्ञों ने भी कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का सर्वेक्षण करके अपने सुझाव दिये थे जो अब तक रेलवे बोर्ड के दराजों में ही पड़े हैं। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरा अगला सुझाव यह है कि एक ऐसी नई रेलवे लाईन बनाई जाये जो तारकेश्वर होकर संतरागाची तथा विष्णुपुर को जोड़े। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हावड़ा-आमता तथा हावड़ा-शिकाला की रेलवे लाईनों पर पुनः विचार करें। मैं मंत्री महोदय से हावड़ा-आमता रेलवे के कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र कार्य पर लगाने के लिये भी निवेदन करूंगा। बलूरघा[illegible] [illegible]श्चिम बंगाल का एक ऐसा जिला है जहां रेलवे लाईन नहीं है। मैं वहां रेलवे लाईन चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें अपना अंशदान दें तो हम अन्तर्भू मार्गों तथा ऊपरी पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर सकते हैं। जी० टी० रोड के सेरापुर सरीखे ऐसे भाग हैं जहां ऊपरी पुल आवश्यक हैं। रेलवे मंत्री के अनुसार इन कामों के लिये 10 करोड़ रु० के करीब लगेगा। मेरा सुझाव है कि रेलवे को राज्य सरकार पर निर्भर किये बिना सारा व्यय स्वयं करना चाहिये।

मुझे मंत्री महोदय के भाषण के उस अंश को पढ़कर आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वी भाग में रेलगाड़ियों को साधारण लोग अव्यवस्थित करते हैं। साधारण लोगों को इससे क्या लाभ होगा? ऐसी बातें जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा, बन्द होनी चाहियें। इस दिशा में सख्त कदम उठाये जाने चाहियें।

सभापति महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिये। श्री राम नारायण शर्मा।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : A deficit of Rs. 33 crores has been shown in the railway budget and that too at a time when Rs. 36 crores were spent for giving interim relief to employees in pursuance of Pay Commission's recommendations.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 27 मई 1971/6 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned Till Eleven of the clock on Thursday, the 27th May, 1971/**Jyaistha** 6,1893 **(Saka).**

Tirthraj Press, Allahabad.